

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION

SEVENTEENTH
ANNUAL REPORT
1988-89



RAJA RAMMOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION

BLOCK DD-34, SECTOR-I
SALT LAKE
CALCUTTA-700 064

DECEMBER 1989

© RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION
DD-34, SECTOR-I, SALT LAKE
CALCUTTA 700 064
Phone : 37 3463-65
Gram : RAMMOLIBRY. CALCUTTA

Published by Dr. B. P. Barua, Director, Raja Rammohun Roy Library
Foundation, Block DD-34, Sector-I, Salt Lake, Calcutta-700 064 and
printed at B. B. Co. Calcutta 700 050, Phone : 52-3470.

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION
Annual Report 1988-89

C O N T E N T S

Chapter		Pages
I	Introduction	1
II	Book Assistance	5
III	Financial Assistance	9
IV	Promotional Activities	13
V	Administration	16
VI	Conclusion	21

A P P E N D I C E S

1.	Members of the Foundation	25
2.	Members of the Administrative Committee	28
3.	List of Conveners of State Library Planning Committees/State Library Committees	30
4.	Organisation Chart	36
5.	RRRLF Zonal Offices	37
6.	Statement showing Position of Assistance under Matching Schemes during 1988-89	38
7.	Statement of Assistance towards Organisation of Seminars, Workshops etc., during 1988-89	40
8.	Statement of Assistance to Voluntary Organisations during 1988-89	42

CONTENTS

	Pages
9. Statement of Grants released to Children's Libraries and Children's Section of General Public Libraries during 1988-89	47
10. Statement of Number of Libraries assisted during 1988-89	48
11. Statement of Number of Libraries assisted from 1972-73 to 1988-89	50
12. Statement of Libraries inspected during 1988-89	52
13. Pie-Chart showing Quantum of Expenditure under Different Heads during 1988-89	54
14. Statement of Audited Accounts for 1988-89	55

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION

Seventeenth Annual Report

1988-89

Chapter I

INTRODUCTION

This Annual Report covers the activities of the 17th year of Raja Rammohun Roy Library Foundation, an autonomous organisation established by the Department of Culture, Government of India. The Foundation came into existence in 1972 on the occasion of the bicentenary of the birth of Raja Rammohun Roy, the International Book Year and the celebration of Silver Jubilee of India's Independence. The basic objective of the Foundation is to take the library movement to small towns and villages in co-operation with state governments, union territory administrations and other organisations working in the field with a view to providing reading facilities for all sections of the people. The Foundation is registered under the West Bengal Societies Registration Act, 1961.

As library service comes under the jurisdiction of state governments, the Foundation has to function within the limited parameters of constitutional provisions. Moreover, states vary in their size, population, percentage of literacy, production of literature in regional languages and infrastructure of library services. Naturally, the extent and quantum of assistance rendered by the Foundation to the states vary from state to state. Some states which have adopted library legislation viz. Tamil Nadu (1948), Andhra Pradesh (1960), Karnataka (1965), Maharashtra (1967) and West Bengal (1979) have gone

far ahead of the others. Though library legislation was enacted in Manipur (1988) and Kerala (1989), they have not yet come into force. Even without legislation some of the state governments have taken initiative to establish and sponsor libraries, while some others are promoting public library services through aided libraries and voluntary organisations. With its limited resources the Foundation has taken steps to promote all types of public libraries under certain schemes of matching and non-matching assistance.

Besides being a funding body, the Foundation also functions as a national agency for co-ordinating, monitoring and developing the public library services in the country. The Foundation is vested with the responsibility of promoting library movement in the country. Promotion of library movement essentially means establishment of more and more libraries for the benefit of the reading public. In order to improve library facilities in the country, the Foundation has adopted certain schemes of matching and non-matching assistance. To avail assistance under the matching schemes a state has to participate in the programmes of the Foundation by paying contributions on a pre-determined basis. The amount varies from Rs. 50,000 to Rs. 5,00,000 depending on the size, population, library infrastructure and past utilisation of funds. Non-matching assistance is usually given to the State Central Libraries and District Libraries of all the states and union territories partly to augment the stock of their reading materials and partly to develop children's section in the libraries. Assistance is available to all categories of public libraries—government, semi-government, statutory and even libraries run by voluntary organisations. Promotion of reading habit being the primary concern, the major share of assistance is allocated for increasing the book-stock of libraries. Assistance is also rendered under different schemes for library building, furniture, equipment and audio-visual materials. In order to extend library facilities to the disadvantaged sections of the people, a scheme of assistance towards the development of mobile library service

and rural book deposit centres was introduced few years back. Steps have also been taken to improve the quality of library service by introducing the scheme of assistance towards organisation of seminars, workshops, short-term training courses and book exhibitions. During 1987-88, three new schemes have been adopted for (1) increasing accommodation in public libraries below district level, (2) acquiring TV-cum-VCR sets for educational purposes by State Central Libraries and District Libraries and (3) developing children's libraries or children's section in public libraries. While states have shown reluctance to avail assistance for increasing accommodation due to limited funds, most of them have indicated appreciation for other two schemes.

The Foundation had decided to set up an Integrated Research Cell-cum-Computer Unit with a view to developing a database of public libraries of the country. Keeping this objective in view steps have been taken to install a mini-computer and to acquire other reprographic and electronic machineries for better efficiency and performance. The work of extension of the office building by three floors was undertaken during the year, and the project is likely to be completed by the end of the current financial year.

During the year Professor D. P. Chattopadhyaya functioned as the Chairman of the Review Committee on Library Staff under the purview of the Central Government constituted by the Department of Culture, Government of India and that of the Planning Commission Eighth Plan Working Group on Libraries and Informatics. The Director of the Foundation, Dr. B. P. Barua was also associated with the committees. He also participated in different meetings of the Cultural Statistics Working Group of the Department of Culture.

The Foundation celebrated the 40th anniversary of Independence and the birth centenary of Pandit Jawaharlal Nehru by organising a National Seminar on **Secularism in India: Rammohun to Nehru**. It collaborated with Bengal Library

Association in organising a joint session of Indian Library Association and Indian Association of Special Libraries and Information Centres held in Calcutta during December 1988. But the most important development in the sphere of promotional activities was the organisation of All India Public Library Conference on **Eighth Plan Perspective of Public Library Development** in New Delhi during February 24-25, 1989. The conference was inaugurated by Shri L. P. Shahi, Hon'ble Minister of State for Education and Culture, Government of India. The project on **Guidelines for Public Library Systems and Services** has made satisfactory progress.

In short, the Foundation not only pursued its regular activities of rendering assistance to libraries but also stepped up its promotional activities for qualitative improvement of public libraries in the country as a whole during this fourth year of the Seventh Plan period.

BOOK ASSISTANCE

Books are *sine qua non* of every library. Their availability and usefulness attract readers to the libraries.

A library has not only to hold a good stock of reading materials but also to replenish its stock from time to time. However, most of the libraries are not able to meet this growing demand with their own resources. A good part of available fund is spent for maintenance of staff. So, the Foundation has stepped in to augment the book stock of public libraries in India. The Foundation, during the 7th Plan, continued this major scheme of book assistance to libraries, known as, Assistance towards building up of Adequate Stock of Books and other Reading and Visual Materials.

Assistance under the scheme is given from two sources : (1) matching source and (2) central (non-matching) source. When assistance is rendered from the matching source, the responsibility for selection, purchase and distribution of books is vested in the state authority; and when assistance is rendered from the Central source, the Foundation is responsible for selection and supply of books.

1. Matching Book Assistance

The State Library Planning Committee or the State Library Committee (SLPC/SLC) set up at the instance of the Foundation in each state and union territory prepares proposals for assistance under this major scheme. It prepares the list of books and the list of libraries to which the books are to be sent. For this purpose, the Foundation has issued detailed guidelines.

Once lists of books and that of beneficiary libraries are approved by the SLPC/SLC, steps are taken to purchase and distribute such books. Some states and union territories viz. (1) Andhra Pradesh, (2) Arunachal Pradesh, (3) Assam, (4) Bihar, (5) Chandigarh, (6) Gujarat, (7) Goa, (8) Himachal Pradesh, (9) Karnataka, (10) Kerala, (11) Madhya Pradesh, (12) Maharashtra, (13) Manipur, (14) Mizoram, (15) Orissa, (16) Pondicherry, (17) Punjab, (18) Tamil Nadu, (19) Tripura, (20) Uttar Pradesh and (21) West Bengal continued to assume the responsibility for the purchase and distribution of books. The Foundation, however, has been doing this job for Nagaland, Rajasthan and Andaman & Nicobar Islands on the plea that they do not have adequate infrastructure. Payment is released by the Foundation on receipt of copies of orders, approved list of books and certified bills from the Conveners of the SLPCs/SLCs in respect of the former group of states. When the Foundation places order, 75% payment is made to the publishers/suppliers on receipt of proof of despatch and the balance, on receipt of acknowledgement from the recipient libraries/Convener. During the year most of the states and union territory administrations could not utilise fully the available matching fund. As a result the total amount of committed liability rose to Rs. 97.50 lakhs as on 31.3.89 (For *Statement showing Position of Assistance under Matching Schemes during 1988-89 see Appendix-6*).

The selection of libraries under the matching programme rests with the respective SLPCs/SLCs. Assistance under the book assistance scheme is available for all categories of public libraries, viz. State Central Libraries, Regional/Divisional Libraries, District Central Libraries, Sub-Divisional Libraries, Rural Tehsil Libraries, Municipal Libraries, Town Libraries, recognised Libraries etc., which are maintained or aided or recognised/sponsored by the respective state governments/union territory administrations.

Almost all the states and union territories have set up State Central Libraries. Delhi is served by the Delhi Public Library.

The State Central Library of Tamil Nadu i.e., Connemara Public Library and M. S. Town Hall Library of Maharashtra get books under the Delivery of Books Act. There are also Regional Libraries or Divisional Libraries in some states viz. (1) Andhra Pradesh, (2) Bihar, (3) Madhya Pradesh, (4) Maharashtra and (5) Rajasthan. District Libraries have been established in most of the districts. Some of the State Central Libraries and Regional Libraries also function as District Libraries for the respective districts in which they are located. State Central Libraries and Regional Libraries are usually government libraries. However, Sinha Library in Bihar and Maulana Azad Central Library in Madhya Pradesh are notable exceptions. Similarly, some of the District Libraries are government libraries and some are only government aided libraries.

The organisational pattern of the libraries below the district level is not uniform. They do not always conform to administrative units. Generally speaking, in the South, they are called Branch Libraries and in the West and North, Taluka or Tehsil Libraries and in the East, Sub-Divisional Libraries. Further below there are Block, Municipal, Town and Rural Libraries. Many of these libraries are run by voluntary organisations, registered or non-registered. However, where library legislation exists, libraries are controlled by the authority stipulated in the Act. During the year under report, the Foundation rendered book assistance to the tune of Rs. 93.22 lakhs to about 7,180 libraries under this scheme.

2. Non-matching (Direct) Book Assistance

In addition to matching assistance, the Foundation also gives direct book assistance out of its own resources to certain categories of libraries in a limited scale. The beneficiary libraries under this programme are (a) Centrally sponsored libraries like Nehru Yuvak Kendras and mobile units under Palli Sangathan Vibhaga of Visva-Bharati and (b) State Central Libraries and District Libraries.

(a) Assistance to Centrally Sponsored Libraries

The Ministry of Human Resource Development under its Youth Services Programme has sponsored Nehru Yuvak Kendras in various district headquarters of the country for the welfare of non-student youth between 15 to 35 years of age. Apart from recreational activities, Nehru Yuvak Kendras are also expected to support adult education programmes and to run circulating library services through rural youth clubs. The Foundation supports the library services organised by the Kendras. Assistance under the scheme can also be rendered to some reputed voluntary organisations recognised or recommended by the Government of India. During the period the Foundation rendered assistance amounting to Rs. 0.50 lakhs to 16 Nehru Yuvak Kendras, and the mobile library unit and 25 rural libraries of Visva-Bharati.

(b) Assistance to State Central Libraries and District Libraries

Books in Hindi and regional languages are selected by the state authorities under the matching book assistance programme of the Foundation. Books in English seldom find place in such lists. So, the Foundation selects a small number of books, mainly in English, under the scheme of Central Selection of Books for distribution to State and District Libraries in the country.

The Administrative Committee of the Foundation has laid down detailed guidelines for selection of titles under this scheme. The Book Selection Committee constituted for the purpose selects books, from those submitted by various publishers all over the country, after physical verification. The Committee met twice during the year and selected 128 titles for State Central Libraries, 120 titles for both State Central and District Libraries and 115 titles for State Central and 100 Selected District Libraries. The quantum of assistance under this programme amounted to Rs. 21.78 lakhs.

FINANCIAL ASSISTANCE

There are seven schemes under which financial assistance is rendered to libraries. The last three schemes as given at the end of the chapter are relatively new.

1. Assistance towards Organisation of Seminars, Workshops, Training Courses (Orientation/Refresher) and Book Exhibitions.

The Foundation has recognised the fact that the content and quality of library service need regular evaluation and improvement. This scheme has been adopted with this aim in view. Assistance under the scheme is available to Library Department/Library Directorate of a state/union territory, State Central Libraries, and library associations and institutions imparting training in Library Science. Assistance under the scheme is given from two sources, namely (1) matching fund and (2) Foundation's own fund (non-matching). The grant out of matching fund is given only to organisations as are recommended by the respective state governments/union territory administrations. All India library associations like Indian Library Association (ILA) are granted financial assistance from the non-matching fund (For Statement of Assistance towards Organisation of Seminars, Workshops etc., during 1988-89, see Appendix-7.)

2. Assistance towards Development of Rural Book Deposit Centres and Mobile Library Services.

If the benefits of public library service are to reach the vast number of the less educated and neo-literates in small towns and villages, arrangement should be made to deliver books written in simple language on subjects of popular interest at their doorsteps.

All established libraries and reputed voluntary organisations engaged in social welfare activities are encouraged to organise this service. Assistance under the scheme is given in the form of books, cycles, rickshaws, trunks, bags etc. The recipient institutions are expected to circulate books from one book deposit centre to another with the help of cheap modes of transport or by free service through volunteers. In cases where library service has not reached a village, a book depository centre is to be set up, and where library coverage has already been extended to a village, door-to-door service is to be organised in co-operation with voluntary agencies and paid workers engaged in implementing adult education programmes. During the year, the Foundation rendered assistance amounting to Rs. 10,000 to 1 library in Punjab.

3. Assistance towards Storage of Books

This is a comparatively new scheme, adopted in 1979-80, to enable small libraries below district level to store and display increasing number of books received from the Foundation.

Under this scheme financial assistance is given to the libraries for purchasing not more than 2 almirahs/racks in a year on the recommendation of the respective state government. During the year the Foundation sanctioned assistance to the tune of Rs. 0.79 lakhs to 69 libraries in the states of Karnataka, Maharashtra and Orissa.

4. Assistance to Voluntary Organisations providing Public Library Services

This is a scheme extended to voluntary organisations for promotion of public library services. The beneficiary organisation/institution under this scheme is expected to spend 50 per cent of the cost of the project. The scheme was formerly operated by the Department of Culture, Government of India till 1985-86. The object of the scheme is to render financial assistance to voluntary organisations/institutions work-

ing in the field of public libraries for purchase of books, furniture and equipment and also for construction, including additions/alterations, of building of the library wing of the organisation.

The grant is released on recommendation of the Grants Committee, constituted for this purpose by the Foundation, normally to organisations recommended by the state governments/union territory administrations. During the year under report the Grants Committee met 3 times and grants worth Rs. 17.80 lakhs were released to 57 organisations all over the country (For Statement of Assistance to Voluntary Organisations during 1988-89 see Appendix-8)

5. Assistance to Public Libraries below District Level for increasing Accommodation

This is a matching scheme. The scheme was adopted for implementation during the year 1987-88. The object of the scheme is to render financial assistance to Government-run or-aided public libraries below district level for the purpose of construction/addition/alteration of library buildings. The grant is sanctioned on the recommendation of the respective SLPC/SLC. Due to the absence of approved proposal from any state or union territory administration no grant was released during the year under this scheme.

6. Assistance to State Central Libraries and District Libraries to purchase TV-cum-VCR Sets for Educational Purposes

This scheme under the matching programme of the Foundation was adopted for implementation during the year 1987-88. The scheme is intended to diversify services of public libraries at state and district levels through audio-visual media. The grant is sanctioned on recommendation of the respective SLPC/SLC. The amount is released for purchase of one TV-cum-VCR set per library with accessories, including installation charges, and for purchase of educational cassettes—not more than 5 cassettes per year per library.

During the reporting year only 10 libraries have taken advantage of the scheme. A grant of Rs. 2.56 lakhs was released in favour of 10 libraries in the states of Manipur, Meghalaya, Mizoram and Tamil Nadu.

7. Assistance to Children's Libraries and Children's Section of General Public Libraries

This is a non-matching scheme to support and promote Children's Libraries all over the country in order to develop reading habit among the children.

Assistance under the scheme is available to the Children's Libraries or to those public libraries which have or intend to open children's section. Assistance is available for purchase of reading materials, audio visual-materials, racks, almirahs, and reading tables and chairs. One hundred and twenty four libraries, including 14 JBBs were assisted to the tune of Rs. 3.23 lakhs during the year. (For *State-wise Statement of Grants released to Children's Libraries and Children's Section of General Public Libraries during 1988-89* see **Appendix-9**)

PROMOTIONAL ACTIVITIES

1. All India Public Library Conference

The Foundation organised an All India Public Library Conference on 8th Plan Perspective of Public Library Development in New Delhi during February 24-25, 1989. The Conference was inaugurated by Shri L. P. Shahi, Minister of State for Education and Culture and was presided over by Prof. D. P. Chattopadhyaya. About 150 delegates attended the Conference. The states and the union territory which participated in the Conference were Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Chandigarh. The Conference adopted a number of resolutions and recommendations for the development of public library system in India.

2. Celebration of the 216th Birth Anniversary of Raja Rammohun Roy and the 16th Foundation Day of RRRLF

On the occasion of 216th Birth Anniversary of Raja Rammohun Roy, 40th Anniversary of Independence and the Birth Anniversary of Pandit Jawahar Lal Nehru, the Foundation organised a national seminar on **Secularism in India: Rammohun to Nehru**. The function was held at the Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta on May 22, 1988.

Prof. S. Gopal, Emeritus Professor of Contemporary History at Jawahar Lal Nehru University, New Delhi delivered the second Raja Rammohun Roy Memorial Lecture, **Secularism**

from Rammohun Roy to Jawahar Lal Nehru, the theme paper of the seminar.

3. Collection of Statistics

For effective planning and promotion of public library services, the Foundation has taken up the task of collection of information on such libraries on a regular basis. It is also envisaged to help update the Foundation's **Directory of Indian Public Libraries**. Collection of data on libraries in India at state and district levels has been completed. It has since been decided to publish a **Directory of State Central Libraries and District Level Libraries**.

4. Publication Programme

The Foundation brings out a quarterly, viz. **RRRLF Newsletter** to give publicity to its activities, and to disseminate information on library services in different parts of the country. All the four issues have been published during the year.

It has been decided to publish a journal by the Foundation. The journal will be called **Grantha : Indian Journal of Library Studies** and will initially be in English language. The Editorial Board of the journal met twice on July 22, 1988 and December 20, 1988.

5. Institutional Membership

The Foundation continued to be institutional member of (a) Indian Library Association (ILA), (b) Indian Association of Special Libraries and Information Centres (IASLIC), and (c) International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), the Hague.

6. RRRLF Library

A special library in Library and Information Science was started in the Office of the Foundation in the year 1981-82.

The total collection of books at the end of the year was 1,185. It subscribed to 20 journals and received complimentary copies of 4 journals. The number of newspapers subscribed to were 12. The library is being developed to function as an important resource centre in Library and Information Science discipline.

7. Research and Advisory Functions

The Chairman and Director contributed to the Review Committee on Library Staff under the purview of the Central Government and to the Planning Commission's Eighth Plan Working Group on Libraries and Informatics as their Chairman and Member respectively. The Director also participated in various meetings of the Cultural Statistics Working Group of the Department of Culture. He also delivered the keynote address in the national seminar on Library Legislation in India with Special Reference to Uttar Pradesh organised by Aligarh Muslim University on March 29, 1989.

The Field Officer and Statistical Officer attended the 34th All-India Library Conference of ILA, and the Research Officer and the Assistant Field Officer (EZ) attended the 13th National Seminar of the IASLIC both held jointly in Calcutta during December 20-23, 1988.

The Director has also rendered advisory and consultancy service to the Department of Culture, Government of India and different State Governments whenever necessary.

A Research Committee was constituted in the year 1987-88 for advising the Foundation in matters of research projects. The Committee met twice, viz. July 22, 1988 and December 20, 1988 during the reporting year. The project on **Guidelines on Public Library Systems and Services** has reached the final stage.

ADMINISTRATION

1. The Foundation

The Foundation is composed of 22 members headed by the Minister-in-Charge of the Department of Culture, Government of India or his/her nominee as its Chairman. After the expiry of the term of the previous body, the Government of India reconstituted the Foundation in October 1988 (See **Appendix-1** for *Members of the Foundation*). The Foundation held three meetings during the reporting year viz. on May 22, 1988 (Ordinary General Meeting) in Calcutta, October 8, 1988 (Annual General Meeting) in Calcutta and February 23, 1989 (Ordinary General Meeting) in New Delhi.

2. Administrative Committee

The Administrative Committee looks after the financial and administrative affairs of the Foundation. It is consisted of 11 members, including the ex-officio members viz. Chairman, Financial Adviser (representative of the Department of Culture) and the Member-Secretary. Consequent to the reconstitution of the Foundation the Administrative Committee was also reconstituted in October 1988. (For *Members of the Administrative Committee* see **Appendix-2**). The Committee met twice during the year viz. on May 14, 1988 and December 10, 1988 in New Delhi.

3. State Library Planning Committees/State Library Committees

State Library Planning Committees (SLPCs)/State Library Committees (SLCs) are the principal agencies through which

the Foundation collaborates with state governments and union territory administrations. These Committees are expected not only to plan the expansion and development of library service in their respective states/union territories but also to supervise the implementation of various programmes adopted by the Foundation. These are also expected to serve as co-ordinating bodies of several state departments engaged in the promotion of library services at various levels. The SLPCs/SLCs are supposed to meet at least twice a year. Functions of the SLPCs/SLCs are:

- (a) to prepare a perspective and annual plan of library services, particularly in the non-metropolitan areas of the state with particular reference to the assistance programmes of the Foundation;
- (b) to ensure payment of state/union territory contribution to and drawal of matching grant from the Foundation;
- (c) to scrutinise and recommend proposals for assistance to the Foundation;
- (d) to select books according to the felt-need of the community and in conformity with the guidelines prescribed by the Foundation;
- (e) to ensure proper utilisation of assistance rendered by the Foundation;
- (f) to create an atmosphere for the development of reading habit among the general public by arranging symposia, seminars, exhibitions and other activities;
- (g) to perform any other activity conducive to the development of library movement in the state/union territory.

Out of the 32 states and union territories, 21 have participated in the Foundation's matching assistance programme during the year under report. A few states have taken advantage of all the eight on-going schemes. However, majority of the states/

union territories have participated in the book assistance programme only. Total expenditure incurred under matching assistance programme amounts to approximately Rs. 99 lakhs.

During 1988-89 SLPCs of Assam and Mizoram met twice. The SLPC of other states/union territories like Arunachal Pradesh, Bihar, Himachal Pradesh, Kerala, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal, Andaman and Nicobar and Chandigarh met once. (For the *List of Conveners of State Library Planning Committees/State Library Committees* see Appendix-3)

4. Chairman

Professor D. P. Chattopadhyaya continued to be the Chairman of the Foundation during the year.

5. Director

Dr. B. P. Barua continued to be the Director and ex-officio Member-Secretary during the year.

6. Other Officers and Staff

Shri R. Bhattacharjee, Field Officer continued in the post. Shri K. K. Banerjee was absorbed permanently in the Office of the Foundation as Executive Officer with effect from December 16, 1988. Shri V. K. Thomas continued in the post of Research Officer. Shri A. K. Banerjee, Assistant Secretary was absorbed permanently with effect from June 1, 1988.

The total strength stood at 52, excluding 2 part-time employees at the end of the year of report.

7. Training Programmes

The Foundation has taken steps to implement the Official Language Implementation Programme and train the staff in the use of Hindi under the Hindi Teaching Scheme of

Government of India. The Foundation celebrated Hindi day on September 29, 1988 with a view to accelerating the use of Hindi as official language. An extempore elocution contest in Hindi was organised for the non-Hindi speaking employees as a part of the celebration.

Shri Ashutosh Naskar, UDC was deputed to attend Hindi Training in the session of July 1988 conducted by Department of Official Language under Hindi Teaching Scheme.

Shri T. K. Bhadra, Statistical Officer was deputed to participate in NISSAT-NCB Course on Bibliometrics organised by INSDOC in New Delhi during February 13-22, 1989.

8. Zonal Offices

The 4 Zonal Offices of the Foundation started functioning from June 1987 with the posting of Assistant Field Officers (AFOs). The Eastern Zonal Office is located at headquarters of the Foundation. (See Appendix-5 for addresses of RRRLF Zonal Offices).

9. Inspection

Inspection of libraries is a regular programme conducted by the Inspection & Monitoring Unit of the Foundation. Public Libraries of various categories viz. State Central Libraries, District Libraries, Taluka/Block/Town Libraries etc., and libraries of voluntary organisations spread through the length and breadth of the country are inspected to evaluate proper and purposeful utilisation of assistance rendered by the Foundation under its various schemes.

The Field Officer and the four Assistant Field Officers attached to Zonal Offices, like the previous year, inspected 625 libraries during the year under report. (For Statement of Libraries inspected during 1988-89 see Appendix-12).

10. Finance

The Foundation is fully financed by the Government of India. During the year the Foundation received grant of Rs. 207.19 lakhs (Rs. 12.50 lakhs under Non-Plan and Rs. 194.69 lakhs under Plan allocations) from the Government of India. In addition, the Foundation also received contribution from the state governments and union territory administrations. The contributions are paid in order to receive matching assistance from the Foundation under its different schemes. The amount of contribution received during the year was Rs. 56.80 lakhs (For *Statement showing Position of Assistance under Matching Schemes during 1988-89* see **Appendix-6**).

11. Accounts

The accounts of the Foundation for 1988-89 have been audited by the Director of Audit (Central), Calcutta and approved by the Foundation in its Annual General Meeting held on October 18, 1989. (For *Statement of Audited Accounts for 1988-89* and *Pie-chart showing Quantum of Expenditure under Different Heads during 1988-89* see **Appendix-14** and **13** respectively).

CONCLUSION

1. Problems and Bottlenecks

The problems and bottlenecks faced by the Foundation in the execution of its programmes are mainly late submission and non-submission of proposals for assistance by some states, and the consequent delayed execution of the schemes of assistance.

In the existing scheme of things the Foundation has to depend on the state government machinery for the implementation of its programmes. Its performance reflects the total performance of the participating states and union territories. Sometimes, it fails to achieve the target owing to circumstances beyond its control. During the year under report proposals for assistance were received very late from many states, and some states have failed to draw their share of assistance viz. Gujarat, Kerala, Orissa, Tripura and Uttar Pradesh.

We are also finding it difficult to obtain timely information from some states regarding libraries receiving book assistance under the matching programme of the Foundation due to decentralisation of the distribution channel through District Library Authorities. Mention may be made of Andhra Pradesh and West Bengal.

2. Achievements

Notwithstanding various administrative and procedural constraints, the Foundation has taken long strides in promoting library services in the country. Since its inception in 1972

till March 1989, the Foundation received total grants and contributions of Rs. 1192.32 lakhs out of which Rs. 788.06 lakhs were received from the Government of India and the balance amount of Rs. 404.26 lakhs from the states and union territories.

The volume of assistance rendered during the year 1988-89 amounts to 141.22 lakhs and the grand total of assistance during the last seventeen years is Rs. 936.76 lakhs.*

During the year Foundation assisted 7,180 libraries, excluding the figures of Andhra Pradesh, Himachal Pradesh and West Bengal.

Over the last seventeen years the Foundation has covered about 25,000 libraries at different levels.

State Libraries	28
District/Divisional Libraries	472
Sub-Divisional/Taluka/Tehsil Libraries	499
Town & Rural Libraries	18,669
Mobile Libraries and Book Deposit Centres	774
Nehru Yuvak Kendras	176
Jawahar Bal Bhawans	49
Others	124

(For Statement of Number of Libraries assisted during 1988-89 and from 1972-73 to 1988-89 see Appendix-10 and 11 respectively).

To sum up, the 17th year of the Foundation has witnessed diversification of its activities. Altogether 6 schemes of matching assistance and 4 schemes of non-matching assistance were in operation. The promotional activities of the Foundation gathered momentum by the organisation of a national seminar and that of an All India Public Library Conference, including support to professional organisations.

* The figures are rounded up



Shri L. P. Shahi inaugurating the All India Public Library Conference
on Eighth Plan Perspective



A Partial View of the All India Public Library Conference on Eighth Plan Perspective



Inaugural Session of National Seminar on Secularism in India : Rammohun to Nehru



A View of the Hindi Day Celebrations



APPENDICES

Members of the Foundation

1. Professor D. P. Chattopadhyaya
Chairman, RRRLF
25, Park Mansions
Park Street
Calcutta 700016
2. (a) Shri J. Veeraraghavan
Secretary to Govt. of India
Department of Culture,
Shastri Bhawan
New Delhi 110001
(Till Feb. 13, 1989)
(b) Shri Bhaskar Ghose
Addl. Secretary to GOI
Department of Culture
Shastri Bhawan
New Delhi 110001
(From Feb. 14, 1989)
3. Shri R. C. Batra
Deputy Controller of Accounts
Department of Education
Shastri Bhawan
New Delhi 110001
4. Miss Meena Ahuja
Deputy Secretary (B. P.)
Department of Education
West Block 2, Wing 6
R. K. Puram
New Delhi 110066
5. Prof. Satya Bhusan
Director
National Institute of
Educational Planning & Admn.
New Delhi 110016

6. Prof. R. P. Sinha
Member
Bihar University (Constituent
Colleges) Service Commission
Srikrishnapuri, Patna 800001
7. Prof. Ashin Das Gupta
Director
National Library
Belvedere
Calcutta 700027
8. Dr. Nemai Sadhan Bose
Vice-Chancellor
Visva-Bharati
Santiniketan, Birbhum
9. Prof. R. C. Das
217 Kedar Gouri Road
Bhubaneswar 751002
10. Dr. S. R. K. Chopra
Vice-Chancellor
Kurukshetra University
Kurukshetra 132119
11. Prof. K. A. Isaac
Shruti (Annexe)
Near Gandhinagar Junction
P.O. Perumbaikat
Kottayam 686028
12. Prof. I. N. Choudhuri
Secretary
Sahitya Akademi
35, Ferozshah Road
New Delhi 110001
13. Shri Arvind Kumar
Director
National Book Trust, India
A-5 Green Park
New Delhi 110016

14. Prof. Krishan Kumar
President
Indian Library Association
A/40-41, Flat No. 201
Mukherjee Nagar
Delhi 110009
15. Shri H. J. Upadhyaya
Director of Libraries
Gandhinagar, Gujarat-382017
16. Shri N. B. Inamdar
Librarian
Osmania University
Hyderabad 500007
17. Shri H. D. Sharma
Librarian (Retd.)
76 Chandrika Colony
Varanasi 221010
18. Dr. P. A. Mohanrajan
Librarian
Madras University Library
Chepauk, Madras 600005
19. Prof. D. N. Panigrahi
Chairman
Delhi Public Library
S. P. Mukherjee Marg
Delhi 110006
20. Prof. H. A. Khan
Head, Deptt. of Library & Information Science
Mysore University,
Mysore 570006
21. Dr. B. P. Barua
Director, RRRLF,
Calcutta 700064
22. Vacant

Members of the Administrative Committee

1. Professor D. P. Chattopadhyaya
Chairman, RRRLF
25, Park Mansions
Park Street
Calcutta 700 016
2. Shri R. C. Tripathi
Joint Secretary to Govt. of India
Department of Culture
Shastri Bhawan
New Delhi 110 001
3. Shri R. C. Batra
Deputy Controller of Accounts
Department of Education
Shastri Bhawan
New Delhi 110 001
4. Prof. Ashin Das Gupta
Director
National Library
Belvedere
Calcutta 700 027
5. Prof. R. C. Das
217 Kedar Gouri Road
Bhubaneswar 751 002
6. Prof. K. A. Isaac
Shruthi (Annexe)
Near Gandhinagar Junction
P.O. Perumbaikat
Kottayam 686 028

7. Prof. D. N. Panigrahi
Chairman
Delhi Public Library
S. P. Mukherjee Marg
Delhi 110 006
8. Prof. R. P. Sinha
Member
Bihar University (Constituent Colleges)
Service Commission
Srikrishnapuri
Patna 800 001
9. Prof. Krishan Kumar
President
Indian Library Association
A/40-41, Flat No. 201
Ansal Buildings
Mukherjee Nagar
Delhi 110 009
10. Shri N. B. Inamdar
Librarian
Osmania University
Hyderabad 500 007
11. Dr. B. P. Barua
Director, RRRLF
Calcutta 700 064

**List of Conveners of State Library Planning Committees/
State Library Committees**

1. **Andhra Pradesh**
Director of Public Libraries
Andhra Pradesh
Afzalgunj
Hyderabad 500 012
2. **Arunachal Pradesh**
Deputy Chief Librarian
Govt. of Arunachal Pradesh
Itanagar 791 111
3. **Assam**
Director of Library Services (I/C)
Assam
Guwahati 781 001
4. **Bihar**
Superintendent of Libraries
Bihar
Sinha Library Road
Patna 800 001
5. **Goa**
Curator
Govt. of Goa
Central Library
Panaji
Goa 403 001
6. **Gujarat**
Director of Libraries
Govt. of Gujarat State
Old Assembly Buildings, 2nd floor
Sector 9, No. 17
Gandhinagar-382121

7. **Haryana**

Director of Higher Education
Haryana
Chandigarh 160 001

8. **Himachal Pradesh**

Assistant Director of Education (c)
Directorate of Education
Simla-1

9. **Jammu & Kashmir**

Director of Libraries
Directorate of Libraries
Dept. of Education
J & K Government
New Mini Secretariat
Jammu/Srinagar

10. **Karnataka**

Director
Department of Public Libraries
Government of Karnataka
Visveswariah Centre, 4th Floor
Dr. Ambedkar Veedhi
Bangalore

11. **Kerala**

State Librarian
Trivandrum Public Library
Trivandrum 659 001

12. **Madhya Pradesh**

Commissioner
Tribal Welfare Department
Govt. of Madhya Pradesh
Satpura Bhawan
Bhopal

13. Maharashtra

Director of Libraries
Town Hall
Sahid Bhagat Singh Marg
Bombay 400 023

14. Manipur

Chief Librarian
State Central Library
Imphal
Manipur

15. Meghalaya

(a) Director of Public Instruction
Meghalaya
Secretariat Building
Shillong
Meghalaya 793 001
(Till Feb. 23, 1989)

(b) Librarian
State Central Library, Shillong
(From Feb. 24, 1989).

16. Mizoram

(a) Deputy Director of Education
Directorate of Education
Govt. of Mizoram
Aizawl
Mizoram
(Till March 13, 1989)

(b) Director
Department of Art & Culture
Govt. of Mizoram
McDonald Hill
Zarkwat
Aizawl
Mizoram
(From March 14, 1989)

17. **Nagaland**
Director, Art & Culture
Kohima
Nagaland
18. **Orissa**
Deputy Secretary
Govt. of Orissa
Department of Tourism
Sports & Culture
Bhubaneswar 751 001
19. **Punjab**
Assistant Director (Cultural Affairs)
Office of the Director of Public
Instruction (Colleges) Punjab
S. C. O. No. 66-67
Sector 17B, Chandigarh 160 017
20. **Rajasthan**
Deputy Director
Social Education
Bikaner
Rajasthan
21. **Sikkim**
Joint Secretary to Govt. of Sikkim
Department of Education
Gangtok
Sikkim 737 101
22. **Tamil Nadu**
Director of Public Libraries
Egmore
Madras 600 008
23. **Tripura**
Head Librarian
Birchandra State Central Library
Agartala
Tripura 799 001

24. Uttar Pradesh

Officer on Special Duty (Libraries)
Govt. of Uttar Pradesh
38 Darbari Lal Sharma Marg
Secretariat Annexe
Vidhan Bhavan
Lucknow 226 001

25. West Bengal

Director of Library Services
Govt. of West Bengal
Writers' Buildings
Calcutta 700 001

26. Andaman and Nicobar Islands

Director of Education
Andaman & Nicobar Administration
Port Blair
Andaman

27. Chandigarh

Librarian
T. S. Central State Library
Chandigarh
Sector-17
Chandigarh

28. Dadra and Nagar Haveli

Director of Education
Dadra & Nagar Haveli
Silvasa

29. Delhi

Director of Education
Delhi Administration
Old Secretariat
Delhi

30. Lakshadweep

Social Welfare Officer

Union Territory of Lakshadweep

Department of Social Welfare & Culture

Kavaratti

Via H. P. O. Cochin 682 555


31. Pondicherry

Director of Education

Pondicherry Administration

Pondicherry 605 001

Organisation Chart



* The Assistant Secretary, the post of Accounts Officer having fallen vacant, was also entrusted with the works of Accounts Section during the year.

RRRLF Zonal Offices

1. **Eastern Zonal Office**
Raja Rammohun Roy Library Foundation
DD-34, Sector-1, Salt Lake
Calcutta-700 064
Phone: 37-3463-65
2. **Northern Zonal Office-cum-Guest House**
Raja Rammohun Roy Library Foundation
B-13, Greater Kailash, Enclave-1
New Delhi-110 048
Phone : 641 5508
3. **Southern Zonal Office**
Raja Rammohun Roy Library Foundation
Connemara Public Library
Room No. 6, New Building, Egmore
Madras-600 008
4. **Western Zonal Office**
Raja Rammohun Roy Library Foundation
Directorate of Libraries
Town Hall, 5 Bhagat Singh Marg
Bombay 400 023

Statement showing Position of Assistance under Matching Schemes during 1988-89

(Figures in thousand)

Name of the State/U.T.	Opening Balance	Contributions received	Matching Assistance	Total Fund available	Assistance rendered	Balance, if any
Andhra Pradesh	1,183	200	200	1,583	520	1,063
Arunachal Pradesh	108	50	50	208	78	130
Assam	208	50	50	308	406	(-) 98
Bihar	1,133	—	—	1,133	860	273
Goa	(-) 12	40	40	68	23	45
Gujarat	415	400	400	1,215	543	672
Himachal Pradesh	564	400	400	1,364	435	929
Karnataka	960	400	400	1,760	667	1,093
Kerala	39	—	—	39	5	34
Madhya Pradesh	560	—	—	560	545	15
Maharashtra	1,017	500	500	2,017	978	1,039
Manipur	49	50	50	149	142	7

<i>Meghalaya</i>	190	70	(-) 25	305	101	204
<i>Mizoram</i>	5	145	70	295	295	—
<i>Nagaland</i>	164	50	145	264	181	83
<i>Orissa</i>	(-)395	1,100	50	1,805	16	1,789
<i>Punjab</i>	70	200	1,100	470	375	95
<i>Rajasthan</i>	456	—	200	456	896	(-)440
<i>Sikkim</i>	14	—	—	14	—	14
<i>Tamil Nadu</i>	182	900	900	1,982	1,037	945
<i>Tripura</i>	197	—	—	197	33	164
<i>Uttar Pradesh</i>	1,274	500	500	2,274	1,088	1,186
<i>West Bengal</i>	(-)333	400	400	467	151	316
<i>Andaman & Nicobar Islands</i>	8	50	50	108	45	63
<i>Chandigarh</i>	111	150	150	411	351	60
<i>Pondicherry</i>	59	25	25	109	40	69
Total	8,226	5,680	5,655	19,561	9,811	9,750

**Statement of Assistance towards Organisation of Seminars,
Workshops etc during 1988-89**

Sl. No.	Name of the Organisation	Topic, Place and Date	Amount (Rs)
1.	2	3	4
	Matching		3,000
1.	A. C. Institution, Malda, West Bengal	Book Fair-cum-Seminar Malda, May 8-15, 1988	5,000
2.	Department of Library & Information Science, N. E. Hill University, Shillong	Social Science Information in India : Problems and Prospects Shillong May 19-21, 1988	3,400
3.	Manipur Library Association, Imphal	Library and New Education Policy Imphal May 24-25, 1988	3,000
4.	Orissa Library Society, Bhubaneswar	Summer Course for Rural Libraries Bhubaneswar June 8-14, 1988	(First instalment out of Rs. 6,000) 5,000
5.	Kerala Library Association, Trivandrum	Distance Education and Libraries Trivandrum June 25-26, 1988	10,000
6.	Bihar Library Service Association, Patna	Public Libraries in Bihar Patna August 12, 1988	10,000
7.	Director of Public Instructions (c), Punjab Chandigarh	Public Libraries and their Service to the Masses Chandigarh September 4-7, 1988	5,000
8.	Mizoram Library Association, Aizawl	Seminar-cum-Training for Librarians of Village Libraries in Mizoram Aizawl October, 1988	5,000
9.	Department of Studies & Research in Library & Information Science, Gulbarga University, Gulbarga	The Sixth IATLIS National Seminar on Education for Academic Librarianship Gulbarga November 21-23, 1988	

1	2	3	4
10.	U. P. Library Association, Lucknow	(a) Standards for School Libraries in U.P. (b) Standards for Public Libraries in U.P. (c) Linkages among College/University/ Special Libraries in U.P. Nainital November 25-27, 1988	5,000
11.	West Bengal Book Fair, 1988-89 Calcutta	West Bengal Book Fair, 1988-89 Calcutta December 24, 1988 to January 8, 1989.	50,000
12.	Department of Library Science, Aligarh Muslim University, Aligarh	Library Legislation in India with Special Reference to U.P. Aligarh March 29-31, 1989	10,000
13.	Manipur Library Associa- tion, Imphal	(a) Orientation Training Course on Library Organisation and Management (b) State Level Symposi- um on Library for the Students. Imphal March-April, 1989	10,000
Non-Matching			
1.	Indian Library Association, New Delhi	The 34th All India Library Conference on Library and Informa- tion Service in India : Assessment and Effec- tiveness, Calcutta December 20-23, 1988	10,000

Note : A cheque for Rs. 5,000/- in favour of H. K. Mahatab State Library, Bhubaneswar released in 1987-88, was cancelled during the reporting year.

**Statement of Assistance to Voluntary Organisations
during 1988-89**

Sl. No.	Name and Address of the Organisation	Purpose (purchase/ construction) for which the Grant-in-Aid was sanctioned	Amount (Rs.)	Total (Rs.)
1	2	3	4	5
Andhra Pradesh				
1.	The Shyamnagar Welfare and Cultural Association 10-1-18/44, Shyamnagar Hyderabad 500 004.	Books & Furniture	50,000	
2.	Sri Vasavi Grandhalayam Allagadda, Sowcarpet Dist. Kurnool 518 543.	Books & Furniture	4,000	
3.	Gandhi Bhavan Trust Gandhi Bhavan, Mukaramjahi Road, Hyderabad 500 001.	Books & Furniture	20,000	
4.	Vignana Niketanam Mohan Road, Khammam.	Books & Furniture	20,000	
5.	Kakatiya Grandhalayam Kakatiyanagar Hyderabad 500 008.	Building	30,000	1,24,000
Bihar				
6.	Sanskritik Pustakalaya Shiksha Kendra, P.O. Basant Dist. Saran.	Books, Furniture & Equipment	30,000 20,000	50,000
Gujarat				
7.	Consumer Education & Research Centre Thakhorbhai Desai Smarak Bhavan Near Law College Ellisbridge Ahmedabad 380 006.	Books & Furniture	30,000	
8.	Shree Kalol Sarvajanik Mahajan, Kasba Pustakalaya, Near Tower Chock, Kalol 382 721.	Books Furniture & Equipment	10,000 10,000	
9.	M. N. Amin Free Public Library Vaso, Via Nadiah Dist. Khuda 387 380.	Books & Furniture Building	20,000 20,000	
			90,000	1,74,000
		C/F		

1	2	3	4	5
10.	Shri Pragati Mandal Sanchalit Shri Sarvajanic Pustakalaya At Bhojali. Ta & Dist. Vadodara	Furniture & Equipment Building	B/F 90,000 50,000 50,000	1,74,000 1,90,000
Jammu and Kashmir				
11.	Sri Ramakrishna Ashrama Shivalaya Karan Nagar Srinagar 190 010	Books Furniture	10,000 8,000	18,000
Karnataka				
12.	Drepung Loseling Library Society P.O. Tibetan Colony, Mundgod (N. K.) 581 441	Books & Furniture Building	30,000 50,000	80,000
Kerala				
13.	St. Joseph's Library & Reading Room Kochuveli Trivandrum 695 021.	Books & Furniture	46,500	
14.	Sreevaraham Vanitha Samithi Vanitha Samithi Buildings South Fort, Trivandrum 1.	Building	50,000	
15.	Desaposhini Public Library P.O. Kuthiravattam Calicut 673 016.	Books Furniture	26,000 20,000	
16.	Rising Star Library Kuchappurom, P.O. Amachal, Via Kattakada Dist. Trivandrum.	Books Furniture	25,000 25,000	
17.	National Reading Room & Library P.O. Marangattupilly Dist. Kottayam 686 635.	Building	20,000	2,12,500
Madhya Pradesh				
18.	Motilal Nehru Smaraka Pustakalaya Hindi Bhavan, Bhopal.	Books, Furniture & Equipment	50,000	50,000
Maharashtra				
19.	Sarvajanic Maitrey Wachanalaya Telhara, Dist. Akola 444 108.	Books Furniture	20,000 10,000	
20.	Shri Rukmini Pandurang Sansthan Wachanalaya Gandhi Chauk Yavatmal.	Books & Furniture	25,000	
			C/F 55,000	7,24,500

1	2	3	4	5
			B/F	55,000 20,000
21.	Navyug Wachanalaya Satara Road Dist. Satara. 415 010.	Building		7,24,500
22.	Rajaram Sitaram Dixit Wachanalaya Sitabuldi, Nagpur 440 012.	Building		50,000
23.	Ratnagiri (Dist) Nagar Wachanalaya Near Jaistamba, Khareghat Road Ratnagiri.	Furniture		15,000
24.	Pune Marathi Granthalaya 437/B, Narayan Peth Poona 411 030.	Books Furniture		30,000 20,000
25.	Shree Ambadevi Sansthan Granthalaya Amravati 444 601.	Books		20,000
26.	Vidhyarthi Wachanalaya Shiv Panchayatana Nagar, Kamthi Dist. Nagpur.	Books Furniture & Equipment		30,000 20,000
27.	Late Shri Vasant Rao Naik Public Taluka Library, Mangrulpir Dist. Akola.	Building		50,000
Orissa				3,10,000
28.	Laxmi Narayani Youth Club At Baktarpur (Ichhapur) P.O. Matia, Dist. Cuttack.	Books Furniture		10,000 5,000
29.	Council of Cultural Growth and Cultural Relations The Universe, Maitree Sarani, Cuttack 753 001.	Books Furniture		15,000 10,000
30.	Ramakrishna Mission Vivekananda Library Vivekananda Bhubaneswar 751 002.	Books & Furniture		20,000
31.	Radhamani Pathagar At Arilo, P.O. Naraja Via Munduli Colony, Dist. Cuttack.	Books		5,000
32.	Shri Jagannath Pathagar At/P.O. Sri Purushottampur Dist. Puri.	Books & Furniture Building		10,000 20,000
33.	Maruti Pathagar At/P.O. Motabadi, Via Buguda, Dist. Ganjam.	Books & Furniture		10,000
44			C/F	1,05,000
				10,34,500

1	2	3	4	5
		B/F	1,05,000	10,34,500
34.	Juva Jyoti Club Vill: Kumandol, P.O. Nairi, Dist. Puri 752 029	Books & Furniture	5,000 10,000	
35.	Ashok Club At/P.O. Itipur Via Bhubaneswar, Dist. Puri.	Building Book & Furniture	20,000	
36.	Pragati Yuvak Sangha At/P.O. Bijigol, Via Kaniha Dist. Dhenkanal 759 117.	Books & Furniture	10,000	
37.	Rajalaxmi Mahila Samiti At Dashmanpatna, P.O. Endal, Via Jenapur, Dist. Dhenkanal 755 023.	Books & Furniture	20,000	
38.	Nababharat Pathagar Vill: Gobindabati, P.O. Bainsiria Dist. Cuttack 755 021.	Books & Furniture	10,000	1,80,000
Tamil Nadu				
39.	Thiru Vi. Ka. Library P.O. Melapath Dist. Thanjavur 609 304.	Books & Furniture	5,000	
40.	Murthuzaviya Educational & Cultural Foundation of South India Library 186, Big Street, Triplicane Madras 600 005.	Books Furniture	17,500 7,500	30,000
Uttar Pradesh				
41.	Mahatma Khushi Ram Public Library & Reading Room 12, Gandhi Road, Dehra Dun 248 001.	Books Furniture	7,000 3,000	
42.	Nagarjuna Buddhist Foundation 18, Andhiari Bag Gorakhpur 273 001	Books Furniture & Equipment	25,000 25,000	60,000
West Bengal				
43.	Barbasudevpur Deshapran Pragati Sangha Barabasudevpur P.O. Paikbheri, Via Bhagwanpur Dist. Midnapore.	Books & Furniture	5,000	
44.	Madhyamgram Kalyan Samiti Sodepur Road, P.O. Madhyamgram 24-Paraganas (North).	Books & Furniture	5,000	
45.	Ramakrishna Mission Vidyapith P.O. Vivekanandanagar Dist. Purulia 723 147.	Books Furniture Building	10,000 5,000 50,000	13,04,500
		C/F	75,000	

**Statement of Grants released to Children's Libraries and
Children's Section of General Public Libraries during
1988-89**

Sl. No.	Name of the State/ Union Territory	No. of Libraries	Amount (Rs)
1.	Andhra Pradesh	10	25,000
2.	Assam	5	12,123
3.	Gujarat	11	27,500
4.	Haryana	2	5,000
5.	Karnataka	2	37,469
6.	Maharashtra	12	15,000
7.	Manipur	6	5,000
8.	Manipur	1	7,230
9.	Meghalaya	3	2,500
10.	Orissa	1	30,000
11.	Punjab	10	2,500
12.	Tamil Nadu	1	3,306
13.	Tripura (Adjustment)	4*	4,992
14.	Uttar Pradesh	2	1,22,500
15.	West Bengal	48	2,500
16.	Chandigarh	1	2,500
17.	Dadra & Nagar Haveli	1	10,000
18.	Goa, Daman & Diu	3	7,500
	Mizoram	3	
			<u>3,22,620</u>
		<u>Total :</u>	

* Four cheques in favour of 4 libraries @ Rs. 2,500/- each have been cancelled during the year and assistance to the tune of Rs. 13,306 was paid in kind to four libraries.

Two cheques amounting to Rs. 2,500/- each in favour of two libraries in Assam were cancelled during the year.

Statement of Number of Libraries assisted during 1988-89

Name of the State/ Union Territory	SCL*	DL & DIV*	SDL & TALUKA*	TRL*	NYK*	JBB & CL*	VOL*	Total
Andhra Pradesh	1	29	—	1,414	—	—	5	1,449
Arunachal Pradesh	1	11	1	38	—	—	—	51
Assam	1	17	11	200	—	3	—	232
Bihar	1	37	19	408	—	—	1	466
Gujarat	1	19	37	725	—	5	4	791
Goa	1	—	4	35	—	3	—	43
Haryana	1	11	—	—	—	1	—	13
Himachal Pradesh	1	12	—	126	—	—	—	139
Jammu & Kashmir	1	14	—	—	—	—	1	16
Karnataka	1	19	—	175	4	—	1	200
Kerala	1	11	—	—	—	—	5	17
Madhya Pradesh	1	42	—	2,000	—	—	1	2,044
Maharashtra	—	32	31	646	—	3	9	721
Manipur	1	5	—	65	—	—	—	71
Meghalaya	1	4	—	—	—	—	—	5

Mizoram	1	2	—	—	—	—	83	—	—	—	86
Nagaland	1	6	—	—	—	—	106	—	—	—	113
Orissa	1	13	—	—	—	—	36	—	—	11	61
Punjab	1	12	—	—	12	—	—	—	—	—	25
Rajasthan	1	29	—	—	—	56	—	—	—	—	86
Sikkim	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Tamil Nadu	—	16	—	—	—	249	—	—	—	2	267
Tripura	1	3	—	—	—	17	—	—	—	—	21
Uttar Pradesh	1	56	—	—	—	92	—	2	2	2	153
West Bengal	1	17	—	—	—	—	—	37	13	—	68
Andaman & Nicobar	1	—	—	—	—	10	—	—	—	—	11
Chandigarh	1	—	—	—	—	3	—	—	1	—	5
Dadra & Nagar Haveli	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3
Delhi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Lakshadweep	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Pondicherry	1	2	—	—	—	14	—	—	—	—	17
TOTAL	27	424	103	6,498	16	55	57	7,180			

*SCL—State Central Libraries; DL & DIV—District & Divisional/Regional Libraries; SDL & Taluka—Sub-Divisional & Taluka/Tehsil Libraries; TRL—Town & Rural Libraries; NYK—Nehru Yuvak Kendras; JBB & CL—Jawahar Bal Bhawans & Children's Libraries; VOL—Voluntary Organisations.

Statement of Number of Libraries assisted from 1972-73 to 1988-89

Name of the State/ Union Territory	SCL*	DL & DIV*	SDL & Taluka*	TRL*	BDC*	NYK*	JBB*	Others	Total
Andhra Pradesh	1	29	—	852	620	14	1	—	1,517
Arunachal Pradesh	1	11**	1	38	—	2	—	—	53
Assam	1	17	11	216	—	4	3	—	252
Bihar ¹	1	37	24	1,624	—	13	1	—	1,700
Goa	1	—	4	95	—	1	—	3	104
Gujarat	1	19	37	2,081	11	5	1	—	2,155
Haryana	1	11	—	44	—	2	6	—	64
Himachal Pradesh ²	1	12	—	143	—	8	1	5	170
Jammu & Kashmir	1	14	5	2	—	1	1	—	24
Karnataka	1	19	175	1,924	—	8	7	—	2,134
Kerala ³	1	11	—	1,072	—	8	4	—	1,096
Madhya Pradesh	1	45	20	2,005	—	11	2	—	2,084
Maharashtra	1	39	195	1,821	1	2	7	—	2,066
Manipur	1	5	—	97	—	2	—	—	105
Meghalaya	1	4	—	—	—	2	—	—	7
Mizoram	1	2	—	102	—	1	—	—	105
Nagaland	1	6	—	106	—	—	—	—	113
Orissa	1	13	130	1,411	—	10	2	—	1,690


Statement of Libraries inspected during 1988-89

Name of the State/ Union Territory	SCL*	DL & DIV*	BDL*	NYK*	Total
Andhra Pradesh	—	11	50	—	61
Arunachal Pradesh	—	—	—	—	—
Assam	1	8	8	—	17
Bihar	1	14	3	—	18
Goa	1	—	12	—	13
Gujarat	1	16	42	—	59
Haryana	—	—	—	—	—
Himachal Pradesh	—	3	11	—	14
Jammu & Kashmir	1	3	1	—	5
Karnataka	—	8	23	—	31
Kerala	—	5	43	—	48
Madhya Pradesh	1	24	5	—	30
Maharashtra	1	21	77	—	99
Manipur	1	2	8	—	11
Meghalaya	1	1	—	—	2
Mizoram	1	—	6	—	7
Nagaland	—	—	—	—	—
Orissa	—	7	14	—	22

<i>Punjab</i>	—	—	—	—	—	—
<i>Rajasthan</i>	1	13	8	3	25	—
<i>Sikkim</i>	—	—	—	—	—	—
<i>Tamil Nadu</i>	—	9	45	—	54	—
<i>Tripura</i>	—	—	—	—	—	—
<i>Uttar Pradesh</i>	1	20	28	1	50	—
<i>West Bengal</i>	—	3	34	—	37	—
<i>Andaman & Nicobar</i>	—	—	—	—	—	—
<i>Chandigarh</i>	—	—	—	—	—	—
<i>Dadra & Nagar Haveli</i>	1	—	—	—	1	—
<i>Daman & Diu</i>	1	—	—	—	1	—
<i>Delhi</i>	—	—	—	—	—	—
<i>Lakshadweep</i>	—	—	—	—	—	—
<i>Pondicherry</i>	1	—	19	—	20	—
Total	15	168	437	5	625	

* SCL—State Central Libraries; DL & DIV—District & Divisional/Regional Libraries; BDL—Below DL & DIV-level Libraries; NYK—Nehru Yuwak Kendras.

Pie-Chart showing Quantum of Expenditure under Different Heads during 1988-89



Category	Percentage
Book Assistance under Matching Scheme	(45.72%)
Book Assistance under Non-Matching Scheme	(10.84%)
Financial Grant under Matching Scheme	(2.42%)
Financial Grant under Non-Matching Scheme	(10.29%)
Administration	(11.80%)
Other Promotional Activities	(1.21%)
Capital Expenditure	(17.72%)

**Statement of Audited Accounts
for
1988-89**

I. Receipts and Payments Accounts

Receipts		Rs.	P.	Rs.	P.
I. Opening Balance:					
Cash in hand		80.00			
Cash at Bank		2,65,774.72		2,65,854.72	
					1,000.0
Permanent Advance (Imprest)					
II. Contribution Received from the Governments of					
1. Andhra Pradesh			2,00,000.00		
2. Arunachal Pradesh			50,000.00		
3. Assam			50,000.00		
4. Gujarat			4,00,000.00		
5. Goa			40,000.00		
6. Himachal Pradesh			4,00,000.00		
7. Karnataka			4,00,000.00		
8. Maharashtra			5,00,000.00		
9. Manipur			50,000.00		
10. Meghalaya			70,000.00		
11. Mizoram			1,45,000.00		
12. Nagaland			50,000.00		
13. Orissa			11,00,000.00		
14. Punjab			2,00,000.00		
15. Tamil Nadu			9,00,000.00		
16. Uttar Pradesh			5,00,000.00		
17. West Bengal			4,00,000.00		
18. Andaman & Nicobar			50,000.00		
19. Chandigarh			1,50,000.00		
20. Pondicherry			25,000.00		
					56,80,000.00
		C/P.			59,46,854.72

for the period from 01.4.88 to 31.03.89

Payments

	Rs.	P.	Rs.	P.
I. Administration:				
1. Pay & Allowance of Staff	11,88,944.00			
Less : Recv. I.T.	18,973.00			
	<u>11,69,971.00</u>		11,60,789.00	
Less : Recv P. T.		9,182.00		1,29,510.00
				19,919.00
2. Travelling Allowances of Staff				
3. Medical & Other Allowances of Staff				
4. T. A. etc. of Non-Official members in connection with meeting of the Foundation, Administrative Committee etc			1,24,174.00	
5. Other Charges			3,93,213.55	
6. Leave Salary & Pension Contribution			8,375.00	
7. Maintenance of Staff Car			31,137.90	
8. Deposit to P & T Dept.			8,000.00	
9. Payment of Interest of GPF			43,546.75	
10. Staff Welfare			3,000.00	
11. Gratuity			11,900.00	
12. Departmental Canteen	30,669.00			
Less : Recv P. Tax	163.00			
	<u>30,506.00</u>			
13. Advances:				
(i) Festival			14,800.00	
(ii) Bi-Cycle			2,800.00	
(iii) House Building			30,000.00	
			<u>20,11,671.20</u>	

Receipts

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.			59,46,854.72	
III. Grants Received from Govt. of India:				
Non-Plan	12,50,000.00			
Plan	1,94,68,800.00		2,07,18,800.00	

IV. Miscellaneous Receipts:

1. Bank Interest	4,90,351.31			
2. Refund of T.A. (Staff)				
(i) Head Quarters	6,092.00			
(ii) Bombay Zonal Office	294.00			
(iii) Delhi Zonal Office	487.00			
3. Refund of Leave Salary	1,527.00			
4. Sales Proceeds	556.50			
5. Refund of Foundation Contribution to RRRLF A/C.	80,595.00			
6. Royalty	5,302.25			
7. Refund of T.A. (Members)	473.90			
8. Refund of Unspent balance of Pilot survey scheme under O.P.A.	197.41			
9. Board & Lodging of D.G.H.	12,049.70			
10. Refund of towards risk insurance of Car	910.00			

C/F.

5,98,836.07

2,66,65,654.72

Payments

	Rs.	P.	Rs.	P.
			20,11,671.20	
B/F.			9,182.00	
14. Deposit of Professional Tax			163.00	
15. Deposit of Professional Tax of Canteen Staff			40,184.00	
16. Payment of Bonus			18,973.00	
17. Deposit of Income Tax			53,018.00	
18. Pay & Allowances of Staff of Delhi Guest House			99,565.00	
19. Rent of Building for Delhi Guest House			10,542.65	
20. Other Charges for Delhi Guest House			36,583.00	
21. Pay & Allowances of DZO			1,161.00	
22. Bonus of DZO			870.00	
23. Other Charges of DZO			1,357.00	
24. Medical of DZO			19,192.00	
25. T. A. of DZO			36,940.00	
26. Pay & Allowances of BZO			1,835.00	
27. Other Charges of BZO			1,045.00	
28. Bonus of BZO			24,189.00	
29. T.A. of BZO			23,990.00	
30. Pay & Allowances of MZO			171.00	
31. Other Charges of MZO			16,166.00	
32. T.A. of MZO				

24,06,797.85

C/F.

Receipts

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.	5,98,836.07		2,65,65,654.72	
11. Refund of unspent balance under TV-cum-VCR Scheme	10,000.00			
12. Refund of unspent balance under Voluntary Scheme	688.27			
13. Refund of unspent balance under Storage of Books	50.00			
14. Others	<u>122.62</u>		<u>6,09,696.96</u>	
V. R.R.R.L.F. (CPF) Account (As per Receipts and Payments Account of CPF)			2,05,958.44	
VI. R.R.R.L.F. (GPF) Account (As per Receipts and Payments Accounts of GPF)			6,30,282.00	

2,81,11,592.12

C/F.

P a y m e n t s

Rs. P. Rs. P.
24,06,797.85

B/F.

II. Promotion of Library Services

(Continuing Schemes)

- | | |
|--|--------------|
| 1. Assistance towards building up of adequate stock of books and reading & visual materials. | |
| (i) Strengthening of District & Sub-Divisional & Rural Libraries. | 93,21,936.41 |
| (ii) Assistance to Centrally Sponsored Libraries | 31,387.00 |
| (iii) Assistance to State & District Libraries through Central Selection of Books | 21,77,543.75 |
| 2. Assistance towards Development of Rural Book Deposit Centres and Mobile Library Services | 29,047.00 |
| 3. Assistance to libraries towards storage of books | 79,260.00 |
| 4. Assistance towards Organisation of Seminars, Workshops, Training Courses and Book-Exhibition etc. | 1,29,400.00 |
| 5. Financial Assistance to Voluntary Organisations working in the field of Public Libraries. | 17,79,500.00 |

C/F.

1,35,48,074.16	24,06,797.85
----------------	--------------

Receipts

Rs. P. Rs. P.
2,81,11,592.12

B/F.

2,81,11,592.12

C/F.

Payments


	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.	1,35,48,074.16		24,06,797.85	
6. New Schemes :				
(i) Assistance to State Central Libraries & Dist. Libraries to acquire TV-cum-VCR and Cassetts for educational purpose	2,56,109.00			
(ii) Assistance to Children's Libraries & Children's Section of General Public Libraries.	3,17,620.00		1,41,21,803.16	
III. Other Promotional Activities :				
1. Meeting	1,70,675.80			
2. Special Library	22,699.50			
3. Publications	53,264.00		2,46,639.30	
IV. Capital Expenditure :				
1. Furniture & Equipment	11,546.00			
2. Furniture & Equipment for Delhi Guest House	2,578.35			
3. Building work-in-progress	29,92,400.14			
4. Furniture & Equipment for Delhi Zonal Office	7,914.00			
5. Furniture & Equipment for Madras Zonal Office	9,257.00			
6. Advance for purchase of Computer	4,05,000.00			
	<u>34,28,695.49</u>		<u>1,67,75,240.31</u>	
C/F.				

Receipts

Rs. P. Rs. P.

2,81,11,592.12

B/F.



2,81,11,592.12

GRAND TOTAL

Payments

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.	34,28,695.49		1,67,75,240.31	
7. Advance for purchase of Automatic copier	94,855.00			
8. Advance for purchase of Net Work Electronic Type Writer	51,003.00			
9. Advance for purchase of Vinarak Double Faced Library Racks	20,405.00			
10. Advance for purchase of Steel Book Case	16,678.00		36,11,636.49	
V. Closing Balance :				
1. Cash in hand	455.00			
2. Cash at bank	68,87,019.88		68,87,474.88	
3. Permanent Advance (Imprest)			1,000.00	
VI. RRRLF (Employees) CPF Account (As per Receipts & Payments Accounts of CPF)			2,05,958.44	
VII. RRRLF (Employees) GPF Account : (As per Receipts & Payments Accounts of GPF)			6,30,282.00	
GRAND TOTAL			2,81,11,592.12	

II. Income and Expenditure Account

Expenditure

I. Administration:

	Rs.	P.
1. Pay & Allowances of Staff	12,10,918.00	
2. Travelling Allowances of Staff	1,23,418.00	
3. Medical and other allowances of Staff	19,492.00	
4. T.A. etc. of the non-official members of the Foundation, Administrative Committee etc.	1,24,174.00	
5. Other Charges	3,94,415.75	
6. Leave Salary and Pension Contribution	8,375.00	
7. Maintenance of Staff Car	30,227.90	
8. Payment of Interest of GPF	43,546.75	
9. Staff Welfare	3,000.00	
10. Departmental Canteen	30,669.00	
11. Payment of Bonus	40,184.00	
12. Payment & Allowances of Staff of Delhi Guest House	53,618.00	
13. Rent of Delhi Guest House	1,02,000.00	
14. Other Charges for Delhi Guest House	10,928.65	
15. Gratuity	11,900.00	

22,06,867.05

C/F.

for the Year ending on 31.03.89

Income

I. Contribution Received from the Government:

(a) State Government

56,80,000.00

(b) Central Govt.

2,07,18,800.00

Less : Fund Capitalised for Capital Expenditure

58,696.33

2,06,60,103.67

2,63,40,103.67

2,63,40,103.67

Expenditure		Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.		22,06,867.05			
16.	Pay & Allowances of Delhi Zonal Office	36,583.00			
			1,161.00		
17.	Bonus of Delhi Zonal Office				
18.	Other Charges of Delhi Zonal Office	870.00			
		18,705.00			
19.	T.A. of Delhi Zonal Office	1,357.00			
20.	Medical of Delhi Zonal Office	23,895.00			
21.	T.A. of Bombay Zonal Office	1,045.00			
22.	Bonus of Bombay Zonal Office	1,835.00			
23.	Other Charges of B.Z.O.	36,940.00			
24.	Pay & Allowances of B.Z.O.	23,990.00			
25.	Pay & Allowances of M.Z.O.	171.00			
26.	Other Charges of M.Z.O.	16,166.00			
27.	T.A. of Madras Zonal Office				
		<u>23,69,585.05</u>			

II. Promotion of Library Services :
(Continuing Schemes)

1. Assistance paid by way of purchase and distribution of books (Distt., Rural, Central Selection and Centrally Sponsored Libraries

1,15,30,867.16

C/F.

1,15,30,867.16

23,69,585.05

Income

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.			2,63,40,103.67	
II. Miscellaneous Receipts:				
1. Interest on Cycle Advnances			76.00	
2. Refund of Foundation's Contribution to RRRLF A/C.			80,595.00	
3. Sales Proceeds			556.50	
4. Royalty From				
(a) M/S Naya Prakash	4,296.00		5,302.25	
(b) M/S Orient Longman	1,006.25			
			4,90,351.31	
III. Interest received from Bank:				
			600.00	
IV. Recovery of Service Charge from employees of Delhi Guest House				
			12,049.70	
V. Board and Lodging Charges of Delhi Guest House				
			5,381.44	
VI. R.R.R.L.F.(Employees) CPF A/C. (As per Income & Expenditure account of CPF)				
			3,64,616.00	
VII. R.R.R.L.F. (Employees) GPF A/C. (As per Income & Expenditure account of GPF)				

2,72,99,631.87

C/F.

Expenditure

	Rs.	P.	Rs. P.
B/F.	1,15,30,867.16		23,69,585.05
<i>Less</i> : Clearance of Old Liabilities during the year	4,58,606.04		
	<u>1,10,72,261.12</u>		
<i>Add</i> : Outstanding liabilities during the year	6,32,169.00		
	<u>1,17,04,430.12</u>		
2. Assistance to libraries towards storage of books	79,210.00		
3. Assistance towards organisation of Seminars, Workshops, Training Courses and Book Exhibition	1,29,400.00		
4. Financial Assistance to Voluntary Organisations working in the field of Public Libraries	17,78,811.73		
5. Assistance towards development of rural book deposit centres and Mobile Libraries	29,047.00		

C/F.

1,37,20,898.85

23,69,585.05

Income

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.			2,72,99,631.87	

C/F.

2,72,99,631.87

Expenditure

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.	1,37,20,898.85		23,69,585.05	

New Schemes :

1. Assistance to State Central Libraries and District Libraries to acquire TV-cum-VCR sets & Cassetts for Educational Purposes,

2,46,109.00

2. Assistance to Children's Libraries and Children's Section of General Public Libraries.

3,17,620.00

1,42,84,627.85

III. Other Promotional Activities :

1. Meeting

1,70,004.49

2. Publication

53,264.00

2,23,268.49

IV. R.R.R.L.F. (Employees) CPF A/C
(As per Income & Expenditure account of CPF)

5,381.44

V. R.R.R.L.F. (Employees) GPF A/C
(As per Income & Expenditure account of GPF)

3,64,616.00

1,00,52,153.04

VI. Excess of Income over Expenditure

GRAND TOTAL

2,72,99,631.87

Income

B/F.

Rs. P. Rs. P.

2,72,99,631.87

GRAND TOTAL

2,72,99,631.87

III. Balance Sheet as on:

Liabilities		Rs.	P.	Rs.	P.
I. Capital Fund :					
As per last Account		46,21,544.67			
Add : Fund Capitalised		58,696.33			
		46,80,241.00			
Add : Excess of Income over Expenditure		1,00,52,153.04		1,47,32,394.04	
II. Outstanding Liabilities :					
As per last Account		9,03,287.71			
Less : Cleared during the year		4,58,006.04			
		4,44,681.67			
Add : Outstanding Liabilities during the year		6,32,169.00		10,76,850.67	
				1,58,09,244.71	

C/F.

31st March 1989

Assets

	Rs.	P.	Rs.	P.
I. Furniture & Equipment :				
As per last Account	9,14,571.05			
Add : During the year	<u>16,194.00</u>			
	9,30,765.05			
Less : Refund Adjusted		<u>122.62</u>	9,30,642.43	
II. Land & Building :				
Land :				
As per last Account	80,768.45			
Add : During the year	<u>Nil</u>		80,768.45	
Building				
As per last Account	28,68,360.68			
Add : During the year	<u>Nil</u>		28,68,360.68	
Building-work in progress				
As per last Account	Nil			
Add : During the year	<u>32,21,517.15</u>		32,21,517.15	
III. Staff Car :				
As per last Account	1,16,886.61			
Add : During the year	<u>Nil</u>		1,16,886.61	
			<u>72,18,175.32</u>	

Liabilities

	Rs.	P.	Rs	P.
B/F.			1,58,09,244.71	
III. Security Deposit : As per last Account			1,800.00	
IV. R.R.R.L.F. (Employees) CPF Account : (As per balance sheet of CPF A/c)			Nil	
V. R.R.R.L.F (Employees) GPF Account : (As per balance sheet of GPF A/c)			5,92,842.00	

1,64,03,886.71

C/F.

Assets

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.			72,18,175.32	
IV. Special Library :				
As per last Account	96,527.22			
Add : During the year	22,875.60		1,19,402.82	
V. Deposit (P & T Deptt.) :				
As per last Account	13,751.00			
Add : During the year	8,000.00			
	21,751.00			
Less : Cleared during the year	1,144.00		20,607.00	
VI. Delhi Guest House :				
(a) Furniture & Equipment				
As per last Account	93,643.91			
Add : During the year	2,578.35		96,222.26	
(b) Land Lord (Rent of Building)				
As per last Account	9,435.00			
Less : Cleared during the year	2,435.00		7,000.00	

74,61,407.40

C/F.

Liabilities

Rs. P. Rs. P.
1,64,03,886.71

B/F.

1,64,03,886.71

C/F.

Assets

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.			74,61,407.40	
(c) <i>Deposit (P & T)</i>				
As per last Account	8,000.00			
Less : Cleared during the year	386.00		7,614.00	
(d) <i>Caution Money for Gas Cylinder</i> (As per last Account)			950.00	
VII. <i>Delhi Zonal Office :</i>				
<i>Furniture & Equipment</i>				
As per last Account	Nil		7,914.00	
Add : During the year	7,914.00			
VIII. <i>Bombay Zonal Office :</i>				
<i>Furniture & Equipment</i>				
As per last Account	8,635.44		8,635.44	
Add : During the year	Nil			
IX. <i>Madras Zonal Office :</i>				
<i>Furniture & Equipment</i>				
As per last Account	Nil		9,257.00	
Add : During the year	9,257.00			

74,95,777.84

Liabilities

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.			1,64,03,886.71	

1,64,03,886.71

C/E

Assets

	Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.			74,95,777.84	
X. Advances :				
(a) <i>Festival</i>				
As per last Account	7,680.00			
Add : During the year	14,800.00			
	22,480.00			
Less : Refund During the year	16,880.00		5,600.00	
(b) <i>Bi-Cycle</i>				
As per last Account	1,696.00			
Add : During the year	2,800.00			
	4,496.00			
Less : Refund during the year	2,128.00		2,368.00	
(c) <i>Flood :</i>				
As per last Account	3,990.00			
Less : Refund during the year	3,990.00		
(d) <i>House Building</i>				
As per last Account	30,000.00			
Add : During the year	30,000.00		60,000.00	
XI. Advances :				
(a) <i>Advance for construction of Office Building to NBCC.</i>				
As per last Account	10,00,000.00			
Less : Cleared during the year	2,29,117.01			
	7,70,882.99		75,63,745.84	
C/F.				81

Liabilities

Rs. P. Rs. P.
1,64,03,886.71

B/F.

1,64,03,886.71

C/F.

Assets

	B/F.	Rs. P.	Rs. P.
		7,70,882.99	75,63,745.84
(b) Advance for purchase of UNESCO publications for Special Library			
As per last Account	234.30		
Less : Cleared during the year	<u>234.30</u>	Nil	
(c) Advance for purchase of Visadex Cabinet			
As per last Account	4,648.00		
Less : Cleared during the year	<u>4,648.00</u>	Nil	
(d) Advance to HCL for purchase of Computer			
As per last Account	Nil		
Add : During the year	<u>4,05,000.00</u>	4,05,000.00	
(e) Advance to HCL for Automatic Copier with zoom facility			
As per last Account	Nil		
Add : During the year	<u>94,855.00</u>	94,855.00	
(f) Advance to ICN LTD. for purchase of Net— Work Electronic Typewriter			
As per last Account	Nil		
Add : During the year	<u>51,003.00</u>	51,003.00	
		<u>13,21,740.99</u>	<u>75,63,745.84</u>
C/F.			83

Liabilities

Rs. P. Rs. P.
1,64,03,886.71

B/F,

1,64,03,886.71

GRAND TOTAL

Sd/-
A. K. BANERJEE
Assistant Secretary

Assets

		Rs.	P.	Rs.	P.
B/F.		13,21,740.99		75,63,745.84	
(g) Advance to Himalux (P) Ltd. for purchase of Vinorak Double Faced Library Rack	Nil				
As per last Account	Nil				
Add : During the year	<u>20,405.00</u>	20,405.00			
(h) Advance to Khaitan Furniture for Purchase of Steel Book Case	Nil				
As per last Account	Nil				
Add : During the year	<u>16,678.00</u>	16,678.00		13,58,823.99	
XII. R.R.R.L.F. (Employees) CPF Account : (As Per Balance Sheet of C & F A/c)				Nil	
XIII. R.R.R.L.F. (Employees) GPF Account : (As per Balance Sheet of G & F A/c)				5,92,842.00	
XIV. Closing Balance :		455.00			
Cash in hand		<u>68,87,019.88</u>		68,87,474.88	
Cash at Bank				1,000.00	
Permanent Advance (Imprest)					

GRAND TOTAL :

1,64,03,886.71

Sd/a
B. P. BARUA
Director

Raja Rammohun Roy Library

I. Receipts and Payments Account

Receipts

	Rs.	P.	Rs.	P.
I. Opening Balance:				
Cash in Hand		Nil		
Cash at Bank	51,877.00			
Investment	1,48,700.00		2,00,577.00	
				351.00
II. Subscription received				5,030.44
III. Bank Interest on C.P.F.				

GRAND TOTAL :

2,05,958.44

Foundation C.P.F. Account

for the Period from 01.04.88 to 31.03.89

Payments

	Rs.	P.	Rs.	P.
I. Cash at Bank transferred to Foundation's Account			51,877.00	
II. Subscription transferred to Foundation's Account			351.00	
III. Bank Interest transferred to Foundation's Account			5,030.44	
IV. Investment transferred to G.P.F. Account			1,48,700.00	
V. Closing Balance				
Cash in Hand	Nil			
Cash at Bank	Nil			Nil
Investment	Nil			

GRAND TOTAL :

2,05,958.44

II. Income and Expenditure Account of C.P.F.

Expenditure

	Rs.	P.	Rs.	P.
I. Subscription transferred to Foundation's Account				351.00
II. Bank Interest transferred to Foundation's Account				5,030.44

GRAND TOTAL :

5,381.44

for the Year ending on 31.03.89

Income

- I. Subscription received
- II. Bank Interest on C.P.F.

Rs. P.

351.00

5,030.44

GRAND TOTAL :

5,381.44

89

III. Balance sheet of C P F Account as on

		Rs.		P.	
Liabilities		Rs.	P.	Rs.	P.
I. RRRLF C.P.F. Account					
As per last Account				2,00,577.00	
Less : Transferred to					
Foundation's Account		51,877.00			
Less : Investment transferred					
to G.P.F. Account		1,48,700.00		2,00,577.00	Nil
		<u> </u>		<u> </u>	

Nil

GRAND TOTAL :

Sd/-
A. K. BANERJEE
Assistant Secretary

March 31, 1989

Assets

I. Closing Balance:

Cash in hand

Cash at Bank

Investment

Rs.

P.

Rs.

P.

Nil

Nil

Nil

Nil

GRAND TOTAL :

Nil

Sd/-
B. P. BARUA
Director

Raja Rammohun Roy Library Foundation

I. Receipts and Payments Account for the

Receipts			
	Rs.	P.	Rs. P.
I. Opening Balance			
Cash in Hand	Nil		
Cash at Bank	32,668.00		
Investment	2,00,000.00		2,32,668.00
II. Subscription	1,54,623.00		
III. Refund	32,998.00		
IV. Interest from Bank	6,611.25		2,37,779.00
V. Interest paid by Foundation	43,546.75		1,48,700.00
IV. Investment received from CPF			11,135.00
VII. Interest received on account of matured value of NSC			

GRAND TOTAL :

6,30,282.00

General Provident Fund Account

Period from 01.04.88 to 31.3.89

		Payments	
	Rs.	P.	Rs. P.
I. Payment of Advance			53,213.00
II. Payment to Foundation Account to accommodate the Investment			28,367.00
III. Interest received on matured value of NSC transferred to Foundation's Account			11,135.00
IV. Closing Balance :		Nil	
Cash in hand	2,05,867.00		
Cash at Bank	3,31,700.00		
Investment			5,37,567.00

GRAND TOTAL :

6,30,282.00

II. *Income and Expenditure Account of G.P.F.*

Expenditure

	Rs.	P.
I. Payment to Foundation Account to accommodate the Investment	28,367.00	
II. Interest received on Account of matured value of NSC transferred to Foundation's Account	11,135.00	
III. Excess of Income over Expenditure	3,25,114.00	

GRAND TOTAL

3,64,616.00

for the Year ending on 31.3.89

Income	
	Rs. P.
I. Subscription	1,54,623.00
II. Interest	6,611.25
III. Interest paid by Foundation	43,546.75
IV. Interest received on account of matured value of NSC	11,135.00
V. Investment received from CPF	1,48,700.00
<hr/>	
GRAND TOTAL	3,64,616.00
<hr/>	

III. Balance sheet of GPF Account as on

Liabilities

RRRLF (GPF) Account

As per last Account

Rs. P.
2,32,668.00

Add: Advance outstanding as on
01.04.88 not taken into
account

35,060.00

2,67,728.00

Surplus as per Income &
Expenditure Account

3,25,114.00

5,92,842.00

GRAND TOTAL :

5,92,842.00

Sd/-
A. K. BANERJEE
Assistant Secretary

March 31, 1989

Assets

	Rs.	P.	Rs.	P.
I. Advances :				
As per last Account	35,060.00			
Add : During the year	53,213.00			
	<u>88,273.00</u>			
Less : Cleared during this year	32,998.00		55,275.00	
II. Closing Balance :				
Cash in hand	—			
Cash at Bank	2,05,867.00		2,05,867.00	
	<u>2,00,000.00</u>			
Investment:				
As per last Account	1,48,700.00			
Add : During this year	3,48,700.00			
	<u>17,000.00</u>		3,31,700.00	
Less : Matured during this year				

GRAND TOTAL :

5,92,842.00

Sd/
B. P. BARUA
Director

Audit Report on the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Calcutta for the year 1988-89.

1. Introductory :

The Raja Rammohun Roy Library Foundation was set up by the Government of India in May, 1972 as an autonomous body registered under the West Bengal Societies' Registration Act, 1961 with a view to promoting and supporting the public library movement in the country by providing adequate library services and popularising the reading habit among the people, particularly in rural areas. It is mainly financed by the Government of India and it renders financial aid and technical assistance to libraries all over the country. The annual accounts of the Foundation have been audited under section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

2. Utilisation of grants and contributions :

2.1. The details of utilisation of grants and contributions received during the year 1988-89 were as follows :

	<i>Amount</i> (Rs. in lakhs)
A. Opening balance as on 1st April, 1988	2.66
B. Grants received from the Govt. of India during the year 1988-89.	
(i) Non-Plan 12.50	207.19
(ii) Plan 194.69	209.85
}	
C. Contributions received during 1988-89	
(i) 17 States 54.55	56.80
(ii) 3 Union Territories 2.25	266.65
}	

	<i>Amount</i> (Rs. in lakhs)
B/F.	266.65
D. Miscellaneous receipts	<u>6.09</u>
Total of A+B+C+D	272.74
Less : Payments during the year 1988-89	<u>203.87</u>
Closing balance	68.87

2.2. The Plan grant of Rs. 194.69 lakhs released by the Government of India during 1988-89 was inclusive of Rs. 54.69 lakhs which were sanctioned for the year 1987-88 but received by the Foundation in 1988-89.

2.3. Out of total unspent balance of Rs. 68.87 lakhs as on 31st March 1989, Rs. 0.85 lakh represented Government of India Non-plan grant, Rs. 17.95 lakhs represented Government of India Plan grant and the balance of Rs 50.07 lakhs represented state governments'/union territories' matching contributions.

2.4. There were outstanding liabilities to the tune of Rs. 10.77 lakhs against an unspent grant (Plan) of Rs. 17.95 lakhs as on 31st March, 1989.

Total "committed liabilities" under the "Matching Assistance Schemes" on the basis of contributions received from different state governments/union territories amounted to Rs. 50.07 lakhs (being 50% of the matching grants of Rs. 100.14 lakhs).

The Foundation in its reply stated (August 1989) as follows :

"Assistance is released from the allotted fund of the Government of India. If any deficit occurs, this office will move to the Ministry for additional funds to meet demands. Past experience reveals that all the

states/union territories are not able to utilise their share within the particular year.”

- 2.5. The quantum of financial assistance rendered by the Foundation for each state and union territory was generally given on matching basis in equal ratio and the maximum amount to be matched in a year was Rs. 5 lakhs depending on the size, population and past utilisation and also availability of resources of the states. Though the state government and union territories did not pay contributions every year, the arrears were subsequently paid in order to obtain benefits of the scheme for the respective years.

The states continued the practice of sending proposals for purchase of books for several years together as before. The accounts, however, did not reflect and distinguish contributions received as for the current year and the past years. The Foundation, however, stated (October 1989) that it had been rendering matching assistance for two financial years from the year of receipts irrespective of year of contribution. Accordingly accounts were prepared on the basis of actual receipts.

3. Comments on Accounts.

3.1 Balance Sheet (Central Fund)

Outstanding liabilities.

The year-wise break-up of outstanding liabilities amounting to Rs. 10.77 lakhs as on 31st March, 1989 is as follows :

	(Rs. in lakhs)
Prior to 1985-86	1.04
1985-86	0.11
1986-87	0.50
1987-88	2.80
1988-89	6.32
Total	<u>10.77</u>

The detailed break-up of outstanding liabilities prior to 1985-86 could not, however, be produced to audit for verification.

The total outstanding liabilities were related to outstanding dues to be paid to different suppliers and publishers against their supplies under different schemes. The same could not be cleared so far due to non-receipt of acknowledgements from the concerned libraries. The Foundation, however, stated that steps were being taken to clear the outstanding liabilities.

3.2 Receipts and Payments Account (General Fund) Other charges.

During 1988-89 total payment under the head "other charges" was Rs. 3.93 lakhs. It included Rs. 0.58 lakh representing payment made towards advance subscriptions for purchase of journals and periodicals, both foreign (Rs. 0.57 lakh) and Indian (Rs. 0.01 lakh).

The Foundation till the end of March, 1989 had received not a single copy of foreign journals as against the subscriptions paid as advance. The payment made towards subscriptions was, therefore, required to be treated as "outstanding advances" awaiting adjustment and the position be reflected in the Annual Account of the Foundation accordingly. Instead, the Foundation had charged the entire amount to revenue under the head "other charges". This was irregular and would need rectification. The Foundation, however, stated (October 1989) that necessary rectification would be made during 1989-90.

Besides, the Foundation had received journals and periodicals valued Rs. 0.12 lakh during the period from 1984-85 to 1987-88. The value of these assets so acquired need be reflected in the balance sheet in the year in which these were bound.

The Foundation, however, stated (August 1989) that the physical verification of journals/periodicals had been conducted last in July, 1989 and no binding work relating to valuable journals/periodicals had been taken up so far as they had not acquired sufficient number of journals for binding.

4. Contributions received in excess of quantum fixed.

The quantum of financial assistance rendered by the Foundation for each state and union territory is generally governed on a matching basis in equal ratio and maximum amount to be matched in a year was enhanced from Rs. 2 lakhs to Rs. 5 lakhs during the 7th Plan period depending on size, population and availability of resources of states and union territories. In the case of the state of Orissa, the maximum quantum was fixed at Rs. 4 lakhs during the 7th Plan period.

Scrutiny of records revealed that the Government of Orissa paid (August 1988) Rs. 7 lakhs as contributions received the year 1988-89. The amount of contributions received thus was in excess of the quantum by Rs. 3 lakhs. The Foundation stated that Government of Orissa had released the contribution on its own accord. The Government of Orissa decided (October 1988) to approach the Government of India for release of additional grants. The sanction of the Ministry in this regard was still awaited (August 1989).

5. Accounts not submitted by libraries receiving financial assistance.

The Foundation rendered financial assistance (paid in the form of cash grants) to the tune of Rs. 25.91 lakhs during the year 1988-89 to different libraries for which utilisation certificates and audited statements of accounts were to be furnished to the Foundation in support of the expenditure incurred out of the grant after the close of the financial year in which the grant was paid. It was observed that

many libraries receiving cash grants did not furnish such utilisation certificates and statement of accounts to the Foundation. The position of cash grant released upto 1988-89 and the number of defaulting libraries are indicated below :

Name of the Schemes	Amount paid upto 1988-89	No. of Libraries covered	Amount for which utilisation certificates not received upto 31st March 1989.	No. of libraries involved
(Rupees in lakhs)				
1. Binding and Preservation of Rare Books.	7.74	461	1.48	70
2. Seminars, Workshops, Training Courses & Book Exhibitions.	6.25	82	2.58	28
3. Storage of Books	10.73	1,530	6.81	946
4. Voluntary Organisations	70.62	273	64.52	245
5. Children's Libraries	5.75	187	4.00	160
6. T.V. cum VCR & Cassettes	5.94	20	5.64	19
7. Rural Book Deposit Centres	0.29	4	0.29	4

The Foundation stated (August 1989) that steps would be taken to obtain the documents from the defaulting libraries.

6. **Committed Liability :**

6.1 Committed liability of the Foundation during the last three years on different assistance schemes was as follows :

<u>1986-87</u>	<u>1987-88</u>	<u>1988-89</u>
(Rupees in lakhs)		
91.58	82.28	97.52

The committed liability represented the amount of assistance due against contributions received from states and union territories but remained unspent due to various reasons like non-submission of proposals by the beneficiary states and union territories and non-submission of adjustment bills by the suppliers of books and also due to expenditure incurred for some states by diversion of contributions received from other states to be adjusted against the future contributions of the defaulting states. The extent of unspent contributions of states and union territories amounted to Rs. 50.07 lakhs as on 31st March, 1989. During the year 1988-89 there was excess expenditure for the states of Assam and Rajasthan to the extent Rs. 0.97 lakh and Rs. 4.40 lakhs respectively. Similarly, excess expenditure incurred during the year 1987-88 for the states of Orissa, West Bengal and Goa had been adjusted during 1988-89.

The rates of matching assistance to the states and union territories during Seventh Plan period were revised as under :

Names of the States & Union Territories.

Andhra Pradesh, Bihar, Maharashtra, Uttar Pradesh.

Gujarat, Karnataka, Orissa, Tamil Nadu, West Bengal.

Assam, Haryana, Kerala, Madhya Pradesh, Punjab & Rajasthan.

Amount
(Rs. in lakhs)

5

4

3

<u>Names of the States & Union Territories.</u>	<u>Amount (Rs. in lakhs)</u>
---	------------------------------

Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Manipur, Sikkim, Tripura.	0.7
Union Territory.	0.5

But it was seen from the states and union territory-wise list of committed liabilities that out of the total committed liability of Rs. 97.52 lakhs, the liability of the following states was above Rs. 5 lakhs.

<u>Names of the States</u>	<u>Amount (Rs. in lakhs)</u>
1. Andhra Pradesh	10.63
2. Himachal Pradesh	9.29
3. Gujarat	6.71
4. Karnataka	10.93
5. Orissa	17.89
6. Tamil Nadu	9.45
7. Uttar Pradesh	11.86
8. Maharashtra	10.39

The Foundation stated (August 1989) that reasons for the amount lying unspent were non-receipt of proposals, bills etc. from the concerned states within the financial year. Further, it was observed that the union territories and the states of Haryana, Jammu and Kashmir, Dadra and Nagar Haveli, Delhi, Lakshadwip and Minicoy did not participate in the activities of the Foundation by sending their matching contributions. Regarding reasons for non-participation of the states/union territories in the assistance scheme of the Foundation, the organisation stated that there were no statutory provisions in its hands to compel the states/union territories to participate in the schemes of the Foundation. The schemes of the Foundation could be operated with the active support and co-operation of the states and union territories. The Foundation, however, pursued the matter with the non-participating states/union territories.

7. Inspection of libraries :

As per Annual Report of the Foundation for the year 1987-88, the Foundation covered 20,086 libraries at various levels and rendered total assistance of Rs. 795.54 lakhs upto 1987-88. During the year 1988-89 the Foundation covered 7,180 libraries and rendered financial assistance to the tune of Rs. 141.22 lakhs. Thus, total number of libraries covered and financial assistance rendered during the last 17 years were 27,266 (20,086+7,180) and Rs. 936.76 lakhs (795.54+141.22 lakhs) respectively. Details relating to the number of libraries covered, the amount of financial assistance rendered and the number of libraries inspected since inception to the end of 1988-89 were as follows :

Year	No. of libraries covered	Amount of financial assistance rendered (Rs. in lakhs)	No. of libraries actually inspected.
upto 1976-77		106.16	Not available.
1977-78	3090	31.43	-do-
1978-79	6113	37.97	-do-
1979-80	5747	31.89	10
1980-81	4998	37.12	9
1981-82	6676	32.98	10
1982-83	1957	49.12	18
1983-84	3369	39.70	26
1984-85	2961	51.28	20
1985-86	2224	55.54	12
1986-87	4387	133.35	460
1987-88	6086	189.00	625
1988-89	7180	141.22	<u>1190</u>
Total :		<u>936.76</u>	

Out of 7,180 libraries covered during 1988-89 under different assistance schemes, 625 libraries were inspected during 1988-89 by the staff of the Foundation, the percentage being 8.06 only. Although the number of libraries inspected during the year 1988-89 had increased to 625 from 460 during 1987-88, the increase was negligible considering the number of libraries still remaining uncovered. The inspection unit of the Foundation should, therefore, be strengthened further so as to cover a substantial number of libraries assisted under the various schemes of the Foundation.

Sd/-
Smt. M. Chatterjee
Director of Audit (Central)
Calcutta.

Place : Calcutta
Date : 4. 12. 89

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the Receipts & Payments Account / Income & Expenditure Account for the year ended 31st March, 1989 and the Balance Sheet as at 31st March, 1989 of the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Calcutta. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Calcutta, according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

Sd/-
Smt. M. Chatterjee
Director of Audit (Central)
Calcutta.

Place : Calcutta
Date : 4. 12. 89

Foundation's Comments on the Audit Report of
Raja Rammohun Roy Library Foundation, Calcutta
for the year 1988-89.

<u>Para</u>	<u>Comments</u>
1 to 3	No comments.
4	Request for additional grant of Government of Orissa has been approved in the 30th General Body Meeting of the Foundation held on October 08, 1988. Minutes of the said Committee provides that Foundation can give additional assistance, if available funds are not utilised by some other states.
5	In terms of the conditions of the sanctioned letter made in pursuance of the Rules of the Schemes for the year 1988-89, Utilisation Certificates and Statement of Audited Accounts of such grants have not yet been due from the majority of the grantee libraries.
6 and 7	No comments.

Sd/-
B. P. Barua
Director
Raja Rammohun Roy Library Foundation
Block-DD-34, Sector-I, Salt Lake City
Calcutta-700 064

राजा राममोहन राय पुस्तकालय
प्रतिष्ठान

सत्रहवाँ
वार्षिक प्रतिवेदन
1988-89

ब्लॉक-डी० डी०-34, सेक्टर-1,
साल्ट लेक
कलकत्ता-700 064

दिसम्बर 1989

प्रकाशनाधिकार :

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

ब्लाक-डी० डी०-34, सेक्टर-1

साल्ट लेक, कलकत्ता-700 064

दूरभाष : 37-3463, 37-3464

डा० बी० पी० बरुआ, निदेशक, राजा राममोहन राय पुस्तकालय
प्रतिष्ठान, ब्लाक-डी० डी०-34, सेक्टर-1, साल्ट लेक, कलकत्ता
द्वारा प्रकाशित तथा मेहता फाईन आर्ट प्रेस, 20, बालमुकुन्द
मक्कर रोड, कलकत्ता-700 007, फोन : 39-1247 द्वारा मुद्रित।

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

वार्षिक विवरण

1987-88

विषय	अनुक्रमणिका	पृष्ठ संख्या
अध्याय एक : परिचय		1
अध्याय दो : पुस्तक सहायता		5
अध्याय तीन : वित्तीय सहायता		10
अध्याय चार : प्रोत्साहक गतिविधियाँ		15
अध्याय पाँच : प्रशासन		19
अध्याय छः : उपसंहार		24
	परिशिष्ट	27
1. प्रतिष्ठान—सदस्य		32
2. प्रशासन समिति के सदस्य		33
3. राज्य पुस्तकालय योजना समिति/राज्य पुस्तकालय समिति के संयोजकों की सूची		40
4. संगठन चार्ट		41
5. राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान क्षेत्रीय कार्यालय		43
6. वर्ष 1988-89 के दौरान समस्त परियोजनाओं के अन्तर्गत सहायता का विवरण		

विषय	पृष्ठ संख्या
7. परिसंवाद, कार्यशालाओं आदि के आयोजन हेतु वर्ष 1988-89 में सहायता का विवरण	45
8. वर्ष 1988-89 के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को दी गई सहायता का विवरण	48
9. वर्ष 1988-89 में बाल पुस्तकालयों को दिये गये अनुदान का विवरण	62
10. 1988-89 वर्ष में प्रतिष्ठान द्वारा सहायता प्राप्त पुस्तकालयों का विवरण	64
11. वर्ष 1972-73 से 1988-89 तक प्रतिष्ठान द्वारा पुस्तकालयों को दी गई सहायता का विवरण	66
12. वर्ष 1988-89 में निरीक्षण किये गये पुस्तकालयों का विवरण	69
13. विभिन्न मददों के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 में व्यय की गई राशि का चार्ट	71
14. वर्ष 1988-89 के दौरान परिक्षीत लेखा का विवरण	73

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

सत्रहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन

1988-89

अध्याय-एक

परिचय

इस वार्षिक प्रतिवेदन में राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के सत्रहवें वर्ष की गतिविधियाँ समाविष्ट हैं। प्रतिष्ठान संस्कृति विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठापित एक स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना 1972 में राजा राममोहन राय की द्वितीय जन्मशताब्दी के अवसर पर, अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष तथा भारतीय स्वाधीनता समारोह की रजत जयन्ती के वर्ष हुई। राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों तथा इस क्षेत्र में कार्यरत अन्य संगठनों के सहयोग से पुस्तकालय आन्दोलन को छोटे कस्बों और गांवों तक ले जाना प्रतिष्ठान की स्थापना का मुख्य लक्ष्य है, जिससे कि सभी वर्गों के लोगों को पठन सुविधाएँ दी जा सकें। पश्चिम बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत प्रतिष्ठान पंजीकृत है।

चूँकि पुस्तकालय सेवा राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, प्रतिष्ठान सांविधानिक प्रावधानों की निश्चित सीमाओं के अन्तर्गत ही कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र, जनसंख्या, साक्षरता प्रतिशत, क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य उत्पादन तथा पुस्तकालय सेवाओं की संरचना दृष्टि से

राज्यों में विभिन्नता है। स्वभावतः, प्रतिष्ठान द्वारा राज्यों को दी जानेवाली सहायता के परिणाम तथा मात्रा में राज्य राज्य की दृष्टि में अन्तर है। कुछ राज्य जिन्होंने पुस्तकालय अधिनियम को अभिग्रहण कर लिया है जैसे— तामिलनाडु (1948), आंध्र प्रदेश (1960), कर्नाटक (1965) महाराष्ट्र (1967), तथा पश्चिम बंगाल (1979) दूसरों से काफी आगे बढ़ गये हैं। यद्यपि मणिपुर (1988) और केरल (1989) में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो गये हैं, तथापि वे अभी लागू नहीं हुए हैं। बिना अधिनियम के ही कुछ राज्य सरकारों ने पुस्तकालय स्थापित और प्रवर्तित करने में पहल की है तथा कुछ अन्य राज्य सहायता प्राप्त पुस्तकालयों और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं की प्रोन्नति कर रहे हैं। समतुल्य तथा गैर-समतुल्य सहायता परियोजना के अन्तर्गत अपने सीमित संसाधनों से प्रतिष्ठान ने सभी प्रकार के सार्वजनिक पुस्तकालयों की प्रोन्नति के लिए कदम उठाये हैं।

यह प्रतिष्ठान वित्त पोषक निकाय तो है ही, साथ ही यह देश के सार्वजनिक पुस्तकालयों को विकसित करने, उनका मार्ग दर्शन और उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने वाला एक राष्ट्रीय अभिकरण भी है। इस प्रतिष्ठान को देशभर में पुस्तकालय आन्दोलन को बढ़ावा देने का दायित्व भी सौंपा गया है। वस्तुतः पुस्तकालय आन्दोलन को बढ़ावा देने का अर्थ अध्ययनशील लोगों की सुविधा के लिए अधिकाधिक पुस्तकालयों की स्थापना है। देश में पुस्तकालय सेवाओं के सुधार हेतु प्रतिष्ठान ने कतिपय समतुल्य और गैर-समतुल्य सहायता परियोजनाएँ अपनायी हैं। समतुल्य परियोजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए कोई भी राज्य पूर्व निर्धारित आधार पर अपना अंशदान जमा कर प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों में भाग ले सकता है। आकार, जनसंख्या, पुस्तकालय संरचना तथा पहले प्राप्त निधि के उपयोग के आधार पर सहायता की राशि 50,000 रुपया से 5,00,000 रुपये तक हो सकती है। गैर-समतुल्य सहायता सामान्यतः सभी राज्यों और संघ राज्य

क्षेत्रों के राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा जिला पुस्तकालयों को अंशतः अपनी अध्ययन सामग्री स्टॉक में अभिवृद्धि हेतु तथा अंशतः पुस्तकालयों के बाल अनुभाग के विकास के लिए दी जाती है। सभी श्रेणी के पुस्तकालयों जैसे— सरकारी, अर्ध-सरकारी, सांविधिक यहाँ तक की स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित पुस्तकालयों को भी सहायता दी जाती है। चूँकि अध्ययन में ह्वि उत्पन्न करना प्रधान प्रयोजन है, अतएव सहायता का अधिकतम भाग पुस्तकालयों में पुस्तक स्टॉक बढ़ाने हेतु दिया जाता है। विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत पुस्तकालय भवन निर्माण, फर्नीचर, उपकरण तथा दृश्य-श्रव्य सामग्री के क्रय हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है। सुविधा विहित समुदाय के लोगों को पुस्तकालय सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दृष्टि से कुछ वर्ष पूर्व प्रतिष्ठान ने चल पुस्तकालय सेवा और ग्रामीण पुस्तक संचयन केन्द्रों के विकास हेतु एक सहायता परियोजना प्रारम्भ की। संगोष्ठियों, कार्यशालाओं अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु सहायता परियोजना आरम्भ कर पुस्तकालय सेवाओं के स्तर में सुधार के प्रयास भी किये गये। वर्ष 1987-88 के दौरान तीन नवीन परियोजनाएँ अपनायी गयी। (1) जिला स्तर से नीचे वाले पुस्तकालयों के लिये स्थान विस्तार, (2) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों और जिला पुस्तकालयों द्वारा शैक्षणिक प्रयोजन हेतु टी० वी०-सह-वी० सी० आर० की प्राप्ति और (3) बाल पुस्तकालय अथवा सार्वजनिक पुस्तकालयों में बाल अनुभाग विकास। यद्यपि राज्यों ने सीमित अर्थ व्यवस्था के कारण स्थान विस्तार की सुविधा लेने में अनिच्छा दिखाया तथापि उनमें से अधिकतर ने अन्य दो परियोजनाओं पर आभार व्यक्त किया।

देश के सार्वजनिक पुस्तकालयों का आकड़ा आधार विकसित करने की दृष्टि से प्रतिष्ठान ने एक कम्प्यूटर-सह-समकालित अनुसंधान कक्ष गठित करने का निर्णय लिया था। इस लक्ष्य को ध्यान में रख कुशल क्षमता और कार्य के लिए एक लघु कम्प्यूटर प्रतिष्ठापित करने तथा अन्य रिप्रोग्राफिक और

इलेक्ट्रॉनिक मशीन प्राप्ति की कार्यवाही की गयी। वर्षावधी में कार्यालय भवन विस्तार के लिये तीन तल्ले निर्माण का कार्य हुआ और वर्तमान आर्थिक वर्ष की समाप्ति तक प्रयोजना पूर्ण होने की संभावना है।

संस्कृति विभाग, भारत सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ वाले पुस्तकालय कर्मचारियों की पुनरीक्षण समिति एवं पुस्तकालय तथा सूचना सम्बन्धी योजना आयोग आठवीं योजना के कार्यकारी दल की अध्यक्षता इस वर्ष प्राध्यापक डी० पी० चट्टोपाध्याय ने की। प्रतिष्ठान के निदेशक भी समितियों से सम्बन्धित रहे। संस्कृति विभाग के सांस्कृतिक सांख्यिकीय कार्यकारी दल की विभिन्न बैठकों में भी डा० बी० पी० बरूआ ने भाग लिया। राममोहन से नेहरू तक भारत में धर्म निरपेक्षता विषय पर राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन प्रतिष्ठान ने भारतीय स्वाधीनता की चालसवीं जयन्ती तथा पण्डित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के अवसर पर किया। दिसम्बर 1988 में कलकता में आयोजित भारतीय पुस्तकालय संघ और विशिष्ट पुस्तकालय और सूचना केन्द्रों के संयुक्त आयोजन में प्रतिष्ठान ने बंगाल पुस्तकालय संघ को सहयोग किया।

परन्तु प्रोन्नति क्रियाओं के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास कार्य था। फरवरी 25-26, 1989 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित सार्वजनिक पुस्तकालय विकास का आठवीं योजना के परिपेक्ष में अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन/सम्मेलन का उद्घाटन भारत सरकार का शिक्षा और संस्कृति राज्य मंत्री, श्री एल. पी. शाही ने किया। सार्वजनिक पुस्तकालय पद्धति और सेवा मार्ग दर्शक प्रायोजना में सन्तोषजनक प्रगति हुई।

संक्षेप में सातवीं योजना के चौथे वर्ष में पुस्तकालयों को सहायता देने का न केवल अपना नियमित क्रिया-कलाप जारी रखा। वरन् देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के गुणात्मक सुधार हेतु प्रोन्नति कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया।

अध्याय-दो

पुस्तक सहायता

प्रत्येक पुस्तकालय के लिये पुस्तकों प्रथम आवश्यकता है। पुस्तकालयों में उनकी उपलब्धता तथा उपयोगिता पाठकों को आकर्षित करती है।

एक पुस्तकालय को न केवल उत्तम पाठ्य-सामग्री रखनी होती है, वरन समय-समय पर अपने भण्डार की पुनर्पूर्ति भी करनी होती है। तथापि अनेक पुस्तकालय अपने स्रोतों से ही इस बढ़ती हुई मांग की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। उपलब्ध निधि का अधिकतम भाग कर्मचारियों के संपोषण में ही व्यय हो जाता है। अतएव प्रतिष्ठान ने भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों में पुस्तक भण्डार वृद्धि का कदम उठाया। सातवीं योजना के दौरान प्रतिष्ठान ने पुस्तकालयों को पुस्तक सहायता की मुख्य परियोजना समुचित पुस्तक भण्डार तथा अन्य पाठ्य-एवं-दृश्य सामग्री सहायता जारी रखी।

इस परियोजना के अन्तर्गत सहायता दो स्रोतों से दी जाती है : (1) समतुल्य स्रोत तथा (2) केन्द्रीय (गैर-समतुल्य) स्रोत। जब सहायता समतुल्य स्रोत से दी जाती है, तब पुस्तकों के चयन, क्रय एवं वितरण का दायित्व राज्य अधिकारियों पर होता है। और जब सहायता केन्द्रीय स्रोत से दी जाती है तब पुस्तकों के चयन और आपूर्ति का दायित्व प्रतिष्ठान का होता है।

प्रतिष्ठान के आग्रह पर प्रत्येक राज्य तथा केन्द्रीय शासित क्षेत्र में गठित राज्य पुस्तकालय योजना समिति अथवा राज्य पुस्तकालय समिति (एस.

समतुल्य पुस्तक सहायता

एल. पी. सी./एस. एल. सी.) इस वृहद परियोजना के लिए प्रस्ताव तैयार करती हैं। ये समितियों पुस्तक सूचियाँ तथा पुस्तकों भेजने के लिये पुस्तकालय नामावली तैयार करती हैं। इस कार्य हेतु प्रतिष्ठान ने विस्तृत मार्ग-दर्शिका जारी की है।

एक बार जब पुस्तक सूचियाँ और सहायता पाने वाले पुस्तकालयों के नाम एस. एल. सी./एस. एल. पी. सी. द्वारा अनुमोदित कर लिये जाते हैं तब पुस्तकों के क्रय एवं वितरण की कार्यवाही की जाती है। कुछ राज्य तथा केन्द्रीय शासित क्षेत्रों ने पुस्तकों के क्रय एवं वितरण का दायित्व लेना जारी रखा। जैसे—(1) आंध्र प्रदेश, (2) अरुणाचल प्रदेश, (3) असम, (4) बिहार, (5) चण्डीगढ़, (6) गुजरात, (7) गोआ, (8) हिमाचल प्रदेश, (9) कर्नाटक, (10) केरल, (11) मध्य प्रदेश, (12) महाराष्ट्र, (13) मणिपुर, (14) मिजोरम, (15) उड़ीसा, (16) पाण्डिचेरी, (17) पंजाब, (18) तमिलनाडु, (19) त्रिपुरा, (20) उत्तर प्रदेश तथा (21) पश्चिम बंगाल। तथापि नागालैंड, राजस्थान, अण्डमान तथा निकोबर द्विपसमुह के लिये प्रतिष्ठान यह कार्य इसलिये करता रहा क्योंकि यहाँ समुचित साधन उपलब्ध नहीं हैं। प्रथमांकित राज्यों के लिए बिलों का भुगतान प्रतिष्ठान राज्य पुस्तकालय योजना समिति/राज्य पुस्तकालय समिति के संयोजकों द्वारा आदेश की प्रतियाँ, पुस्तकों की अनुमोदित सूचि तथा प्रमाणित बिलों की प्राप्ति के बाद ही करता है। जब प्रतिष्ठान द्वारा आदेश दिये जाते हैं, तब प्रकाशकों/आपूर्तिकर्ताओं के बिलों की 75% राशि का भुगतान उनके द्वारा भेज दिये जाने के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर और शेष राशि का भुगतान प्राप्तकर्ता पुस्तकालयों/संयोजकों द्वारा पावति मिलने पर किया जाता है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान अधिकतर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र उपलब्ध समतुल्य निधि का पूर्ण उपयोग नहीं कर सके। परिणामस्वरूप 31-3-89 तक प्रतिबद्ध

वेयताओं की कुल राशि बढ़कर 97.50 लाख रुपया हो गई। वर्ष 1988-89 के दौरान दी गई सहायता की स्थिति जानने हेतु परिशिष्ट-6 देखें।

समतुल्य सहायता योजना के अन्तर्गत पुस्तकालयों का चयन संबंधित राज्य की राज्य पुस्तकालय योजना समितियों / राज्य पुस्तकालय समितियों द्वारा किया जाता है। पुस्तक सहायता योजना के अन्तर्गत ऐसे सभी श्रेणियों के सार्वजनिक पुस्तकालयों को सहायता दी जाती है, जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की देख-रेख में चलते हैं अथवा उनके द्वारा सहायता प्राप्त अथवा मान्यता प्राप्त / प्रयोजित हैं जैसे—राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, क्षेत्रीय/मण्डलीय पुस्तकालय, जिला केन्द्रीय पुस्तकालय, उप-मण्डलीय पुस्तकालय, तहसील पुस्तकालय, नगरपालिका पुस्तकालय, नगर पुस्तकालय, ग्रामीण पुस्तकालय आदि।

प्रायः सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित किये गये हैं। दिल्ली में दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा सेवा की जाती है। तमिलनाडु के राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय अर्थात् कोनेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय और महाराष्ट्र के एम. एस. टाउन हॉल पुस्तकालय को पुस्तक वितरण अधिनियम के अन्तर्गत पुस्तकें प्राप्त होती हैं। कतिपय राज्यों जैसे—(1) आंध्र प्रदेश, (2) बिहार, (3) मध्य प्रदेश, (4) महाराष्ट्र, (5) राजस्थान में क्षेत्रीय पुस्तकालय अथवा मण्डलीय पुस्तकालय भी हैं। कुछ राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तथा क्षेत्रीय पुस्तकालय जिस जिले में अवस्थित हैं, उन जिलों के लिये जिला पुस्तकालय के रूप में भी कार्य करते हैं। राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तथा क्षेत्रीय पुस्तकालय सामान्यतः सरकारी पुस्तकालय हैं। तथापि बिहार का सिन्हा पुस्तकालय और मध्य प्रदेश का मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय इसके अपवाद हैं। इसी तरह कुछ जिला पुस्तकालय सरकारी पुस्तकालय हैं और कुछ केवल सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं।

जिला स्तर से नीचे के पुस्तकालयों का संगठनात्मक स्वरूप सभी जगह

एक जैसा नहीं है। प्रशासनिक इकाई में भी वे सदैव एक रूप नहीं है। साधारणतः दक्षिण में इन्हें शाखा पुस्तकालय, पश्चिम एवं उत्तर में तालुका अथवा तहसील पुस्तकालय तथा पूर्व में प्रमण्डलीय पुस्तकालय कहा जाता है। इनसे निम्न स्तर पर प्रखण्ड, नगरपालिका, नगर और ग्रामीण पुस्तकालय हैं। इनमें से अधिकतर पुस्तकालयों का संचालन पंजीकृत अथवा अपंजीकृत स्वैच्छिक संगठन करते हैं। तथापि, जिन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो गया है वहां पुस्तकालयों का नियंत्रण अधिनियम में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने अपनी इस सहायता योजना के अन्तर्गत लगभग 7180 पुस्तकालयों को 93.22 लाख रुपया की सहायता प्रदान की।

2. गैर-समतुल्य (प्रत्यक्ष) पुस्तक सहायता :

समतुल्य सहायता के अतिरिक्त, प्रतिष्ठान अपने स्रोतों से सीमित पैमाने पर कुछ विशेष कोटि के पुस्तकालयों को प्रत्यक्ष पुस्तक सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत (क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित पुस्तकालयों जैसे— नेहरू युवक केन्द्र तथा विश्व भारती के पल्ली संगठन विभाग के अन्तर्गत सबल इकाईयों और (ख) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों एवं जिला पुस्तकालयों को सहायता दी जाती है।

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित पुस्तकालयों को सहायता :

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने युवा सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के विभिन्न जिला पुस्तकालयों में 15 से 35 वर्ष की आयु तक के गैर-विद्यार्थी युवकों के कल्याण हेतु नेहरू-युवक केन्द्र स्थापित किये हैं। नेहरू युवक केन्द्रों से यह आशा की जाती है कि वे अपनी मनोरंजन सम्बन्धी गति-विधियों के अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को अपना सहयोग देंगे और ग्रामीण युवा क्लब के माध्यम से सचल पुस्तकालय सेवा कार्यक्रम संचालित

करेंगे। इन केन्द्रों द्वारा संचालित पुस्तकालय सेवाओं की प्रतिष्ठान सहायता करता है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा अभिशसित कुछ ख्यातिलब्ध स्वैच्छिक संगठनों को भी सहायता दी जाती है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने 16 नेहरू युवक केन्द्रों और सचल पुस्तकालय इकाईयों तथा विश्व भारती के 25 ग्रामीण पुस्तकालयों को 0.50 लाख रुपया की सहायता प्रदान की।

(ख) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा जिला पुस्तकालयों को सहायता,

प्रतिष्ठान के समतुल्य पुस्तक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों का चयन राज्य प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। इन सूचियों में अंग्रेजी पुस्तकें यदा-कदा ही सम्मिलित होती हैं। पुस्तकों की केन्द्रीय चयन परियोजना के अन्तर्गत देश के राज्य और जिला पुस्तकालयों में वितरण हेतु प्रतिष्ठान कुछ पुस्तकों का चयन ही करता है और वह भी मुख्य रूप से अंग्रेजी पुस्तकों का।

इस परियोजना के अन्तर्गत पुस्तक चयन हेतु प्रतिष्ठान की प्रशासन समिति ने विस्तृत मार्गदर्शिका निश्चित की है। इस प्रयोजन के लिए बनाई गई पुस्तक चयन समिति देश भर के विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत की गई पुस्तकों का चयन स्वयं निरीक्षण के पश्चात् करती है। इस समिति को वर्षावधि में दो बैठक हुई तथा उसने राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों के लिये 128, राज्य केन्द्रीय तथा जिला पुस्तकालयों दोनों के लिये 120, राज्य केन्द्रीय और 100 चयनित जिला पुस्तकालयों के लिये 115 शीर्षकों का चयन किया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता की राशि 21.78 लाख रुपया थी।

अध्याय-तीन

वित्तीय सहायता

प्रतिष्ठान द्वारा पुस्तकालयों को सात परियोजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है। इस अध्याय के अन्त में दी गई तीन परियोजनाएँ तुलनात्मक दृष्टि से नवीन है।

परिसंवाद, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों (अभिविन्यास/पुनश्चर्या) तथा पुस्तक प्रदर्शनी आयोजन हेतु सहायता-प्रतिष्ठान को यह तथ्य मान्य है कि पुस्तकालय सेवा के लिए उसके संग्रह एवं सेवाविधि के नियमित मुल्यांकन और विकास की आवश्यकता है। इस परियोजना का प्रारम्भ इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत राज्य/संघशासित क्षेत्र के पुस्तकालय विभाग/निर्देशालय, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तथा पुस्तकालय संघों और पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण देनेवाले संस्थानों को सहायता दी जाती है। दो स्रोतों के माध्यम से परियोजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जाती है, जैसे—(1) समतुल्य निधि से और (2) प्रतिष्ठान की निजी (गैर-समतुल्य निधि से)। समतुल्य निधि से उन्हीं संगठनों को सहायता दी जाती है, जिनकी अभिशंसा संबंधित राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों द्वारा की गई है। अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ जैसे—भारतीय पुस्तकालय संघ (आई. एल. ए.) को गैर-समतुल्य निधि से वित्तीय

सहायता दी जाती है (वर्ष 1988-89 के दौरान परिसंवादों, कार्यशालाओं आदि के आयोजन हेतु दी गई सहायता का विवरण परिशिष्ट-7 में देखें ।)

2. ग्रामिण पुस्तक संचयन केन्द्रों तथा सचल पुस्तकालय विकासार्थ सहायता :

यदि पुस्तकालय सेवाओं से गांव और छोटे नगरों में बसने वाले बहुसंख्यक अर्ध-शिक्षित तथा नव साक्षरों को लाभान्वित कराना है, तो इस तरह के उपाय करने होंगे जिनसे सरल भाषा और शैली में लिखी गई सामान्य अभिसर्त्र और विषय की पुस्तकों को उन तक पहुंचाया जा सके । प्रतिष्ठान समाज कल्याण से संबन्धित गतिविधियों में लीन सभी सुव्यवस्थित पुस्तकालयों और ख्यातिप्राप्त स्वैच्छिक संगठनों को इस सेवा हेतु प्रोत्साहित करता है । इस परियोजना के अन्तर्गत पुस्तक, साईकिल, रिक्सा, बक्सा, थैला आदि के रूप में सहायता दी जाती है । सहायता प्राप्त संस्थानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे परिवहन के सस्ते साधनों द्वारा अथवा अवैतनिक स्वयंसेवकों द्वारा एक पुस्तक केन्द्र से दूसरे केन्द्र तक पुस्तकों का आदान-प्रदान करें । जिन गांवों में पुस्तकालय सेवा उपलब्ध नहीं हो पायी है, वहां पुस्तकालय वितरण केन्द्र स्थापित किये जाते हैं तथा यदि गांव में इस तरह की पुस्तकालय सेवा उपलब्ध हो गई हो तो वहाँ दरवाजे-दरवाजे तक वितरण की यह सेवा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में रत वेतनभोगी कार्यकर्ता और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से पूरी की जाती है । प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने पंजाब के एक पुस्तकालय को 10,000 रुपया की सहायता प्रदान की ।

3. पुस्तक संचयन हेतु सहायता :

तुलनात्मक दृष्टि से यह एक नवीन परियोजना है । इस परियोजना का लक्ष्य जिला स्तर से नीचे के लघु पुस्तकालयों को प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त पुस्तकों

की बढ़ती हुई संख्या को सुरक्षित रखने एवं उन्हें प्रदर्शित करने के लिये सहायता देना है।

इस परियोजना के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संस्तुति प्राप्त पुस्तकालयों को प्रतिष्ठान द्वारा अधिकतम दो अलमारियो/रैकों को खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य के 69 पुस्तकालयों को कुल मिलाकर 0.29 लाख रुपये की सहायता प्रदान की।

4. सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रदान करने वाले संगठन हेतु सहायता :

यह परियोजना सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रोन्नति हेतु स्वैच्छिक संगठनों के लिये है। परियोजना के अन्तर्गत सुविधा प्राप्त संगठनों/संस्थानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रायोजना का 50% व्यय भार वहन करेंगे। भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा 1985-86 तक इस परियोजना का औपचारिक रूप से संचालन हुआ। इस परियोजना का लक्ष्य सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिये कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों/संस्थानों को पुस्तकें, फर्नीचर और उपकरणों के क्रय तथा पुस्तकालय भवन के विस्तार/बदलाव एवं उसके निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रतिष्ठान द्वारा इस उद्देश्य के लिये गठित अनुदान समिति की संस्तुति पर यह अनुदान सामान्यतः उन्हीं संगठनों को दिया जाता जिनकी संस्तुति राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन द्वारा की जाती है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान अनुदान समिति की बैठक तीन बार हुई तथा उसने देशभर के 57 संगठनों के लिये 17.80 लाख रुपयों का अनुदान किया। वर्ष 1988-89 की अवधि में स्वैच्छिक संगठनों को दी गई सहायता का विवरण परिशिष्ट-8 में देखें।

5. जिला स्तर से नीचे के सार्वजनिक पुस्तकालयों को स्थान विस्तार हेतु सहायता।

यह एक समतुल्य परियोजना है। वर्ष 1987-88 के दौरान इस परियोजना को कार्यान्वयन हेतु अंगीभूत किया गया। इस परियोजना का

लक्ष्य सरकार द्वारा संचालित अथवा सहायता प्राप्त जिला स्तर से नीचे के पुस्तकालयों के भवन निर्माण/विस्तार/बदलाव हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। संबंधित राज्य पुस्तकालय परियोजना समिति/राज्य पुस्तकालय समिति की संस्तुति के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है। किसी राज्य/संघशासित क्षेत्र के प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का अनुमोदित प्रस्ताव न मिलने के कारण प्रतिवेदित वर्ष के दौरान कोई अनुदान न दिया जा सका।

6. राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा जिला पुस्तकालयों को शैक्षणिक प्रयोजन हेतु टी.वी.-सह-वी.सी. आर. खरीदने के लिए सहायता :

प्रतिष्ठान के समतुल्य कार्यक्रम के अन्तर्गत इस परियोजना को कार्यान्वयन हेतु 1987-88 में अंगीकृत किया गया। परियोजना का कार्य राज्य एवं जिला स्तर के सार्वजनिक पुस्तकालयों की सेवाओं को दृश्य-श्रव्य सामग्रियों के माध्यम से विविधता देना है। संबंधित राज्य पुस्तकालय परियोजना समिति/राज्य पुस्तकालय समिति की संस्तुति पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है। प्रति पुस्तकालय को एक टी.वी.-सह-वी.सी. आर. के क्रय तथा उसे लगाने के उपकरणों पर लगने वाले खर्च के लिए और प्रति पुस्तकालय प्रति वर्ष अधिकतम पाँच शैक्षणिक कैसेट खरीदने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान इस परियोजना से केवल 10 पुस्तकालयों ने ही लाभ उठाया। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, और तमिलनाडु राज्यों के 10 पुस्तकालय हेतु 2.56 लाख रुपया का अनुदान दिया गया।

7. बाल पुस्तकालयों तथा सामान्य सार्वजनिक पुस्तकालयों के बाल अनुभाग के लिए सहायता :

सम्पूर्ण देश के बाल पुस्तकालयों को प्रोत्साहन देने तथा उनका विकास कर बच्चों में पठन-पाठन की अभिरुचि विकसित करने के लक्ष्य से बनाई गई और-समतुल्य योजना है।

इस परियोजना के अन्तर्गत बाल-पुस्तकालय अथवा उन सार्वजनिक पुस्तकालयों को सहायता दी जाती है जिनमें बाल अनुभाग हैं या जो बाल अनुभाग प्रारम्भ करना चाहता है। यह सहायता पुस्तकालयों को पाठ्य-सामग्री, श्रव्य सामग्री, रैकों, आलमारियों तथा अध्ययन की सुविधा के लिये मेजों और कुर्सीयों के क्रय हेतु दी जाती है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान 14 जवाहर बाल भवनों सहित 124 पुस्तकालयों को 3.23 लाख रुपयों की सहायता प्रदान की गई। वर्ष 1988-89 में बाल पुस्तकालयों को दी गई सहायता का राज्यानुसार विवरण परिशिष्ट-9 में देखे।

अध्याय-चार

प्रोन्नतिकारक गतिविधियाँ

1. अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन :
आठवीं योजना के परिपेक्ष्य में सार्वजनिक पुस्तकालय विकास पर अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन प्रतिष्ठान ने नई दिल्ली में 24-25 फरवरी 1989 को किया। सम्मेलन का उद्घाटन श्री एल. पी. शाही, शिक्षा एवं संस्कृति के राज्य मंत्री ने किया और इसकी अध्यक्षता प्राध्यापक डी. पी. चट्टोपाध्याय ने की। सम्मेलन में लगभग 150 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सम्मेलन में भाग लेनेवाले राज्य तथा संघशासित क्षेत्र निम्नांकित थे—आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमालय प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और चण्डीगढ़। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास हेतु सम्मेलन ने अनेक प्रस्ताव और संस्तुतियाँ अंगीकृत कीं।
2. राजा राममोहन राय के 216 वें जन्म दिवस समारोह तथा प्रतिष्ठान के 16 वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन :
राजा राममोहन राय के 216वें जन्म दिवस, भारतीय स्वाधीनता के 40वें वर्ष और पण्डित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस के अवसर पर

प्रतिष्ठान ने भारत में धर्मनिरपेक्षता : राममोहन से नेहरू विषय पर राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया। समारोह रामकृष्ण मिशन इन्स्टीट्यूट आफ कल्चर, कलकत्ता में 22 मई 1988 को सम्पन्न हुआ।

प्राध्यापक एस. गोपाल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में समकालीन इतिहास विभाग के अवकाश प्राप्त प्राध्यापक ने राममोहन राय से जवाहरलाल नेहरू तक धर्मनिरपेक्षता विषय पर द्वितीय राजा राममोहन स्मृति व्याख्यान, परिसंवाद का प्रमुख प्रपत्र प्रस्तुत किया।

3. आंकड़ों का संग्रह :

सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं की प्रभावकारी योजना और प्रोन्नति हेतु प्रतिष्ठान ने नियमित रूपसे ऐसे पुस्तकालयों की सूचना संग्रह का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। प्रतिष्ठान द्वारा डायरेक्टरी आफ इण्डियन पब्लिक लाईब्रेरी को अधतन करने में सहायता का भी लक्ष्य है। राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय और जिला स्तर पुस्तकालय की एक डायरेक्टरी प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है।

4. प्रकाशन कार्यक्रम :

देश के विभिन्न भागों में अपनी गतिविधियों और पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित जानकारी के प्रचार हेतु प्रतिष्ठान आर. आर. आर. एल. एफ. न्यूजलेटर नाम से एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करता है। वर्षादि में सभी चार अंक प्रकाशित हुये।

प्रतिष्ठान ने एक पत्रिका (जरनल) प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। पत्रिका का नाम होगा ग्रन्थना : इण्डियन जनरल आफ लाईब्रेरी स्टडीज, और प्रारम्भ में यह अंग्रेजी में प्रकाशित होगा। पत्रिका के सम्पादकीय मंडल की बैठक दो बार हुई—22 जुलाई, 1988 और 20 दिसम्बर 1988।

5. संस्थागत सदस्यता :

(क) इण्डियन लाईब्रेरी एसोशिएसन (आई. एल.ए), (ख) इण्डियन एसोशिएसन आफ स्पेशल लाईब्रेरीज एण्ड इनफॉर्मेशन सेन्टरस (आई-सलिक), तथा (ग) इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ लाईब्रेरी एसोशिएसन एण्ड इन्स्टीट्यूशन (इफला), इन संस्थाओं का प्रतिष्ठान सदस्य बना रहा।

6. प्रतिष्ठान का पुस्तकालय :

प्रतिष्ठान ने अपने कार्यालय में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से संबंधित एक विशेष पुस्तकालय की स्थापना 1981-82 में की। प्रतिवेदित वर्ष के प्रन्त तक इस पुस्तकालय में पुस्तक संग्रह की संख्या 1,185 थी। इसने 20 पत्रिकाओं का चन्दा दिया और 4 पत्रिकाओं की प्रतियां मानार्थ प्राप्त कीं।

7. अनुसंधान एवं परामर्श कार्य :

केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत पुस्तकालय कर्मचारियों की पुनरीक्षण समिति तथा योजना आयोग के पुस्तकालय और सूचना सम्बन्धी आठवीं योजना कार्यकारी दल में प्रतिष्ठान के अध्यक्ष और निदेशक ने अध्यक्ष और सदस्य के रूप में सहयोग दिया। संस्कृति विभाग के सांस्कृतिक सांख्यिकीय कार्यकारी दल की विभिन्न बैठकों में भी निदेशक सम्मिलित हुए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 29 मार्च 1989 को आयोजित राष्ट्रीय परिसंवाद, भारत में पुस्तकालय अधिनियम : उत्तर प्रदेश को विशेष संदर्भ सहित का मुख्य अभिभाषण भी प्रस्तुत किया।

क्षेत्रीय अधिकारी तथा सांख्यिकीय अधिकारी आई. एल. ए. के 34वें अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में सम्मिलित हुए तथा अनुसंधान अधिकारी और सहायक क्षेत्रीय अधिकारी (पूर्वांचल) संयुक्त रूप से आयोजित

आईसलिक के 13वें राष्ट्रीय परिसंवाद में उपस्थित हुए। इसका आयोजन 22-23 दिसम्बर 1988 को कलकत्ते में हुआ।

संस्कृति विभाग, भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों को आवश्यकतानुसार निदेशक ने परामर्श अथवा सलाह दी।

प्रतिष्ठान को अनुसंधान प्रायोजना से संबंधित आवश्यक सलाह देने हेतु एक अनुसंधान समिति का गठन वर्ष 1987-88 में हुआ। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान समिति की बैठक दो बार हुई, 22 जुलाई 1988 और 20 दिस० 1988. सार्वजनिक पुस्तकालय पद्धति तथा सेवा मार्गदर्शी प्रयोजना अन्तिम स्थिति पर है।

अध्याय-पाँच

प्रशासन

प्रतिष्ठान में 22 सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष संस्कृति विभाग, भारत सरकार के प्रभारी मंत्री अथवा उनके द्वारा मनोनित व्यक्ति होते हैं। पिछले निकाय की अवधि समाप्ति पर, भारत सरकार ने अक्टूबर 1988 में प्रतिष्ठान का पुनर्गठन किया। प्रतिष्ठान के सदस्यों हेतु परिशिष्ट-1 देखें।

2. प्रशासन समिति :

प्रशासन समिति प्रतिष्ठान के वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों को देखभाल करती है। पदेन सदस्यों जैसे : अध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार (संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि) तथा सदस्य सचिव को मिलाकर इस समिति में कुल 11 सदस्य हैं। प्रतिष्ठान के पुनर्गठन के फलस्वरूप प्रशासन समिति का पुनर्गठन भी अक्टूबर 1988 में हुआ। प्रशासन समिति के सदस्यों हेतु परिशिष्ट-2 देखें। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान समिति की बैठकें दो बार 14 मई 1988 और 10 दिसम्बर 1988 को नई दिल्ली में हुईं।

3. राज्य पुस्तकालय योजना समितियाँ/राज्य पुस्तकालय समितियाँ :

राज्य पुस्तकालय योजना समितियाँ / राज्य पुस्तकालय समितियाँ ऐसे प्रधान अभिकरण हैं, जिनके माध्यम से राज्य सरकारी तथा संघशासित

क्षेत्रों के प्रशासनों को सहयोग देता है। इन समितियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न केवल संबंधित राज्यों एवं केन्द्रशासित क्षेत्रों में पुस्तकालय सेवाओं के प्रसार और विकास के लिए योजना तैयार करें वरना प्रतिष्ठान द्वारा अंगीकृत विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण भी करें। इनसे यह अपेक्षा भी की जाती है कि ये विभिन्न स्तरों पर राज्य पुस्तकालय सेवाओं के विकास में योगदान देनेवाली अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय कर्ता निकाय के रूप में भी कार्य करें। राज्य पुस्तकालय योजना समितियों/राज्य पुस्तकालय समितियों की कम से कम दो बैठकें प्रतिवर्ष होनी चाहिये। राज्य पुस्तकालय योजना समिति / राज्य पुस्तकालय समिति के निम्नांकित कार्य हैं :—

- (क) प्रतिष्ठान के सहायता कार्यक्रमों के विशेष संदर्भ में अपने राज्य, विशेष कर गैर-महानगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय सेवा की एक सापेक्षिक एवं वार्षिक योजना तैयार करना ,
- (ख) इस बात का निश्चय करना कि राज्य सरकार के अंशदान का प्रतिष्ठान को भुगतान हो जाए और प्रतिष्ठान से समतुल्य अनुदान ले लिया जाए,
- (ग) सहायता हेतु प्रस्तावों की जाँच कर प्रतिष्ठान के पास उसकी संस्तुति करना ,
- (घ) सामुदायिक आवश्यकतानुसार तथा प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रमुख पुस्तकों का चयन करना ,
- (च) प्रतिष्ठान द्वारा दी गई सहायता के सदुपयोग को सुनिश्चित करना ,
- (छ) संगोष्ठी, परिसंवाद, प्रदर्शनी तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित कर जनसाधारण में अध्ययन रुचि के विकास का वातावरण तैयार करना ।

(ज) राज्य/संघशासित क्षेत्रों में पुस्तकालय आन्दोलन के विकास हेतु अन्य प्रेरक गतिविधियों का आयोजन करना।

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान 32 राज्यों तथा संघशासित राज्यों में से 21 ने प्रतिष्ठान के समतुल्य सहायता कार्यक्रम में भाग लिया। कुछ राज्यों ने सभी चालु आठ परियोजनाओं की सुविधा का लाभ उठाया। तथापि, अधिकतर राज्य, संघशासित क्षेत्र केवल पुस्तक सहायता कार्यक्रम में ही सम्मिलित हुए। समतुल्य सहायता कार्यक्रम में कुल मिलाकर लगभग 99 लाख रुपये व्यय हुए।

वर्ष 1988-89 में असम और मिजोरम राज्य पुस्तकालय योजना समितियों के बैठक दो बार हुई। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार तथा चण्डीगढ़ जैसे—राज्य / संघशासित क्षेत्रों की राज्य पुस्तकालय योजना समितियों की बैठक एक बार हुई। राज्य पुस्तकालय योजना समितियों/राज्य पुस्तकालय समितियों के संयोजकों की सूचि परिशिष्ट-3 में देखें।

4. अध्यक्ष :

प्रा० डी. पी. चट्टोपाध्याय प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान के अध्यक्ष पद पर बने रहे।

5. निदेशक :

डा० बी. पी. बरूआ प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान के निदेशक तथा पदेन सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करते रहे।

6. अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी :

श्री आर. भट्टाचार्य क्षेत्राधिकारी के पद पर बने रहे हैं। श्री के. के. बनर्जी 16 सितम्बर 1988 से प्रतिष्ठान में कार्यपालक अधिकारी के रूप में

स्थाई रूप से समाविष्ट हुए। अनुसंधान अधिकारी के पद पर श्री बी. के. यामस कार्य करते रहे। श्री ए. के. बनर्जी, सहायक सचिव 1 जून 1988 से स्थाई रूप से समाविष्ट हो गये।

प्रतिवेदित वर्ष के अन्त में दो अंशकालीक कर्मचारियों के अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या 52 थी।

7. प्रशिक्षण कार्यक्रम :

प्रतिष्ठान ने भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत राजभाषा क्रियान्वयन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षित कराने के कदम उठाये। राजभाषा के रूप में हिन्दी के त्वरित प्रयोग की दृष्टि से प्रतिष्ठान ने 29 सितम्बर 1988 को हिन्दी दिवस मनाया। इस आयोजन के अवसर पर अहिन्दी भाषि कर्मचारियों हेतु हिन्दी में आणु वक्तृता प्रतियोगिता आयोजित की गई।

हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी प्रशिक्षण के लिये जुलाई 1988 के सत्र में श्री आशुतोष नस्कर, प्रवर श्रेणी लिपिक को प्रतिनियुक्त किया गया।

13-22 फरवरी, 1989 को इन्सडोक द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बिब्लियोमेटिक्स के विज्ञान—एन. सी. बी, पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए श्री टी. के. भद्र को प्रतिनियुक्त किया गया।

8. आंचलिक कार्यालय :

सहायक क्षेत्राधिकारियों की नियुक्ति होने से पहले प्रतिष्ठान को चारों आंचलिक कार्यालयों में जून 1987 से कार्य प्रारम्भ हो गया। पूर्वांचल कार्यालय प्रतिष्ठान के मुख्यालय में ही स्थित है। आंचलिक कार्यालयों का पता हेतु परिशिष्ट-5 देखें।

9. निरीक्षण :

पुस्तकालयों का निरीक्षण करना प्रतिष्ठान के निरीक्षण एवं प्रबोधक

एकक का नियमित कार्यक्रम है। संपूर्ण देश में फैले हुए विभिन्न श्रेणी के पुस्तकालय जैसे—राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, तालुका/ब्लाक/नगर पुस्तकालय आदि स्वैच्छिक संगठनों के पुस्तकालयों का निरीक्षण इस हेतु किया जाता है जिससे ज्ञात हो सके कि वे प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त सहायता का समुचित एवं उपयोगी प्रयोग कर रहे हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी तथा आंचलिक कार्यालयों से सम्बन्ध चार सहायक क्षेत्रीय अधिकारियों ने पिछले वर्ष के समान प्रतिवेदित वर्ष के दौरान 625 पुस्तकालयों का निरीक्षण किया। वर्ष 1988-89 के दौरान निरीक्षण किये गये पुस्तकालयों का विवरण परिशिष्ट-12 में देखें।

10. वित्त :

प्रतिष्ठान सम्पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। प्रतिवेदित वर्ष में प्रतिष्ठान को भारत सरकार से 207.15 लाख रुपये का अनुदान मिला। 12.50 लाख रुपये गैर-योजना के अन्तर्गत और 194.69 लाख रुपये योजन विनिधान के अन्तर्गत। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों और संघ-शासित क्षेत्रों से भी प्रतिष्ठान को अंशदान प्राप्त होता है। यह अंशदान वे प्रतिष्ठान की विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत उससे समतुल्य सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से देते हैं। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान 56.80 लाख रुपये की राशि अंशदान के रूप में प्राप्त हुई। विभिन्न राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों को दी गई सहायता का विवरण हेतु परिशिष्ट-6 देखें।

11. लेखा :

प्रतिष्ठान के वर्ष 1988-89 के लेखा वर्ष की परीक्षा निदेशक, लेखा परीक्षा (केन्द्रीय) कलकत्ता द्वारा की गई, जिसका अनुमोदन प्रतिष्ठान ने 18 अक्टूबर, 1989 को हुई वार्षिक साधारण सभा की बैठक में किया। वर्ष 1988-89 के लेखा परीक्षा विवरण तथा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत व्यय की गई राशि को दर्शाने वाले मिले-जुले चार्ट के लिए क्रमशः परिशिष्ट 13 और 14 देखें।

अध्याय-छः

निष्कर्ष

1. समस्याएँ एवं बाधाएं :

प्रतिष्ठान को अपने कार्यक्रमों के निष्पादन में जिन समस्यायें एवं बाधाओं का सामना करना पड़ा वे मुख्यतः हैं—कुछ राज्यों द्वारा सहायता का प्रस्ताव देर से प्रस्तुत किया जाना अथवा न प्रस्तुत किया जाना तथा परिणामस्वरूप सहायता परियोजना के निष्पादन में देरी ।

प्रतिष्ठान को अपने कार्यक्रमों के निष्पादन हेतु वर्तमान स्थिति में राज्य सरकारों की कार्यपद्धति पर निर्भर रहना पड़ता है । प्रतिष्ठान के कार्य निष्पादन में भाग लेनेवाले राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के कार्यों की प्रति-छवि सम्मिलित होती है । कभी-कभी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण प्रतिष्ठान अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाता । प्रतिवेदित वर्ष के दौरान अनेक राज्यों से सहायता हेतु प्रस्ताव काफी विलम्ब से प्राप्त हुये तथा कुछ राज्यों जैसे—गुजरात, केरल, उड़ीसा, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश अपने हिस्से की सहायता लेने में असफल रहे ।

जिला पुस्तकालय प्राधिकारियों के माध्यम से वितरण के विकेन्द्रीकरण के कारण प्रतिष्ठान के समतुल्य कार्यक्रम के अधिन पुस्तक सहायता प्राप्त करनेवाले पुस्तकालयों के सम्बन्ध में कुछ राज्यों से समयपर सूचना प्राप्त करना हमारे लिये कठिन हो रहा है ।

2. उपलब्धियाँ :

विभिन्न प्रशासनिक तथा प्रक्रियात्मक कठिनाईयों के होते हुए भी प्रतिष्ठान ने देश में पुस्तकालय सेवाओं के विकास हेतु अनेक कार्य किये हैं। अपने प्रतिष्ठापना वर्ष 1972 से लेकर मार्च 1989 तक प्रतिष्ठान ने अनुदान और अंशदान स्वरूप कुल 1192.32 लाख रुपया प्राप्त किये। इसमें 788.06 लाख रुपया भारत सरकार से तथा शेष 404.26 लाख रुपये विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों से प्राप्त हुए। वर्ष 1988-89 के दौरान प्रतिष्ठान ने विभिन्न पुस्तकालयों को कुल 141.22 लाख रुपये की सहायता की और इस प्रकार पिछले सत्रह वर्षों के दौरान कुल 936.76 लाख रुपये की सहायता दी गई है। (राशि पूर्णिक में दी गई है)।

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने 7180 पुस्तकालयों को सहायता प्रदान की। इस संख्या में आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल सम्मिलित नहीं है।

पिछले सत्रह वर्षों में प्रतिष्ठान ने निम्नवत विभिन्न स्तरीय पुस्तकालयों को सहायता दी—

राज्य पुस्तकालय,

जिला पुस्तकालय,

अनुमण्डलीय / तालुका / तहसील पुस्तकालय,

नेहरू युवक केन्द्र,

नगर तथा ग्रामीण पुस्तकालय,


चल पुस्तकालय, ग्रामीण पुस्तक संचयन केन्द्र,

एन० एस० एस० केन्द्र तथा अन्यान्य।

वर्ष 1988-89 तथा 1972-73 से लेकर 1988-89 तक के दौरान प्रतिष्ठान से लाभान्वित विभिन्न पुस्तकालयों की संख्या के लिये क्रमसः परिशिष्ट-10 और 11 देखें।

निष्कर्षत :

प्रतिष्ठान का सत्रहवाँ वर्ष क्रियाकलापों की दृष्टि से वैविध्यपूर्ण रहा : कुल मिलाकर 6 समतुल्य तथा 4 गैर-समतुल्य सहायता परियोजनाएँ कार्यरत हैं। प्रतिष्ठान की प्रौन्नति क्रियाओं व्यवसायिक संगठनों सहित अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन के आयोजन से काफी गति आई।



श्री एल. पी. शाही आठवीं योजना के परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय
सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं।



आठवीं योजना के परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय
सम्मेलन का एक दृश्य



भारत में धर्म निरपेक्षता राष्ट्रीय परिसंवाद : “राममोहन से नेहरू तक
का उद्घाटन



हिन्दी दिवस समारोह का एक दृश्य ।

प्रतिष्ठान की सदस्य-सूची

1. प्रध्यापक डी० पी० चट्टोपाध्याय
अध्यक्ष, आर० आर० आर० एल० एक०
25, पार्क मेन्सन,
पार्क स्ट्रीट,
कलकत्ता-700 016

2. (क) श्री जे० वीरराघवन
सचिव, भारत सरकार,
संस्कृति विभाग,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110 001
13 फरवरी 1989 तक।

(ख) श्री भाष्कर घोष
अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार
संस्कृति विभाग,
नई दिल्ली-110 001
04 फरवरी 1989 तक।

3. श्री आर. सी. बत्रा
उप-लेखा नियंत्रक,
शिक्षा विभाग,
नई दिल्ली-110 001
4. कुमारी मीना अहुजा
उप-सचिव (वी. पी.),
शिक्षा विभाग,
पश्चिम ब्लॉक 2, विंग 6
आर. के. पुरम,
नई दिल्ली-110066
5. प्राध्यापक सत्यभूषण, निदेशक
शैक्षिक योजना एवं प्रशासन का राष्ट्रीय
संस्थान,
नई दिल्ली-110016
6. प्राध्यापक आर. पी. सिन्हा, सदस्य
बिहार विश्वविद्यालय (महाविद्यालय संवटक),
सेवा आयोग, श्रीकृष्णापुरी,
पटना-800 001
7. प्राध्यापक अशीन दासगुप्ता, निदेशक
राष्ट्रीय पुस्तकालय,
कलकत्ता-700 027
8. डॉ० निमाई साधन बोस,
उप-कुलपति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,
कुरुक्षेत्र-132 119

9. प्राध्यापक आर. सी. दाम
217, केदार गौरी रोड,
भुवनेश्वर-751002
10. डॉ० एस. आर. के. चोमड़ा,
उप-कुलपति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय
कुरुक्षेत्र-132119
11. प्राध्यापक के. ए. आइजक
श्रुति (एनेक्स)
पी. ओ. पेरुम्बईकट,
कोट्टायम-686 028
12. प्राध्यापक आई. एन. चौधरी
सचिव, साहित्य एकादमी
35, फिरोजशाह रोड,
नई दिल्ली-110 001
13. श्री अरविन्द कुमार, निदेशक
नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत
ए-5 ग्रीन पार्क
नई दिल्ली-110 016
14. प्राध्यापक कृष्ण कुमार
अध्यक्ष, अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ
ए/40-41, फ्लॉट नं० 201
मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110 009

15. श्री एच. जे. उपाध्याय,
पुस्तकालय निदेशक
गांधी नगर,
गुजरात-382 017
16. श्री एन. वी. इनामदार
पुस्तकालयाध्यक्ष
उस्मानिया विश्वविद्यालय,
हैदराबाद-500 007.
17. श्री एच. डी. शर्मा,
पुस्तकालयाध्यक्ष (अवकाश प्राप्त)
76 चन्द्रिका कालोनी,
वाराणसी-221 010.
18. डॉ० पी. ए. मोहनराजन,
पुस्तकालयाध्यक्ष,
मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय,
चेपाँक,
मद्रास-600 005.
19. डॉ० डी. एन. पानीग्राही
अध्यक्ष,
दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय,
एस. पी. मुखर्जी मार्ग
दिल्ली-110 006.

20. प्राध्यापक एच. ए. खान,
विभाग अधिकारी,
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान,
मैसूर विश्वविद्यालय,
मैसूर-570 006.

21. डॉ० बी. पी. बरुआ,
निदेशक,
आर. आर. आर. एल. एफ.,
कलकत्ता-700 064.

प्रशासनिक समिति के सदस्यों की सूची :

1. प्राध्यापक डी० पी० चट्टोपाध्याय,
अध्यक्ष, आर० आर० आर० एल० एफ०,
25, पार्क मेन्सन,
पार्क स्ट्रीट,
कलकत्ता-700 016

2. श्री आर० सी० त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110 001

3. श्री आर० सी० बात्रा,
उप-लेखा नियंत्रक,
शिक्षा विभाग,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110 001

4. प्राध्यापक अशीन दासगुप्ता,
निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय
वैलवेडियर,
कलकत्ता-700 027
5. प्राध्यापक आर. सी. दास,
217, केदार गौरी रोड
भुवनेश्वर-751 002.
6. प्राध्यापक के. ए. आईजक,
श्रुति (एनेक्स),
गांधी नगर जंक्शन के निकट,
पो. ओ. पेरुम्बईकट,
कोट्टायम-686 028.
7. प्राध्यापक डी. एन. पाणीग्राही,
अध्यक्ष, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय,
एस. पी. मुखर्जी मार्ग,
दिल्ली-110 006.
8. प्राध्यापक आर. पी. सिन्हा, सदस्य
बिहार विश्वविद्यालय (अंगीभूत विद्यालय)
सेवा आयोग, श्रीकृष्णपुरी
पटना-800 001

9. प्राध्यापक कृष्ण कुमार, अध्यक्ष
भारतीय पुस्तकालय संघ,
ए/40-11, प्लेट नं० 201
अन्साल भवन,
मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110 009.
10. श्री एन. बी. इनामदार, पुस्तकालयाध्यक्ष
उस्मानिया विश्वविद्यालय,
हैदराबाद-500 007
11. डॉ० बी. पी. वरुआ,
निदेशक,
आर. आर. आर. एल. एफ.
कलकत्ता-700 064.

राज्य पुस्तकालय योजना समिति/राज्य पुस्तकालय
समिति के संयोजकों की सूची :

1. आन्ध्र प्रदेश ;
निदेशक, सार्वजनिक पुस्तकालय
आन्ध्र प्रदेश
अफजल गंज,
हैदराबाद-500 012.

2. अरुणाचल प्रदेश ;
उप-मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष
अरुणाचल प्रदेश सरकार
इटानगर-791 111.

3. असम ;
निदेशक, पुस्तकालय सेवा
असम,
गौहाटी-781 001.

4. बिहार ;
पुस्तकालय अधीक्षक, बिहार
सिन्हा पुस्तकालय मार्ग,
पटना-800 001

5. गौआ ;
क्वूरेटर,
गौआ सरकार,
केन्द्रीय पुस्तकालय, पाणाजी,
गौआ-403 001.
6. गुजरात ;
पुस्तकालय निदेशक
गुजरात राज्य सरकार
पुराना विधान भवन
सेक्टर-9, नं० 17
गांधी नगर
7. हरियाणा ;
निदेशक, उच्चतर शिक्षा
हरियाणा,
चण्डिगढ़-160 001.
8. हिमाचल प्रदेश ;
सहायक शिक्षा (ग) निदेशक
शिक्षा निदेशालय,
शिमला-1
9. जम्मू-कश्मीर ;
पुस्तकालय निदेशक,
पुस्तकालय निदेशालय
शिक्षा विभाग,
जम्मू-कश्मीर सरकार, नया सचिवालय,
जम्मू / श्रीनगर ।

10. कर्नाटक ;
निदेशक,
सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग,
कर्नाटक सरकार,
विश्वेश्वरैया केन्द्र, चौथा तल्ला
डॉ० अम्बेडकर विथी,
बंगलोर ।
11. केरल ;
राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष,
त्रिवेन्द्रम सार्वजनिक पुस्तकालय,
त्रिवेन्द्रम-659 001.
12. मध्य प्रदेश ;
आयुक्त, आदिवासी कल्याण विभाग,
मध्य प्रदेश सरकार,
सतपुरा भवन,
भोपाल
13. महाराष्ट्र ;
पुस्तकालय निदेशक,
टाउन हॉल,
शहीद भगत सिंह मार्ग,
बम्बई-400 023.
14. मणिपुर ;
मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष,
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
इम्फाल, मणिपुर ।

15. मेघालय ;

जन आदेश निदेशक, मेघालय
निदेशालय भवन,
शिलांग, मेघालय-793 001.

16. मिजोरम ;

(क) शिक्षा उप-निदेशक,
शिक्षा निदेशालय,
मिजोरम सरकार,
आईजोल. मिजोरम (मार्च 13, 1989 तक)

(ख) निदेशक,

कला एवं संस्कृति विभाग,
मिजोरम सरकार,
मेक-डोनाल्ड हिल, जाक्वाट,
आईजोल, मिजोरम (मार्च 14, 1989 से)

17. नागालैण्ड ;

निदेशक, कला एवं संस्कृति
कोहिमा, नागालैण्ड ।

18. उड़ीसा ;

उप-सचिव,
उड़ीसा सरकार,
पर्यटन, खेल-कूद एवं संस्कृति विभाग,
भुवनेश्वर-751 001.

19. पंजाब ;

सहायक निदेशक (सांस्कृतिक कार्यक्रम),
सार्वजनिक अनुदेश निदेशक (महाविद्यालय),
पंजाब, एस. सी. ओ. नं० 66-67,
सेक्टर-17 बी
चण्डीगढ़-160017.

20. राजस्थान ;

उप-निदेशक, समाज शिक्षा
बीकानेर, राजस्थान ।

21. सिक्किम ;

संयुक्त सचिव, सिक्किम सरकार
शिक्षा विभाग, गंगटोक
सिक्किम-737 108.

22. तमिलनाडु ;

निदेशक, सार्वजनिक पुस्तकालय
एगमोर,
मद्रास-600 008

23. त्रिपुरा ;

वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष,
बीरचन्द्र राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
अगरतल्ला ।


24. उत्तर प्रदेश ;
विशेषाधिकारी (पुस्तकालय),
उत्तर प्रदेश सरकार,
38 दरवारी लाल शर्मा मार्ग,
सचिवालय, विधान भवन,
लखनऊ-226 001
25. पश्चिम बंगाल ;
निदेशक, पुस्तकालय सेवा
पश्चिम बंगाल सरकार,
राइटर्स बिल्डिंग,
कलकत्ता-700 001
26. अण्डमान निकोबर द्वीपसमुह ;
शिक्षा निदेशक,
अण्डमान निकोबर प्रशासन,
पोर्टब्लेयर, अण्डमान ।
27. चण्डीगढ़ ;
पुस्तकालयाध्यक्ष,
टी. एस. राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, चण्डीगढ़
सेक्टर-17, चण्डीगढ़ ।
28. दादरा एवं नगर हवेली ;
शिक्षा निदेशक,
दादरा एवं नगर हवेली,
सिलवासा ।

29. दिल्ली ;
शिक्षा निदेशक,
दिल्ली प्रशासन,
पुराना सचिवालय,
दिल्ली ।

30. लक्षद्वीप ;
समाज कल्याण अधिकारी,
संघ राज्य प्रशासन, लक्षद्वीप
समाज कल्याण एवं संस्कृति विभाग,
काभारत्ती, वाया : एच. पी. ओ.
कोचीन-682 555

31. पाण्डिचेरी ;
शिक्षा निदेशक,
पाण्डिचेरी प्रशासन,
पाण्डिचेरी-605 001

संगठन चार्ट



* सहायक सचिव, लेखा अधिकारी का पद वर्ष के दौरान रिक्त होने के कारण लेखा अनुभाग का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया।

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान
के आंचलिक कार्यालय :

1. पूर्वी अंचल कार्यालय :
राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान,
ब्लॉक-डी डी-34, सेक्टर-1,
साल्ट लेक,
कलकत्ता-700 064
2. उत्तरी अंचल कार्यालय-सह-अतिथिशाला :
राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान,
बी-13, गेटर कैलाश, इनक्लेव-1
नई दिल्ली-110 048.
दूरभाष : 641 5508
3. दक्षिणांचल कार्यालय :
राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान,
कोन्नेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय,
कमरा नं०-6, नया भवन,
एगमोर,
मद्रास-600 008

4. पश्चिमी अंचल कार्यालय :

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान,

पुस्तकालयों का निदेशालय,

टाउन हॉल,

5, भगत सिंह मार्ग,

बम्बई-400 023

समतुल्य सहायता योजनातर्गत वर्ष 1988-89 के दौरान दी गई सहायता का विवरण (अक. हजार में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त अंशदान	समतुल्य सहायता	कुल उपलब्ध निधि	प्रदत्त सहायता	शेष, यदि कोई हो
आन्ध्र प्रदेश	1183	200	200	1583	520	1063
अरुणाचल प्रदेश	108	50	50	208	78	130
आसाम	208	50	50	308	406	(-)98
बिहार	1133	—	—	1133	860	273
गोआ	(-)12	40	40	68	23	45
गुजरात	415	400	400	1215	543	672
हिमाचल प्रदेश	554	400	400	1364	435	929
कर्नाटक	950	400	400	1760	667	1093
केरल	39	—	—	39	5	34
मध्य प्रदेश	560	—	—	560	545	15
महाराष्ट्र	1017	500	500	2017	978	1039
मणिपुर	49	50	50	149	142	7
मेघालय	190	70	(-)25 70	305	101	204
मिजोरम	5	145	145	295	295	—
नागालैण्ड	164	50	50	264	181	83

उडिसा	(—)395	1100	1100	1805	16	1789
पंजाब	70	200	200	470	375	95
राजस्थान	456	—	—	456	896	(—)440
सिक्किम	14	—	—	14	—	14
तमिलनाडु	182	900	900	1982	1037	945
त्रिपुरा	197	—	—	197	33	164
उत्तर प्रदेश	1274	500	500	2274	1088	1186
पश्चिम बंगाल	(—)333	400	400	467	151	316
अण्डमान एवं निकोबर द्विप समुह	8	50	50	108	45	63
चण्डीगढ़	111	150	150	411	351	60
पाण्डिचेरी	59	25	25	109	40	69
कुलयोग	8226	5680	5655	19561	9811	9750

वर्ष 1988-89 के दौरान संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि के आयोजन हेतु सहायता विवरण

क्रम संख्या	संगठन का नाम	विषय, स्थान एवं दिनांक	राशि
1	2	3	4
समस्तुल्य :			
1.	ए. सी. संस्था, मालदा पश्चिम बंगाल ।	पुस्तक मेला-सह-संगोष्ठि, मालदा, मई 8-15, 1988	3000/-
2.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, एन. ई. हिल विश्वविद्यालय, शिलांग	भारत में समाज विज्ञान सूचना, समस्याएँ एवं परिदृश्य, शिलांग । मई 19-21, 1988	5000/-
3.	मणिपुर पुस्तकालय संघ, इम्फाल ।	पुस्तकालय एवं नवीन शिक्षा नीति, इम्फाल । मई 24-25, 1988	3400/-
4.	उडिसा पुस्तकालय संस्था, भुवनेश्वर ।	ग्रामीण पुस्तकालयों के लिए श्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम, भुवनेश्वर । जून 8-14, 1988	3000/-
5.	केराला पुस्तकालय संघ, त्रिवेन्द्रम ।	दूरस्था शिक्षा एवं पुस्तकालय, त्रिवेन्द्रम । जून 25-26, 1988	5000/-

क्रम संख्या 1	संगठन का नाम 2	विषय, स्थान एवं दिनांक 3	राशि 4
6.	बिहार पुस्तकालय सेवा संघ, पटना।	बिहार में सार्वजनिक पुस्तकालय, पटना। अगस्त 12, 1988	10000/-
7.	निदेशक, सार्वजनिक अनुदेश, पंजाब, चण्डिगढ़।	सार्वजनिक पुस्तकालयों एवं जनसाधारण को उनकी सेवाएँ, चण्डिगढ़।	10000/-
8.	मिजोरम पुस्तकालय संघ, एजवल।	मिजोरम में ग्रामीण पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों हेतु परिसंवाद -सह-प्रशिक्षण, एजवल। अक्टूबर 19-20, 1988	5000/-
9.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में अध्ययन तथा अनुसंधान विभाग, गुलबर्ग विश्वविद्यालय, गुलबर्ग।	अकादेमी पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु छठा इम्राटलिस परिसंवाद, गुलबर्ग। नवम्बर 21-23, 1988	5000/-
10.	उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ, लखनऊ।	उत्तर प्रदेश में स्कूल पुस्तकालयों के लिए मानक (1) उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए मानक (2) उत्तर प्रदेश में विद्यालय/विश्वविद्यालय/विशिष्ट पुस्तकालयों के बीच संयोजन, नैनीताल। नवम्बर 25-27, 1988.	5000/-

क्रम संख्या 1	संगठन का नाम 2	विषय, स्थान एवं दिनांक 3	राशि 4
------------------	-------------------	-----------------------------	-----------

11. पश्चिम बंगाल पुस्तक मेला,
1988-89, कलकत्ता
पश्चिम बंगाल पुस्तक मेला,
1988-89, कलकत्ता
24 दिसम्बर, 1988 से
8 जनवरी, 1989 तक।
उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में
भारतीय पुस्तकालय अधिनियम
अलीगढ़। मार्च 29-31, 1989.
पुस्तकालय संघटन एवं प्रबन्ध में
अभिविन्यास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (1)
विद्यार्थियों हेतु पुस्तकालय पर
राज्य स्तरीय संगोष्ठी, इम्फाल।
मार्च-अप्रैल, 1989.
- 12 पुस्तकालय विज्ञान विभाग,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
अलीगढ़। 10000/-
13. मणिपुर पुस्तकालय संघ,
इम्फाल। 10000/-

गैर-समतुल्य :

1. भारतीय पुस्तकालय संघ,

भारत में पुस्तकालय तथा सूचना
सेवाएँ : मूल्यांकन तथा प्रभाव पर अखिल भारतीय
पुस्तकालय संघ का 34वाँ सम्मेलन।
कलकत्ता, दिसम्बर 20-23, 1988.

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान एच. के. महताव राज्य पुस्तकालय, भुवनेश्वर के नाम 1987-88 में जारी 5000/- की राशि का एक
चेक रद्द किया गया। 10000/-

वर्ष 1988-89 के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को दी गई सहायता का विवरण

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	अनुदान सहायता का उद्देश्य (क्रय/निर्माण)	राशि रुपये	कुल रुपये
आन्ध्र प्रदेश :				
1.	श्यामनगर कल्याण एवं सांस्कृतिक संघ, 10-1-18/44, श्यामनगर हैदराबाद-500 004.	पुस्तक तथा फर्नीचर	5,000	
2.	श्री वासवी ग्रन्थालयम, आला गाड्डा, शोकरापेट, जिला : कुरनोल-518 543.	"	4,000	
3.	गांधी भवन ट्रस्ट, गांधी भवन, मुकारामजाही रोड, हैदराबाद-500 001.	"	20,000	
4.	विज्ञान निकेतन, मोहन रोड, खम्मम ।	"	20,000	

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	अनुदान सहायता का उद्देश्य (क्रय/निर्माण)	राशि रुपये	कुल रुपये
5.	काकातिया ग्रन्थालय, काकातियानगर, हैदराबाद-500 008.	भवन	<u>30,000</u>	1,24,000
बिहार :				
6.	सांस्कृतिक पुस्तकालया, शिक्षा केन्द्र, पो० वसन्त, जिला : सारन ।	पुस्तक, फर्नीचर एवं उपस्कर	<u>50,000</u>	50,000
गुजरात :				
7.	उपभोक्ता शिक्षा तथा अनुसंधान केन्द्र, ठाकुरभाई देसाई स्मारक भवन, विधि विद्यालय के समीप, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380 006.	पुस्तक एवं फर्नीचर	30,000	
8.	श्री कलोल सार्वजनिक महाजन कस्बा पुस्तकालय, टावर चौक के समीप, कलोल-382 721.	पुस्तक फर्नीचर एवं उपस्कर	10,000 10,000	

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	अनुदान सहायता का उद्देश्य (क्रय/निर्माण)	राशि रुपये	कुल रुपये
9.	एम. एन. अमीन निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय, वासो, नदिहा होकर जिला : बुंदा-378 380.	पुस्तक एवं फर्नीचर भवन	20,000 20,000	
10.	श्री प्रगति मण्डल संचालित श्री सार्वजनिक पुस्तकालय, भायली, वदोदरा ।	फर्नीचर एवं उपस्कर भवन	50,000 <u>50,000</u>	1,90,000
50 जम्सू एवं कश्मीर :				
11.	श्री रामकृष्ण आश्रम, शिभालया, करण नगर, धीनगर-190 010.	पुस्तक फर्नीचर	10,000 <u>8,000</u>	18,000
कर्नाटक :				
12.	द्रांग लोसिलिग पुस्तकालय संस्था, पो० तिवैतियन कौलोनी, मुण्डगोड (एन. के.)-581 441.	पुस्तक तथा भवन	30,000 <u>50,000</u>	80,000

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	अनुदान सहायता का उद्देश्य (क्रय/निर्माण)	राशि रुपये	कुल रुपये
केरल :				
13.	सेण्ट जॉसेफ पुस्तकालय तथा वाघनालय कक्ष, कांचुवेली, त्रिवेन्द्रम-695 021.	पुस्तक तथा फर्नीचर	46,500	
14.	श्रीवरहम वनिता समिति वनिता समिति भवन, दक्षिण फोर्ट, त्रिवेन्द्रम-1.	भवन	50,000	
15.	देशपोशिनी सार्वजनिक पुस्तकालय, पो० कुतिरत्तम, कालिकट-673 016	पुस्तक भवन	26,000 20,000	
16.	राइजिंग स्टार पुस्तकालय, कुचाप्पुरम, पो० : अम्बार, कट्टकडा होकर, जिला : त्रिवेन्द्रम।	पुस्तक भवन	25,000 25,000	

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	अनुदान सहायता का उद्देश्य (क्रय/निर्माण)	राशि रुपये	कुल रुपये
17.	राष्ट्रीय वाचनालय तथा पुस्तकालय, पो० : मरनगट्टुपिली, जिला : कोट्टायम ।	भवन	<u>20,000</u>	2,12,500
मध्य प्रदेश :				
18.	मोतीलाल नेहरू स्मारक पुस्तकालय, हिन्दी भवन, भोपाल ।	पुस्तक, फर्नीचर तथा उपस्कर	50,000	
महाराष्ट्र :				
19.	सार्वजनिक मंत्रेय वाचनालय, तेलहारा, जिला : अकोला-444 108.	पुस्तक फर्नीचर	20,000 10,000	
20.	श्रीरुकमिणी पाण्डुरंग संस्थान वाचनालय गांधी चौक, याभतमल ।	पुस्तक एवं फर्नीचर	25,000	
21.	नवयुग वाचनालय, सतारा मार्ग, जिला : सतारा-415 010.	भवन	20,000	

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	अनुदान सहायता का उद्देश्य (क्रय/निर्माण)	राशि रुपये	कुल रुपये
22.	राजाराम सिताराम दिक्षीत- वाचनालय, सिताबुल्दि, नागपुर-440 012.	भवन	50,000	
23.	रत्नागिरी (जिला) नगर- वाचनालय, जयस्तम्भ के समीप, खारेगाट मार्ग रत्नागिरी ।	फर्नीचर	15,000	
24.	पुने माराक्षि ग्रन्थालय, 437/बी, नारायण पैठ, पुणा-411 030.	पुस्तक फर्नीचर	30,000 20,000	
25.	श्री भ्रम्बादेवी संस्थान ग्रन्थालय, अमरावती-444 601.	पुस्तक	20,000	
26.	विद्यार्थी वाचनालय, शिव पंचायतन नगर, कर्मती जिला : नागपुर ।	पुस्तक, फर्नीचर एवं उपस्कर	30,000 20,000	

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	अनुदान सहायता का उद्देश्य (क्रय/निर्माण)	राशि रुपये	कुल रुपये
27.	स्वर्गीय श्री वसन्तराव नायक सार्वजनिक तालुका पुस्तकालय, मंगरूलपीर, जिला : अकोला।	भवन	50,000	3,10,000
उड़ीसा :				
28.	लक्ष्मी नारायणी युवा क्लब, वक्तरपुर (इच्छापुर), भो० : मठिया, जिला : कटक।	पुस्तक फर्नीचर	10,000 5,000	
29.	सांस्कृतिक विकास तथा सांस्कृतिक परिषद्, यूनीवर्स, मैत्री सरणी, कटक-753001.	पुस्तक भवन	15,000 10,000	
30.	रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द पुस्तकालय, विवेकानन्द, भुवनेश्वर-751002.	पुस्तक एवं फर्नीचर	20,000	
31.	राधामणि पाठागार, अरिलो, पी० नाराजा, मुण्डली कॉलोनी होकर, जिला : कटक।	पुस्तक	5,000	

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	अनुदान सहायता का उद्देश्य (क्रय/निर्माण)	राशि रुपये	कुल रुपये
32.	श्री जगन्नाथ पाठागार, पो० श्री पुरुषोत्तमपुर, जिला : पुरी ।	पुस्तक तथा फर्नीचर भवन	10,000	
33.	मारुति पाठागार, पो० : मोराबाडी, बुगुडा होकर, जिला : गन्जम ।	पुस्तक तथा फर्नीचर	10,000	
34.	युवा ज्योति क्लब, ग्राम : कुमण्डोल, पो० : नैरी, जिला : पुरी-752 029.	पुस्तक एवं फर्नीचर भवन	5,000 10,000	
35.	अशोक क्लब, पो० : इटीपूर, भवनेश्वर होकर, जिला : पुरी ।	पुस्तक एवं फर्नीचर	20,000	

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	अनुदान सहायता का उद्देश्य (क्रय/निर्माण)	राशि रुपये	कुल रुपये
36.	प्रगति युवक संघ, पो० : बिजिगोल, कण्णहा होकर, जिला : धेनकालन-759 117.	पुस्तक	10,000	
37.	राजलक्ष्मी महिला समिति, दशमनपटना, पो० : इण्डोल, जेनापुर होकर, जिला : धेनकालन-755 023.	पुस्तक एवं फर्नीचर	20,000	
38.	नव भारत पाठागार, ग्राम : गोविन्दवारी, पो० : बैनसिरिआ, जिला : कटक-755 021.	पुस्तक तथा फर्नीचर	10,000	1,80,000
36.	तिरु वि० क० पुस्तकालय, पो० : मेलापथ, जिला : तंजौर-609 304.	पुस्तक तथा फर्नीचर	5,000	

तमिलनाडु :

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	अनुदान सहायता का उद्देश्य (क्रम/निर्माण)	राशि रुपये	कुल रुपये
40.	दक्षिण भारत मूर्तुजविया शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान पुस्तकालय, 186, बिग स्ट्रीट, ट्रिप्लीकेन, मद्रास-600 005,	पुस्तक फर्नीचर	17,500 <u>7,500</u>	30,000
उत्तर प्रदेश :				
41.	महात्मा खुशीराम सार्वजनिक पुस्तकालय तथा वाचनालय, 12, गांधी मार्ग, देहरादून-248 001.	पुस्तक फर्नीचर	7,000 3,000	
42.	नागार्जुन बुद्ध प्रतिष्ठान, 18, आंधीयारी बाग, गोरखपुर-273 001.	पुस्तक फर्नीचर तथा उपस्कर	25,000 <u>25,000</u>	60,000

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	अनुदान सहायता का उद्देश्य (क्रय/निर्माण)	राशि रुपये	कुल रुपये
पश्चिम बंगाल :				
43.	बरबसुदेवपुर प्रशप्राण प्रगति संघ बरबसुदेवपुर, पो० पैकभेरी, भगवानपुर होकर, जिला : मिदनापुर ।	पुस्तक तथा फर्नीचर	5,000	
44.	मध्यमग्राम कल्याण समिति. शोधपुर मार्ग, 24 परगना (उत्तर)	पुस्तक तथा फर्नीचर	5,000	
45.	रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, पो० : विवेकानन्द नगर, जिला : पुरुलिया-723 147.	पुस्तक फर्नीचर	10,000 5,000	
46.	वालीगंज षयाम समिति, 34/1 वण्डेल मार्ग, कलकत्ता-700 019	पुस्तक तथा फर्नीचर	5,000	

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	अनुदान सहायता का उद्देश्य (कथ/निर्माण)	राशि रुपये	कुल रुपये
47.	निश्चिन्दा साधारण पाठागार, निश्चिन्दा (पश्चिम), घोष पाड़ा, बाली, हवड़ा ।	पुस्तक फर्नीचर	7,000 5,000	
48.	उप-मण्डलीय कन्टाई क्लब पुस्तकालय, पो० : कन्टाई, जिला : मिदनापुर ।	भवन	50,000	
49.	साधना पाठागार, नवकृष्ण गाइन लेन, पो० : श्रीरामपुर, जिला : हुगली-712 201.	भवन	20,000	
50.	सुभाष संस्थान, नवपल्ली, बारासात, 24 परगना (उत्तर)	पुस्तक, फर्नीचर तथा उपस्कर भवन	50,000 50,000	
51.	महात्मा अश्विनी कुमार दत्त स्मारक समिति, 94/2 पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-700 017.	भवन	30,000	

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	अनुदान सहायता का उद्देश्य (क्रय/निर्माण)	राशि रुपये	कुल रुपये
52.	उदंग परली उन्नयन परिषद् पाठागार, ग्राम तथा पो० : उदंग, अमता पुलिस स्टेशन, जिला : हावड़ा।	पुस्तक भवन	2,600 2,400	
53.	प्रगति संघ सार्वजनिक पुस्तकालय, ग्राम तथा पो० : भुपतिनगर, जिला : मिदनापुर-721 425.	पुस्तक, फर्नीचर तथा उपस्कर भवन	5,000 10,000 20,000	
54.	हेमचन्द्र पुस्तकालय, 11/1, मोहनचन्द मार्ग, खिदिरपुर, कलकत्ता-700 023.	पुस्तक फर्नीचर भवन मरम्मत	25,000 15,000 25,000	
55.	बौद्ध अध्ययन तथा अनुसंधान अंतराष्ट्रीय केन्द्र, (हरका बाहादुर लामा सार्वजनिक पुस्तकालय) गुरुगं बस्ती, पो० : प्रधान नगर, सिलीगुड़ी, दार्जीलिंग-734 403.	पुस्तक फर्नीचर तथा उपस्कर	1,500 15,000	4,00,000

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं पता	अनुदान सहायता का उद्देश्य (क्रम/निर्माण)	राशि रुपये	कुल रुपये
चण्डीगढ़ :				
56.	ग्रामीण तथा औद्योगिक अनुसंधान केन्द्र, 2-ए, सेक्टर 19-ए, मध्य मार्ग, चण्डीगढ़ ।	पुस्तक तथा फर्नीचर	<u>25,000</u>	25,000
दिल्ली :				
57.	गुरु नानक प्रतिष्ठान, 15-16, संस्थान क्षेत्र, कुतुब होटल के समीप, दिल्ली-100 067.	पुस्तक फर्नीचर	<u>40,000</u> <u>10,000</u>	50,000
			<u>कुल योग : 17,79,500</u>	

सार्वजनिक पुस्तकालय के बाल अनुभाग एवं बाल पुस्तकालयों को दी गई सहायता का विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पुस्तकालयों की संख्या	रकम
1.	आन्ध्रप्रदेश	10	25,000
2.	असम	5	12,123
3.	गुजरात	11	25,500
4.	हरियाणा	2	5,000
5.	कर्नाटक	12	37,469
6.	महाराष्ट्र	6	15,000
7.	मणिपुर	1	5,000
8.	मेघालय	3	7,230
9.	उड़ीसा	1	2,500
10.	पंजाब	10	30,000
11.	तमिलनाडु	1	2,500
12.	त्रिपुरा (समायोजन)	4 x	3,306
13.	उत्तर प्रदेश	2	4,992

14.	पश्चिम बंगाल	48	1,22,500
15.	चण्डीगढ़	1	2,500
16.	दादरा नगर हवेली	1	2,500
17.	गोआ, दमन एवं दिउ	3	10,000
18.	मिजोरम	3	7,500

कुल योग : 3,22,620.00

x वर्ष के दौरान चार पुस्तकालयों के पक्ष में चार चेक, प्रत्येक का मूल्य 2,500/- रुपया रद्द किये गये तथा चारों पुस्तकालयों को 13,306/- रुपये की सहायता वस्तु के रूप में प्रदान की गई।

वर्ष के दौरान असम में दो पुस्तकालयों के पक्ष में दो चेक, प्रत्येक की राशि 2,500/-रुपये रद्द किये गये।

वर्ष 1988-89 के दौरान सहायता प्राप्त पुस्तकालयों का विवरण

राज्य का नाम	रा. के. पु.	मण्डलीय एवं विभागीय पुस्तकालय	उप-मण्डलीय एवं तालुका पुस्तकालय	नगर तथा ग्रामीण पुस्तकालय	नेहरू युवक केन्द्र	जवाहर बाल भवन तथा केन्द्रीय पुस्त.	स्वच्छिक	कुल
आन्ध्र प्रदेश	1	29	—	1414	—	—	5	1449
अरुणाचल प्रदेश	1	11	1	38	—	—	—	51
असम	1	17	11	200	—	3	—	232
बिहार	1	37	19	408	—	—	1	466
गुजरात	1	19	37	725	—	5	4	791
गोआ	1	—	4	35	—	3	—	43
हरियाणा	1	11	—	—	—	1	—	13
हिमाचल प्रदेश	1	12	—	126	—	—	—	139
जम्मू कश्मीर	1	14	—	—	—	—	1	16
कर्नाटक	1	19	—	175	4	—	1	200
केरल	1	11	—	—	—	—	5	17
मध्य प्रदेश	1	42	—	2000	—	—	1	2044
महाराष्ट्र	—	32	31	616	—	3	9	721
मणिपुर	1	5	—	65	—	—	—	71
मेघालय	1	4	—	—	—	—	—	5
मिजोरम	1	2	—	83	—	—	—	86

राज्य का नाम	रा. के. पु.	मण्डलीय एवं विभागीय पुस्तकालय	उप-मण्डलीय एवं तालुका पुस्तकालय	नगर तथा ग्रामीण पुस्तकालय	नेहरू युवक केन्द्र	जवाहर बाल भवन तथा केन्द्रीय पुस्त.	स्वैच्छिक	कुल
नागालैंड	1	6	7	106	—	—	—	113
उडिसा	1	13	—	36	—	—	11	61
पंजाब	1	12	—	—	12	—	—	25
राजस्थान	1	29	—	56	—	—	—	86
सिक्किम	—	4	—	—	—	—	—	4
तमिलनाडु	—	16	—	249	—	—	2	267
त्रिपुरा	1	3	—	17	—	—	—	21
उत्तर प्रदेश	1	56	—	92	—	2	2	153
पश्चिम बंगाल	1	17	—	—	—	37	13	68
अण्डमान एवं निकोबर	1	—	—	10	—	—	—	11
चण्डीगढ़	1	—	—	3	—	—	1	5
दादरा एवं नगर हवेली	1	1	—	—	—	1	—	3
दिल्ली	—	—	—	—	—	—	1	1
लक्षद्वीप	1	—	—	—	—	—	—	1
पाण्डीचेरी	1	2	—	—	—	—	—	17
कुल योग :	27	424	103	6498	16	55	57	7180

वर्ष 1972-73 से 1988-89 तक प्रतिष्ठान द्वारा पुस्तकालयों को दी गई सहायता का विवरण

राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का नाम	रा. के. पु.	जिला तथा क्षेत्रीय पुस्तकालय	उप. म. एवं ता. पु.	नगर एवं ग्रामीण पुस्तकालय	पुस्तक संचयन केन्द्र	नेहरू युवक केन्द्र	जवाहर बाल भवन	अन्यान्य	कुल
आन्ध्र प्रदेश	1	29	—	852	620	14	1	—	1 17
अरुणाचल प्रदेश	1	11	1	38	—	2	—	—	53
असम	1	17	11	216	—	4	3	—	252
बिहार 2	1	37	24	1624	—	13	1	—	1700
गोआ	1	—	4	95	—	1	—	3	104
गुजरात	1	19	37	2081	11	5	1	—	2155
हरियाणा	1	11	—	44	—	2	6	—	64
हिमाचल प्रदेश 2	1	12	—	143	—	8	1	5	170
जम्मू कश्मीर	1	14	5	2	—	1	1	—	24
कर्नाटक	1	19	175	1924	—	8	7	—	2134
केरल 3	1	11	—	1072	—	8	4	—	1095
मध्य प्रदेश	1	45	20	2005	—	11	2	—	2084
महाराष्ट्र	1	39	195	1821	1	2	7	—	2066
मणिपुर	1	5	—	97	—	2	—	—	105
मेघालय	1	4	—	—	—	2	—	—	7
मिजोरम	1	2	—	102	—	1	—	—	106

राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का नाम	रा. के. पु.	जिला तथा क्षेत्रीय पुस्तकालय	उप. म. एवं ता. पु.	नगर एवं ग्रामीण पुस्तकालय	पुस्तक संचयन केन्द्र	नेहरू युवक केन्द्र	जवाहर बाल भवन	अन्यान्य	कुल
नागालैण्ड	1	6	—	106	—	—	—	—	113
उडिसा	1	13	7	1411	130	10	2	116	1690
पंजाब	1	11	—	1	—	12	—	—	25
राजस्थान	1	29	9	68	—	12	—	—	119
सिक्किम	—	4	1	—	—	1	—	—	6
तमिलनाडु	—	16	—	1507	—	12	3	—	1538
त्रिपुरा 4	1	3	10	18	10	2	—	—	44
उत्तर प्रदेश	1	90	—	589	—	28	2	—	710
पश्चिम बंगाल	1	22	—	2765	1	8	6	—	2803
अण्डमान व निकोबर 4	1	—	—	25	—	1	—	—	27
चण्डीगढ़	1	—	—	1	1	1	1	—	5
दादरा एवं नगर हवेली	1	1	—	—	—	1	—	—	3
दिल्ली	—	—	—	1	—	2	—	—	3
लक्षद्वीप	1	—	—	10	—	—	—	—	11
पण्डिचेरी	1	2	—	51	—	2	1	—	57
कुल	28	472	499	18669	774	176	49	124	20791

टिप्पणी : रा० के० पु० — राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, जि० पु० — जिला पुस्तकालय वि० क्षे० पु० — विभागीय / क्षेत्रीय पुस्तकालय, उ० म० / ता० पु० — उप-मण्डलीय/तालुका पुस्तकालय, न० ग्रा० पु० — नगर एवं ग्रामीण पुस्तकालय पु० सं० के० — पुस्तक संचयन केन्द्र, ने० यु० के० — नेहरू युवक केन्द्र । ज० वा० भ० — जवाहर बाल भवन


1. 1981-82 तक का अंक,
2. 1986-87 तक का अंक,
3. 1985-86 तक का अंक,
4. 1988-89 तक का अंक,

वर्ष 1988-89 के दौरान निरीक्षण किये गये पुस्तकालयों का विवरण


राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का नाम	राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय	जिला पुस्तकालय	जिला स्तर से नीचे के पुस्तकालय	नेहरू युवक केन्द्र	कुल
आन्ध्र प्रदेश	—	11	50	—	61
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
असम	1	8	8	—	17
बिहार	1	14	3	—	18
गोआ	1	—	12	—	13
गुजरात	1	16	42	—	59
हरियाणा	—	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	3	11	—	14
जम्मू एवं कश्मीर	1	3	1	—	5
कर्नाटक	—	8	23	—	31
केरल	—	5	43	—	48
मध्य प्रदेश	1	24	5	—	30
महाराष्ट्र	1	21	77	—	99
मणिपुर	1	2	8	—	11
मेघालय	1	1	—	—	2
मिजोरम	1	—	6	—	7
नागालैण्ड	—	—	—	—	—

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय	जिला पुस्तकालय	जिला स्तर के नीचे के पुस्तकालय	नेहरू युवक केन्द्र	कुल
उड़िसा	—	7	14	1	22
पंजाब	—	—	—	—	—
राजस्थान	1	13	8	3	25
सिक्किम	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	—	9	45	—	54
त्रिपुरा	—	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	1	20	28	1	50
पश्चिम बंगाल	—	3	34	—	37
अण्डमान एवं निकोबर	—	—	—	—	—
चण्डिगढ़	—	—	—	—	—
दादरा एवं नगर हवेली	1	—	—	—	1
दमन एवं दिऊ	1	—	—	—	1
दिल्ली	—	—	—	—	—
लक्ष्यद्वीप	—	—	—	—	—
पण्डिचेरी	1	—	19	—	20
कुल	15	168	437	5	625


वर्ष 1988 के दौरान विभिन्न मदों के अन्तर्गत व्ययगत राशि का अनुपात




समतुल्य सहायता परियोजना के अन्तर्गत पुस्तक सहायता 45.72%



गैर-समतुल्य सहायता परियोजना के अन्तर्गत पुस्तक सहायता 10.84%



समतुल्य सहायता परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय अनुदान 2.42%



गैर-समतुल्य सहायता परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय अनुदान 10.29%



प्रशासन 11.80%



अन्य प्रोन्नतिकारक क्रियाएँ 1.21%



पूँजीगत व्यय 17.72%

वर्ष 1988-89 के परीक्षित लेखा का विवरण
आय-व्यय लेखा

	व्यय			
	रु०	पै०	रु०	पै०
1. प्रशासन :				
1. कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ता	11,88,944	00		
घटाये, आयकर प्राप्त	18,973	00		
	11,69,971	00		
घटाये, व्यवसायिक कर	9,182	00	11,60,789	00
2. कर्मचारियों का यात्रा भत्ता			1,29,510	00
3. कर्मचारियों का चिकित्सा एवं अन्य भत्ता			19,919	00
4. प्रतिष्ठान के प्रशासनिक समिति की बैठकों से सम्बन्धित गैर-कार्यालय सदस्यों का यात्रा भत्ता			1,24,174	00
5. अन्य शुल्क			3,93,213	55
6. अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान			8,375	00
7. कर्मचारी वाहन के रख-रखाव			31,137	90
8. पी. एण्ड टी. विभाग में जमा			8,000	00
9. साधारण भविष्य निधि पर व्याज			43,546	75
10. कर्मचारी कल्याण			3,000	00
11. ग्रेचुईटी			11,900	00
12. विभागीय कैंटीन घटाये व्यवसायिक कर	30,669	00	30,506	00
	163	00		
13. अग्रिम :			14,800	00
I. त्योहार			2,800	00
II. साईकिल			30,000	00
III. मकान				
			20,11,671	20
			अग्रणीत	

आय

	रु०	पै०	रु०	पै०
			59,46,854.72	
पिछे से लाया गया				
III. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान : गैर-गोजना योजना	12,50,000.00			
	1,94,68,800.00		2,07,18,800.00	
IV विविध प्राप्तियाँ :				
1. बैंक व्याज		4,90,351.31		
2. यात्रा भत्ता की वापसी (कर्मचारी)				
(i) मुख्य कार्यालय		6,092.00		
(ii) बम्बई आंचलिक कार्यालय		294.00		
(iii) दिल्ली आंचलिक कार्यालय		487.00		
3. अवकाश वेतन की वापसी		1,527.00		
4. विक्रय से प्राप्ति		556.50		
5. रा. रा. रा. पु. प्र. खाता में प्रतिष्ठान अशदान की वापसी		80,595.00		
6. स्वामित्व शुल्क		5,302.25		
7. यात्रा भत्ता की वापसी (सदस्य)		473.90		
8. अन्य प्रोत्तिकारक क्रियाओं के अन्तर्गत पाईलट सर्वे परियोजना में खर्च न हुई रकम की वापसी		197.41		
9. दिल्ली अतिथिशाला में खान-पान तथा रहन खर्च		12,049.70		
10. गाड़ी की जोखिम बीमा पर वापसी		910.00		
			5,98,836.00	
			2,66,65,654.72	
अग्रणीत				

आय

	रु०	पै०	रु०	पै०
पिछे से लाया गया	5	98,836.07	2,66,65,654.73	
11. टी. वी.-सह-वी.सी.आर. योजना के अन्तर्गत खर्च न हुई रकम की वापसी	10,000.00			
12. स्वैच्छिक योजना के अन्तर्गत खर्च न हुई रकम की वापसी	688.27			
13. पुस्तक संग्रह योजना के अन्तर्गत खर्च न हुई रकम की वापसी	50.00			
14. अन्य खर्च	<u>122.52</u>		6,09,696.96	
V. आर. आर. आर. एल. एफ. (अंशदायी भविष्य निधि) खाता (अंशदायी भविष्य निधि खातानुसार)			2,05,958.44	
VI. आर. आर. आर. एल. एफ. (साधारण भविष्य निधि) खाता (साधारण भविष्य निधि खाता अनुसार)			6,30,282.00	

अमेनीत 2,81,11,592.12

		व्यय	
		रु०	पै०
पिछे से लाया गया		रु०	पै०
		24,06,797.85	
II. पुस्तकालय सेवाओं का प्रसार (अविच्छिन्न योजनाएं)			
1. पठनीय पुस्तकों एवं दृष्टिक सामग्रियों का पर्याप्त भण्डार बनाने हेतु सहायता			
(i) जिला एवं उप-मंडलीय पुस्तकालय का सुदृढीकरण	93,21,936.41		
(ii) केन्द्रपोषित पुस्तकालयों को सहायता	31,387.00		
(iii) पुस्तकों के केन्द्रीय चयन द्वारा राज्य एवं जिला पुस्तकालयों को सहायता	21,77,543.75		
2. ग्रामीण पुस्तक संचयन केन्द्र तथा चल पुस्तकालयों के विकास हेतु सहायता	29,047.00		
3. पुस्तक संचयन हेतु पुस्तकालयों को सहायता	79,260.00		
4. संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम एवं पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु सहायता	1,29,400.00		
5. सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता	17,79,500.00		
अग्नेनीत	1,35,48,074.16	24,06,797.85	

आय

पीछे से लाया गया

रु० पै० रु० पै०
2,81,11,592.12

अधेनीत 2,81,11,592.12

व्यय

	रु०	पै०	रु०	पै०
पिछे से लाया गया	1,35,48,074.16		24,06,797.85	
6. नयी योजनाएँ				
(i) शिक्षा के उद्देश्य से राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तथा जिला पुस्तकालयों को टी. वी.-सह-वी. सी. आर. के लिए आर्थिक सहायता	2,56,109.00			
(ii) बाल पुस्तकालयों तथा साधारण पुस्तकालय के बाल अनुभाग को आर्थिक सहायता	<u>3,17,620.00</u>		1,41,21,803.16	
III. अन्य प्रोन्नतिकारक क्रियायें :				
i. सभा	1,70,675.80			
ii. विशेष पुस्तकालय	22,699.50			
iii. प्रकाशन	<u>53,264.00</u>		2,46,639.30	
IV. पूंजीगत व्यय :				
1. उपस्कर एवं आसबाब	11,546.00			
2. दिल्ली अतिथिशाला हेतु उपस्कर	2,578.35			
3. भवन निर्माण कार्याधीन	29,92,400.14			
4. दिल्ली आंचलिक कार्यालय उपस्कर एवं आसबाब	7,914.00			
5. मद्रास आंचलिक कार्यालय उपस्कर एवं आसबाब	9,257.00			
6. कम्प्यूटर क्रय के लिए अग्रिम	4,05,000.00			
अग्रणीत	<u>34,28,695.49</u>		<u>1,67,75,240.31</u>	

आय

रु०

पै०

रु०

पै०

पीछे से लाया गया

2,81,11,592.12

कुलयोग

2,81,11,592.12

व्यय

	रु०	पै०	रु०	पै०
पीछे से लाया गया	34,28,695.49		1,67,75,240.31	
7. कोपियर क्रय के लिए अग्रिम	94,855.00			
8. इलेक्ट्रॉनिक टाईपराईटर क्रय के लिए अग्रिम	51,003.00			
9. भिनारक पुस्तकालय रैंक क्रय के लिए अग्रिम	20,405.00			
10. स्टील पुस्तक केस क्रय के लिए अग्रिम	<u>16,678.00</u>		36,11,636.49	
V. अंत शेष :				
1. रोकड़ हाथ में	455.00			
2. रोकड़ बैंक में	<u>68,87,019.88</u>		68,87,474.88	
3. स्थायी अग्रिम (अग्रधन)			1,000.00	
VI. प्रतिष्ठान (कर्मचारी) अंशदायी भविष्य निधि खाता (अंशदायी भविष्य निधि प्राप्ति एवं भुगतान खाता अनुसार)			2,05,958.44	
VII. प्रतिष्ठान (कर्मचारी) साधारण भविष्य निधि खाता (साधारण भविष्य निधि प्राप्ति एवं भुगतान खाता अनुसार)			6,30,282.00	

कुलयोग

2,81,11,592.12

व्यय	रु०		पै०	
	रु०	पै०	रु०	पै०
1. प्रशासन :				
1. कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ता			12,10,918.00	
2. कर्मचारियों का यात्रा भत्ता			1,23,418.00	
3. कर्मचारियों का चिकित्सा एवं अन्य भत्ता			19,492.00	
4. प्रतिष्ठान के गैर-कार्यालय सदस्यों एवं प्रशासनिक समिति के सदस्यों का यात्रा भत्ता			1,24,174.00	
5. अन्य खर्च			3,94,415.75	
6. अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान			8,375.00	
7. कर्मचारी वाहन रख-रखाव			30,227.90	
8. साधारण भविष्य निधि खाता में व्याज का भुगतान			43,546.75	
9. कर्मचारी कल्याण			3,000.00	
10. विभागीय कैंटीन			30,669.00	
11. लाभांश का भुगतान			40,184.00	
12. दिल्ली अतिथिशाला कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ता			53,618.00	
13. दिल्ली अतिथिशाला किराया			1,02,000.00	
14. दिल्ली अतिथिशाला अन्य खर्च			10,928.65	
15. ग्रेच्यूइटी			11,900.00	

अग्रणीत 22,06,867 05

आय एवं व्यय खाता

	आय			
	रु०	पै०	रु०	पै०
I. सरकार से प्राप्त अंदान :				
क. राज्य सरकार			56,80,000.00	
ख. केन्द्रीय सरकार	2,07,18,800.00			
घटायें, पूंजीगत खर्च		58,696.33		
खर्च के लिए			2,06,60,103.67	

अग्रणीत 2,63,40,103.67

व्यय

	रु०	पै०	रु०	पै०
पीछे से लाया गया	22,06,867.05			
16. दिल्ली आंचलिक कार्यालय के वेतन एवं भत्ता	36,583.00			
17. दिल्ली आंचलिक कार्यालय के लाभांश	1,161.00			
18. दिल्ली आंचलिक कार्यालय के अन्य खर्च	870.00			
19. दिल्ली आंचलिक कार्यालय के यात्रा भत्ता	18,705.00			
20. दिल्ली आंचलिक कार्यालय के चिकित्सा व्यय	1,357.00			
21. बम्बई आंचलिक कार्यालय के यात्रा भत्ता	23,895.00			
22. बम्बई आंचलिक कार्यालय के लाभांश	1,045.00			
23. बम्बई आंचलिक कार्यालय के अन्य खर्च	1,835.00			
24. बम्बई आंचलिक कार्यालय के वेतन एवं भत्ता	36,940.00			
25. मद्रास आंचलिक कार्यालय : वेतन एवं भत्ता	23,990.00			
26. मद्रास आंचलिक कार्यालय : अन्य खर्च	171.00			
27. मद्रास आंचलिक कार्यालय : यात्रा भत्ता	<u>16,166.00</u>		23,69,585.05	
11, पुस्तकालय सेवाओं की प्रोन्नति :				
1. पुस्तक क्रय तथा वितरण सम्बन्धित सहायता (जिला, ग्रामीण, केन्द्रीय चयन तथा केन्द्रीय सहायता प्राप्त पुस्तकालय)	1,15,30,867.16			
अग्नेनीत	<u>1,15,30,867.16</u>		<u>23,69,585.05</u>	

आय

रु० पै०

रु० पै०

पीछे ले लाया गया

2,72,99,631.87

अशेषित

88

2,72,99,631.87

व्यय

	रु०	पै०	रु०	पै०
पीछे से लाया गया	1,37,20,898.85		23,69,585.05	
नई योजनाएँ :				
1. राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा जिला पुस्तकालयों को शिक्षण के उद्देश्य से टी. वी. -सह-वी. सी. ग्रार प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता	2,46,109.00			
2. साधारण सार्वजनिक पुस्तकालय के बाल पुस्तकालय तथा बाल अनुभाग को आर्थिक सहायता	3,17,620.00	1,42,84,627.85		
III. अन्य प्रोन्नति क्रियाएँ :				
बैठक प्रकाशन	1,70,004.49			
	53,264.00		2,23,268.49	
			5,381.44	
IV. प्रतिष्ठान (कर्मचारी) अंशदायी भविष्य निधि खाता (अंशदायी भविष्य निधि खाता अनुसार)				3,64,616.00
V. प्रतिष्ठान (कर्मचारी) साधारण भविष्य निधि खाता (साधारण भविष्य निधि खाता अनुसार)				1,00, 2,153.04
VI. व्यय से अधिक आय				

कुलयोग

2,72,99,631.87

आय

	रु०	पै०	रु०	पै०
पीछे से लाया गया			2,72,99,631.87	

कुल योग 2,72,99,631.87

31.03.89 तक का

देयताएं

	रु०	पै०	रु०	पै०
I. पूँजीगत निधि :				
(पीछले लेखानुसार)	46,21,544.67			
पूँजीगत निधि जोड़े	<u>58,696.33</u>			
	46,80,241.00			
व्यय से अधिक आय जोड़े	<u>1,00,52,153.04</u>		1,47,32,394.04	
II. बकाया देयताएँ :				
(पिछले खातानुसार)	9,03,287.71			
वर्ष के दौरान वापसी घटाये	<u>4,58,606.04</u>			
	4,44,681.67			
वर्ष के दौरान बढ़ाया	<u>6,32,169.00</u>			
देयताएं जोड़े				10,76,850.67

अग्नेनीत

1,58,09,244.71

परिसम्पत्तियां

	रु०	पै०	रु०	पै०
I. उपस्कर एवं आसवाव : (पिछले खातानुसार) वर्ष के दौरान जोड़े	9,14,571.05	16,194.00		
	<u>9,30,765.05</u>			
वापसी समायोजन घटायें		122.62	9,30,642.43	
II. भूमि तथा भवन :				
भूमि (पिछले खातानुसार) जोड़े वर्ष के दौरान	80,768.45	कुछ नहीं		
	<u>80,768.45</u>		80,768.45	
भवन (पिछले खातानुसार) जोड़े वर्ष के दौरान	28,68,360.68	कुछ नहीं		
	<u>28,68,360.68</u>		28,68,360.68	
भवन का चालु काम : (पिछले खातानुसार) वर्ष के दौरान जोड़े		कुछ नहीं		
	<u>32,21,517.15</u>		32,21,517.15	
III. कर्मचारी वाहन :				
(पिछले खातानुसार) वर्ष के दौरान जोड़े	1,16,886.61	कुछ नहीं		
	<u>1,16,886.61</u>		1,16,886.61	
			<u>72,18,175.32</u>	
अग्नेनीत				

देयताएं

	रु०	पै०	रु०	पै०
पीछे से लाया गया			1,58,09,244.71	
III. सुरक्षा जमा : (पिछले लेखानुसार)			1,800.00	
IV. आर. आर. आर. एल. एफ. (कर्मचारी) अंशदायी भविष्य- निधि खाता (पिछले तुलन- पत्र अनुसार)			—	
V. आर. आर. आर. एल. एफ. (कर्मचारी) साधारण भविष्य- निधि खाता (पिछले तुलन- पत्र अनुसार)			5,92,842.00	

अग्रणीत

1,64,03,886.71

परिसम्पत्तियां

	रु०	पै०	रु०	पै०
पीछे से लाया गया			72,18,175.32	
IV. विशेष पुस्तकालय :				
(पिछले खातानुसार)	96,527.22			
वर्ष के दौरान जोड़े		22,875.60		
			1,19,402.82	
V. जमा (डाक एवं तार विभाग) :				
पिछले खातानुसार	13,751.00			
वर्ष के दौरान जोड़े		8,000.00		
			21,751.00	
वर्ष के दौरान घटायें		1,144.00		
			20,607.00	
VI. दिल्ली अतिथिशाला :				
(क) फर्नीचर तथा आसबाब	93,643.91			
(पिछले खातानुसार)				
वर्ष के दौरान जोड़े		2,578.35		
			96,222.26	
(ख) भूमिपति (भवन का	9,435.00			
किराया (पिछले खातानुसार)				
वर्ष के दौरान घटायें		2,435.00		
			7,000.00	
अग्रणीत			74,61,407.40	

देयताएँ

पीछे से लाया गया

रु०

पै०

रु०

पै०

1,64,03,886.71

अग्रणीत 1,64,03,886.71

परिसम्पत्तियां

	र०	पै०	र०	पै०
पीछे से लाया गया			74,6	1,407.40
(ग) जमा (डाक व तार विभाग) पिछले लेखानुसार	8,000.00			
घटायें, वर्ष के दौरान चुकाया गया रकम	<u>386.00</u>		7,6	14.00
(घ) गैस-सिलिण्डर के लिए जमा रकम (पिछले लेखानुसार)			950.00	
VII. दिल्ली आंचलिक कार्यालय :				
फर्नीचर (पिछले लेखानुसार)		—		
वर्ष के दौरान जोड़े	<u>7,914.00</u>		7,9	14.00
VIII. बम्बई आंचलिक कार्यालय :				
फर्नीचर (पिछले लेखानुसार)	8,635.44			
वर्ष के दौरान जोड़े	<u>—</u>		8,6	35.44
IX. मद्रास आंचलिक कार्यालय :				
फर्नीचर (पिछले लेखानुसार)		—		
वर्ष के दौरान जोड़े	<u>9,257.00</u>		9,2	57.00

अग्नेनीत

74,95,777.84

देयताएं

पीछे से लाया गया

रु०

पै०

रु०

पै०

1,64,03,886.71

अग्रणीत

1,64,03,886.71

परिसम्पत्तियां

	रु०	पै०	रु०	पै०
पीछे से लाया गया			74,95,777.84	
X. (क) अग्रिम :				
त्योहार (पिछले लेखानुसार)	7,680.00			
वर्ष के दौरान जोड़े	<u>14,800.00</u>			
	22,480.00			
वर्ष के दौरान वापसी घटाये	<u>16,880.00</u>		5,600.00	
(ख) साईकिल :				
पिछले लेखानुसार	1,696.00			
वर्ष के दौरान जोड़े	<u>2,800.00</u>			
	4,496.00			
वर्ष के दौरान घटाये	<u>2,128.00</u>		2,368.00	
(ग) वाढ़ :				
पिछले लेखानुसार	3,990.00			
वर्ष के दौरान वापसी घटाये	<u>3,990.00</u>			
(घ) भवन निर्माण :				
पिछले लेखानुसार	30,000.00			
वर्ष के दौरान जोड़े	<u>30,000.00</u>		60,000.00	
XJ. अग्रिम :				
(क) कार्यालय भवन निर्माण	10,00,000.00			
के लिये एन. बी सी. सी. को अग्रिम (पिछले लेखानुसार)				
वर्ष के दौरान वापसी		<u>2,29,117.01</u>		
अग्रणीत	7,70,882.99		75,63,745.84	

देयताएं

रु० पै०

रु० पै०

पीछे से लाया गया

1,64,03,886.7

अग्रणीत

1,64,03,886.71

परिसम्पत्तियां

	रु०	पै०	रु०	पै०
पीछे से लाया गया	7,70,882.99		75,63,745.84	
(ख) विशेष पुस्तकालय में युनेस्को प्रकाशन खरीद के लिए अग्रिम पीछले लेखानुसार वर्ष के दौरान वापसी		234.00 234.00		
(ग) बिसाडेक्स केबिनेट क्रय के लिए अग्रिम : पीछले लेखानुसार वर्ष के दौरान वापसी		4,648.00 4,648.00		
(घ) कम्प्युटर क्रय के लिए एच. सी. एल. को अग्रिम : पीछले लेखानुसार वर्ष के दौरान जोड़े			4,05,000.00 4,05,000.00	
(द) जेरक्स मशिन क्रय के लिए एच. सी.एल. को अग्रिम पीछले लेखानुसार वर्ष के दौरान जोड़े			94,855.00 94,855.00	
(ठ) नेटवर्क मशिन क्रय के लिए आई.सी.एन. लिमिटेड को अग्रिम पीछले लेखानुसार वर्ष के दौरान जोड़े			51,003.00 51,003.00	
अग्नेनीत	13,21,740.99		75,63,745.84	

देयताएं

पीछे से लाया गया

रु० पै०

रु० पै०

1,64,03,886.71

कुल योग 1,64,03,886.71

हस्ताक्षर
(ए० के० बनर्जी)
सहायक सचिव

परिसम्पत्तियां

	रु०	पै०	रु०	पै०
पीछे से लाया गया	13,21,740.99		75,60,746.84	
(ज) विनार्क पुस्तकालय दुहरेरेक खरिद के लिए हिमालुक्स प्रा. लि. को अग्रिम : पिछले लेखानुसार		—		
वर्ष के दौरान जोड़े		20,405.00		20,405.00
(झ) खेतान फर्नीचर बुक केस क्रय के लिए अग्रिम : पिछले लेखानुसार		—		
वर्ष के दौरान जोड़े		16,678.00		16,678.00
				13,58,823.00
XII. आर. आर. आर. एल. एफ. (कर्मचारी) अंशदायी भविष्य निधि खाता				—
XIII. आर. आर. आर. एल. एफ. (कर्मचारी) साधारण भविष्य निधि खाता				5,92,842.00
XI. अंतशेष : रोकड़ हाथ में		455.00		
रोकड़ बैंक में		68,87,019.88		68,87,474.88
स्थायी अग्रिम (अग्रधन)				1,000.00
				<u>1,64,03,886.71</u>
				हस्ताक्षर (बी० पी० बरुआ) निदेशक

राजा राममोहन राय पुस्तकालय
01.04 88 से 31.03.89 तक का

	प्राप्ति			
	रु०	पै०	रु०	पै०
I. प्रारम्भिक शेष :				
रोकड़ हाथ में		—		
रोकड़ बैंक में	51,877	00		
विनियोग	<u>1,48,700</u>	<u>00</u>	2,00,577	00
II. प्राप्त अंशदान				351.00
III. अंशदायी भविष्य निधि पर बैंक ब्याज				5,030.44

कुलयोग 2,05,958.44

ह० अस्पष्ट
(ए० के० बनर्जी)
सहायक सचिव

प्रतिष्ठान अंशदायी भविष्य निधि खाता
प्राप्ति एवं भुगतान खाता

		भुगतान	
		रु०	पै०
I.	प्रतिष्ठान खाता में स्थानान्तरित बैंक रोकड़		51,877.00
II.	प्रतिष्ठान खाता में स्थानान्तरित अशदान		351.00
III.	प्रतिष्ठान खाता में स्थानान्तरित बैंक ब्याज		5,030.44
IV.	साधारण भविष्य निधि में स्थानान्तरित विनियोग		1,48,700.00
V.	अंतशेष : रोकड़ हाथ में रोकड़ बैंक में विनियोग		

कुलयोग

2,05,958.44

ह० अस्पष्ट
(बी० पी० बरूआ)
निदेशक

राजा राममोहन राय पुस्तकालय
01.04.88 से 31.3.89 तक का

व्यय

	रु०	पै०	रु०	पै०
I. प्रतिष्ठान खाता में स्थानान्तरित अंशदान			351.00	
II. प्रतिष्ठान खाता में स्थानान्तरित बैंक ब्याज			5,030.44	

कुलयोग

5,381.44

ह० अस्पष्ट
(ए० के० बनर्जी)
सहायक सचिव

प्रतिष्ठान अंशदायी भविष्य निधि खाता
आय एवं व्यय खाता

	आय			
	रु०	पै०	रु०	पै०
I. प्राप्त अंशदान			351.00	
II अंशदायी भविष्य निधि खाता पर बैंक व्याज			5,030.44	

कुलयोग 5,381.44

ह० अस्पष्ट
(बी० पी० बरुआ)
निदेशक

राजा रायमोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान
31 मार्च 1989 तक

दायित्व

	रु०	पै०	रु०	पै०
1. आर. आर. आर. एल. एफ. अंशदायी भविष्य निधि खाता :				
पिछले लेखानुसार			2,00,577.00	
घटाएँ, प्रतिष्ठान खाता में स्थानान्तरित	51,877.00			
घटाएँ, साधारण भविष्य निधि खाता में स्थानान्तरित विनियोग	1,48,700.00		2,00,577.00	

कुलयोग

कुछ नहीं

ह० अस्पष्ट
(ए० के० बनर्जी)
सहायक सचिव

अंशदायी भविष्य निधि खाता
का तुलनपत्र

	सम्पत्ति			
	रु०	पै०	रु०	पै०
I. अंतशेष :				
रोकड़ हाथ में			—	
रोकड़ बैंक में			—	
विनियोग			—	

कुलयोग

कुछ नहीं

ह० अस्पष्ट
(बी० पी० वरूआ)
निदेशक

साधारण भविष्य निधि खाता
का प्राप्ति का भुगतान खाता

		भुगतान	
		रु०	पै०
I.	अग्रिम का भुगतात		53,213.00
II.	विनियोग को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिष्ठान खाता में भुगतान		28,367.00
III.	प्रतिष्ठान खाता में स्थानान्तरित परिपक्व एन. एस. सी. से प्राप्त रकम		11,135.00
IV.	अंतशेष :		
	रोकड़ हाथ में	—	
	रोकड़ बैंक में	2,05,867.00	
	विनियोग	<u>3,31,700.00</u>	
			<u>5,37,567.00</u>

कुलयोग

6,30,282.00

ह० अस्पष्ट
(बी० पी० बरुआ
निदेशक

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

01.04.88 से 31.3.89 तक

व्यय	रु०		पै०	
	रु०	पै०	रु०	पै०
I. विनियोग को सुरक्षित करने के लिए प्रतिष्ठान खाता में भुगतान			28,367.00	
II. प्रतिष्ठान खाता में स्थानान्तरित परिपक्व एन. एस. सी. से प्राप्त व्याज			11,135.00	
III. व्यय से अधिक आय			3,25,114.00	

हस्ताक्षर
(ए० के० वनर्जी)
सहायक सचिव

कुलयोग 3,64,616 00

साधारण भविष्य निधि खाता
का आय एवं व्यय खाता

	आय	
	रु०	पै०
I. अंशदान		1,54,623.00
II. ब्याज		6,611.25
III. प्रतिष्ठान द्वारा दिया गया ब्याज		43,546.75
IV. परिपक्व एन. एस. सी. से प्राप्त ब्याज		11,135.00
V. अंशदायी भविष्य निधि से प्राप्त विनियोग		1,48,700.00

कुलयोग

3,64,616.00

हस्ताक्षर
(बी० पी० बरुआ)
निदेशक

राजा राममोहन पुस्तकालय प्रतिष्ठान
31.03.89 तक

दायित्व

	रु०	पै०	रु०	पै०
आर. आर. आर. एल. एफ. साधारण भविष्य निधि खाता :				
पिछले लेखानुसार	2,32,668.00			
जोड़े अग्रिम 01.04.88 तक वकाया खाता में नहीं किया गया		35,060.00		
		<u>2,67,728.00</u>		
आय एवं व्यय खातानुसार बचत	3,25,114.00			
			5,92,842.00	

कुलयोग

5,92,842.00

हस्ताक्षर
(ए० के० बनर्जी)
सहायक सचिव

साधारण भविष्य निधि खाता
का तुलन-पत्र

सम्पत्ति

	रु०	पै०	रु०	पै०
I. अग्रिम :				
पिछले लेखानुसार	35,060.00			
वर्ष के दौरान जोड़े	<u>53,213.00</u>			
	88,273.00			
वर्ष के दौरान घटायें	<u>32,998 00</u>		55,275.00	
II. अंतशेष :				
रोकड़ हाथ में				
रोकड़ बैंक में	<u>2,05,867.00</u>		2,05,867.00	
विनियोग :				
पिछले लेखानुसार	2,00,000 00			
वर्ष के दौरान जोड़े	<u>1,48,700.00</u>			
	3,48,700.00			
वर्ष के दौरान घटायें	<u>17,000.00</u>		3,31,700 00	

कुलयोग

5,92,842.00

हस्ताक्षर
(बी० पी० बरुआ)
निदेशक

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता
का वर्ष 1988-89 के लिए लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

1. भूमिका :

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना भारत सरकार द्वारा मई 1972 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में हुई और इसे पश्चिम बंगाल सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1961 के अधीन पंजीकृत किया गया। इसका लक्ष्य देश भर में और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पुस्तकालय सेवा प्रदान कर सार्वजनिक पुस्तकालय आन्दोलन को विकसित करना तथा जन सामान्य में पठन-पाठन के प्रति अभिरूचि जागृत करना है। प्रतिष्ठान मुख्यतः भारत सरकार से वित्त प्राप्तकर सम्पूर्ण देश के पुस्तकालयों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। कम्प्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल (कर्त्तव्य, अधिकार तथा सेवा स्थिति) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत प्रतिष्ठान के आर्थिक लेखा की परीक्षा की गई।

2. अनुदान एवं अंशदान का उपयोग :

वर्ष 1988-89 के दौरान प्राप्त अनुदान और अंशदान के उपयोग का विवरण निम्नांकित है—

(क) अप्रैल 1988 में तक अवशेष

(राशि लाख में)
2.66

(ख)	भारत सरकार से वर्ष		
	1988-89 प्राप्त अनुदान		
	(i) गैर-योजना	रु० 12.50	
	(ii) योजना	<u>रु० 194.69</u>	<u>207.19</u>
			209.85
(ग)	1988-89 के दौरान		
	प्राप्त अंशदान		
	(i) 17 राज्य	रु० 54.55	
	(ii) 3 केन्द्रशासित राज्य	<u>रु० 2.25</u>	<u>56.80</u>
(घ)	विविध प्राप्तियां—		6.09
	क + ख + ग + घ का योग		272.74
	घटायें वर्ष 1988-89 के दौरान हुए व्यय		<u>203.87</u>
	इतिशेष		68.87

2.2 भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988-89 में 194.69 लाख रुपये योजनाधीन अनुदान दिया गया, इसमें 54.69 लाख रुपये की वह राशि भी सम्मिलित है, जिसकी स्वीकृति 1987-88 में हुई थी, तथापि प्रतिष्ठान को यह 1988-89 में प्राप्त हुई ,

2.3 31 मार्च 1989 को खर्च से बची हुई 68.87 लाख रुपये की राशि थी, इस राशि में 0.85 लाख रुपये भारत सरकार का गैर-योजना अनुदान, 17.95 लाख रुपये भारत सरकार का योजना अनुदान तथा शेष 50.07 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार / केन्द्रशासित क्षेत्र का समतुल्य अनुदान थी ।

2.4 31 मार्च 1989 को कुल 10.77 लाख रुपये की बकाया देयताएँ थी, तथापि खर्च से बचा हुआ अनुदान (योजना) केवल 17.95 लाख रुपये था ।

विभिन्न राज्य सरकारों / केन्द्रशासित क्षेत्रों से प्राप्त अंशदान के आधार पर "समतुल्य सहायता परियोजना" के अन्तर्गत प्रतिवर्ष देयता की कुल राशि 50.07 लाख रुपये थी, (100.14 लाख रुपये के समतुल्य अनुदान का 50%)

प्रतिष्ठान ने इसका उत्तर निम्नांकित दिया (अगस्त 1989) :

भारत सरकार की आवंटित निधि से सहायता दी जाती है। कोई कमी होने पर यह कार्यालय मांग पूर्ति के लिए मंत्रालय से अतिरिक्त निधि का अनुरोध करेगा। पिछले अनुभव से यह ज्ञात होता है कि सभी राज्य / केन्द्रशासित क्षेत्र विशिष्ट वर्ष में अपने हिस्से की पूरी राशि का उपयोग नहीं कर पाते हैं।

2.5 प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक राज्य और संघशासित क्षेत्र को सामान्यतः समतुल्य आधार पर समान अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है। और समतुल्य आधार पर दी जाने वाली इस सहायता की अधिकतम राशि राज्य के आकार, उनकी जनसंख्या, उनके द्वारा किये गये विगत उपयोग एवं उनके संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। यद्यपि राज्य सरकार और संघशासित क्षेत्र अपना अंशदान प्रति वर्ष नहीं देते, किन्तु योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित वर्ष की बकाया राशि का भुगतान बाद में कर देते हैं।

पहले वर्ष की तरह अनेक वर्षों के लिए एक साथ पुस्तकें खरीदने हेतु राज्य अपना प्रस्ताव भेजने का रिवाज अभी भी बनाये हुए हैं। तथापि लेखे से यह स्पष्ट नहीं होता कि चालू वर्ष और पिछले वर्षों के लिए कितने-कितने अंशदान प्राप्त हुए हैं। प्रतिष्ठान ने (अक्टूबर 1989) में बताया कि अंशदान का कोई भी वर्ष हो अंश प्राप्ति से दो आर्थिक वर्ष तक वह समतुल्य सहायता प्रदान करता है। वास्तविक प्राप्ति के आधार पर तदनुसार लेखा तैयार किये गये।

3. लेखे पर टिप्पणी :

3.1 तुलन पत्र (सामान्य निधि)

बकाया देयताएँ : 31 मार्च 1989 को कुल मिलाकर 10.77 लाख रुपये की बकाया देयताएँ थी, इनका वर्षानुसार विवरण निम्नांकित है—

1985-86 के पूर्व	1.04 लाख रुपया
1985-86	0.11 „ „
1986-87	0.50 „ „
1987-88	2.80 „ „
1988-89	6.32 „ „
योग	<u>10.77</u> „ „

तथापि 1985-86 के पूर्व की बकाया देयताएँ का विवरण लेखा परीक्षक को सत्यापन हेतु न दिया जा सका।

कुल बकाया देयताएँ : विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न संभारकों तथा प्रकाशकों द्वारा संभाटित सामग्री की देनदारी से संबंधित थीं। संबंधित पुस्तकालयों से पावती प्राप्त न होने के कारण उन्हें अभी तक निपटाया न जा सका। तथापि, प्रतिष्ठान ने सूचित किया कि बकाया देयताएँ निपटाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

3.2 प्राप्ति और भुगतान खाता (सामान्य निधि)

अन्य प्रभार—वर्ष 1988-89 के दौरान “अन्य प्रभार” शीर्षक के अन्तर्गत कुल 3.93 लाख रुपये का भुगतान हुआ। इस राशि में 0.58 लाख रुपये जनरल पत्रिकाओं हेतु अग्रिम भुगतान राशि भी सम्मिलित है। दोनों विदेशी (0.57 लाख रुपये) और भारतीय (0.01 लाख रुपये) :

प्रतिष्ठान द्वारा अग्रिम चन्दा दिये जाने के बावजूद भी मार्च, 1989 के अन्त तक विदेशी जनरल का एक भी अंक प्राप्त न हुआ। अतएव चन्दा दिये गये भुगतान को समंजन की प्रतीक्षा में बकाया अग्रिम के रूप में दिखाया जाना चाहिये तथा यह स्थिति प्रतिष्ठान के वार्षिक लेखा में तदनुसार

प्रदर्शित होनी चाहिये। परन्तु प्रतिष्ठान ने सम्पूर्ण राशि को राजस्व के अन्तर्गत-अन्य प्रभार-शीर्ष में दिखाया है। वह अनियमित तथा तथा परिशोधित किया जाना चाहिये। प्रतिष्ठान ने, तथापि, सूचित किया (अक्टूबर 1989) कि आवश्यक परिशोधन 1989-90 के दौरान किया जायगा।

1984-85 से 1987-88 के बीच प्रतिष्ठान ने 0.12 लाख रुपये के जनरल तथा पत्रिकाएँ प्राप्त कीं। इन पत्रिकाओं को जिस वर्ष जिल्द में बाँधा जाय, उसी वर्ष के तुलन-पत्र में इनके मूल्य को प्राप्त परिसम्पत्ति के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

तथापि, प्रतिष्ठान ने सूचित किया (अगस्त 1989) कि जनरल / पत्रिकाओं की वास्तविक जाँच पिछली जुलाई 1989 में की गई और जिल्द बन्दी हेतु उपयुक्त जनरल प्राप्त न होने के कारण मूल्यवान जनरल/पत्रिकाओं की जिल्द बन्दी अभी तक प्रारम्भ न हो सकी है।

4. निश्चित राशि से अधिक प्राप्त अंशदान :

प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक राज्य और संघशासित क्षेत्र की सामान्यतः समतुल्य आधार पर समान अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है तथा समतुल्य आधार पर दी जाने वाली इस सहायता राशि की सातवीं योजना में 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। जो राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के आकार, उनकी जनसंख्या, तथा उनके संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा राज्य के लिए अधिकतम राशि 4 लाख रुपये निश्चित की गई थी।

अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 1988-89 में उड़ीसा सरकार ने अगस्त (1988 में) 7 लाख रुपये अंशदान के रूप में दिये। अतएव अंशदान की यह राशि निश्चित सीमा से 3 लाख रुपये अधिक थी। प्रतिष्ठान ने सूचित किया कि उड़ीसा सरकार ने यह राशि स्वतः प्रदान की थी। इस

संबन्ध में मंत्रालय की स्वीकृति की अभी तक प्रतीक्षा है (अगस्त 1989)।

5. सहायता प्राप्त पुस्तकालयों द्वारा लेखा प्रस्तुत न किया जाना :

वर्ष 1988-89 के दौरान प्रतिष्ठान ने विभिन्न पुस्तकालयों को 25.91 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की (नकद अनुदान के रूप में भुगतान)। इस संबन्ध में अनुदान दिये जाने वाले आर्थिक वर्ष की समाप्ति पर व्यय किये जाने के समर्थन में प्रतिष्ठान को उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा लेखा परीक्षित विवरण प्राप्त होना चाहिये। अवलोकित किया गया कि नकद अनुदान प्राप्त करने वाले अनेक पुस्तकालयों ने ऐसे उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा लेखा—विवरण प्रस्तुत नहीं किया। वर्ष 1988-89 तक नकद अनुदान दिये जाने की स्थिति की संख्या निम्नांकित है :

(राशि लाख रुपये में)

परियोजना का नाम	1988-89 तक भुगतान की गई राशि	सम्मिलित पुस्तकालयों की संख्या	31 मार्च 1989 तक अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि	संबंधित पुस्तकालयों की संख्या
1	2	3	4	5
1. दुर्लभ पुस्तकों की जिल्द-बन्दी तथा परिक्षण	7.74	461	1.48	70
2. परिसंवाद, कार्यशाला, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा पुस्तक प्रदर्शनी	6.25	82	2.58	28
3. पुस्तक भण्डार	10.73	1530	6.81	946
4. स्वैच्छिक सगठन	70.62	273	64.52	245
5. बाल पुस्तकालय	5.75	187	4.00	160
6. वी. सी. आर.-सह-टी. बी. कैसेट	5.94	20	5.64	19
7. ग्रामीण पुस्तक संचय केन्द्र	0.29	4	0.29	4

प्रतिष्ठान ने बताया (अगस्त 1989) कि विलम्ब पुस्तकालयों से अभिलेख प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जायगी।

6. प्रतिबद्ध देयता :

6.1 प्रतिष्ठान की विभिन्न सहायता परियोजनाओं से संबंधित पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिबद्ध देयताएँ निम्न प्रकार थीं ।

(राशि लाख रुपये में)		
<u>1986-87</u>	<u>1987-88</u>	<u>1988-89</u>
91.58	82.28	97.52

प्रतिबद्ध देयता वह सहायता राशि है जो राज्यों और संघशासित क्षेत्रों से अंशदान के रूप में प्राप्त तो हो गई । तथापि, विभिन्न कारणों से व्यय न हो सकी, जैसे—सहायता प्राप्त राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त न होना तथा पुस्तकों के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा समंजन विल प्रस्तुत न किया जाना और कुछ राज्यों के अंशदान को दूसरे राज्यों के लिये व्यय करना जिन्हें वित्तव्य राज्यों से प्राप्त होने वाले अंशदान से संमजित होना है । 31 मार्च 1989 को विभिन्न राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के व्यय न होने वाले अंशदान की राशि 50.07 लाख रुपये थी । मई 1988-89 के दौरान असम और राजस्थान राज्यों के लिये 0.97 लाख रुपये तथा 4.40 लाख रुपये क्रमशः अधिक व्यय हुए । इसी प्रकार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गोवा राज्यों के लिए 1987-88 में अधिक व्यय हुई राशि 1988-89 में संमजित हुई ,

सातवीं योजना के दौरान राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को दी जाने वाली समतुल्य सहायता की दर में निम्नांकित सुधार हुआ ।

<u>राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के नाम</u>	<u>(राशि लाख रुपये में)</u>
आन्ध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश	5
गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल	4

राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के नाम

(राशि लाख रुपये में)

असम, हरियाणा, केरल.	3
मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान	
हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा	0.7
संघशासित क्षेत्र	0.5

परन्तु राज्य और संघशासित क्षेत्रों की देयता सूची से ज्ञात हुआ कि कुल 97.52 लाख रुपये की प्रतिबद्ध देयता में से निम्नांकित राज्यों की देयता 5 लाख रुपये से अधिक थी :

राज्यों का नाम

(राशि लाख रुपये में)

1. आंध्र प्रदेश	10.63
2. हिमांचल प्रदेश	9.29
3. गुजरात	6.71
4. कर्नाटक	10.93
5. उड़ीसा	17.89
6. तमिलनाडु	9.45
7. उत्तर प्रदेश	11.86
8. महाराष्ट्र	10.39

प्रतिष्ठान ने बताया (अगस्त 1989) की राशि के व्यय न होने के कारण आर्थिक वर्ष में संबंधित राज्यों से प्रस्ताव, बिल न प्राप्त होना है ।

इसके अतिरिक्त, यह ज्ञात हुआ कि हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप और मिनीकाँय राज्य और संघशासित क्षेत्रों ने समतुल्य अंशदान न भेजकर प्रतिष्ठान की गतिविधियों में भाग नहीं लिया । राज्य और संघशासित क्षेत्रों द्वारा प्रतिष्ठान की सहायता परियोजना में भाग न लेने का कारण जब पूछा गया तो संगठन ने बताया कि राज्य और केन्द्रशासित क्षेत्रों द्वारा प्रतिष्ठान की सहायता परियोजनाओं में भाग लेने हेतु बाध्य किया जा सके ऐसे कोई सांविधिक प्रावधान न थे । राज्य और केन्द्र-

शासित क्षेत्रों के सक्रिय समर्थन और सहयोग से ही प्रतिष्ठान की परियोजनाओं की क्रियान्वित किया जा सकता है। तथापि, प्रतिष्ठान ने भाग न लेने वाले राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों के साथ मामले को आगे बढ़ाया।

9. पुस्तकालयों का निरीक्षण :

वर्ष 1987-88 के वार्षिक विवरण के अनुसार प्रतिष्ठान ने विभिन्न स्तरों के 20,086 पुस्तकालयों को अपनी परियोजना में शामिल किया तथा 1987-88 तक उन्हें 795.34 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। इस प्रकार पिछले 17 वर्षों में सम्मिलित किये गये पुस्तकालयों की कुल संख्या 27,266 (20,086 + 7,180) तथा आर्थिक सहायता की राशि 936.76 लाख रुपये (795.54 + 141.22) थी।

प्रारम्भ से 1988-89 तक कुल सम्मिलित पुस्तकालय प्रदत्त आर्थिक सहायता की राशि और निरीक्षण किये गये पुस्तकालयों की संख्या निम्नांकित हैं —

वर्ष	सम्मिलित कुल पुस्तक	प्रदत्त आर्थिक सहायता की राशि (लाख रुपये में)	वास्तविक निरीक्षण किये गये पुस्तकालयों की संख्या
1976-77 तक		106.16	
1977-78	3090	31.43	अनुपलब्ध
1978-79	6113	37.97	अनुपलब्ध
1979-80	5747	31.89	अनुपलब्ध
1980-81	4998	37.12	10
1981-82	6676	32.98	9
1982-83	1957	49.12	10
1983-84	3369	39.70	18
1984-85	2961	51.28	26
1985-86	2224	55.54	20
1986-87	4387	133.35	12
1987-88	6086	189.00	460
1988-89	7180	141.22	625
		<u>936.76</u>	<u>1190</u>

विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के दौरान कुल सम्मिलित पुस्तकालयों की संख्या 7180 थी, इनमें से 1988-89 के दौरान प्रतिष्ठान के कर्मचारियों द्वारा 625 पुस्तकालयों का निरीक्षण किया गया, इनका प्रतिशत मात्र 8.06 है। अद्यपि 1988-89 के दौरान निरीक्षण किये गये पुस्तकालयों की संख्या में 625 की वृद्धि हुई, 1987-88 के दौरान यह संख्या 460 थी, तथापि निरीक्षण होनेवाले पुस्तकालयों की संख्या अधिक होने के कारण निरीक्षण किये गये पुस्तकालयों की संख्या नगण्य है। अतएव प्रतिष्ठान के निरीक्षण एकक में और वृद्धि होनी चाहिये जिससे कि प्रतिष्ठान की विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत समुचित सहायता प्राप्त पुस्तकालयों का निरीक्षण हो सके।

स्थान : कलकत्ता
दिनांक : 4.12.89

ह/०
लेखा-परीक्षा निदेशक
केन्द्रीय : कलकत्ता

लेखा-परीक्षा प्रमाणपत्र

मैंने राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता के 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के प्राप्त एवं भूगतान खाता / आय तथा व्यय खाता और 31 मार्च 1989 के तुलन-पत्र की जाँच की है। मुझे वे सारी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण दिये गये, जिनकी मुझे आवश्यकता थी। लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई टिप्पणियों के अधीन रहते हुये अपने द्वारा दी गई लेखा-परीक्षा के आधार पर मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे बिचार से ये लेखे और तुलन पत्र समुचित ढंग से तैयार किये गये हैं और राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता की खाता बहियों में प्रदर्शित तथा मुझे दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार ये प्रतिष्ठान की कार्यदशाओं का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है।

स्थान : कलकत्ता
दिनांक : 4.12.88

हस्ताक्षर :
(श्रीमती एम० चटर्जी)
लेखा परीक्षा निदेशक
केन्द्रीय : कलकत्ता

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर प्रतिष्ठान की टिप्पणी :

पैरा

टिप्पणी

1 से 3

कोई टिप्पणी नहीं

4

8 अक्टूबर, 1988 को हुई प्रतिष्ठान की 30 सामान्य निकाय सभा में उड़ीसा सरकार का अतिरिक्त अनुदान अनुरोध अनुमोदित हुआ। इस सभा के कार्यवृत्त में उल्लेख है कि यदि उपलब्ध निधि का उपयोग अन्य राज्य नहीं करते तो प्रतिष्ठान अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकता है।

5

वर्ष 1988-89 के लिए परियोजना के नियमों के अन्तर्गत बने स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुरूप अधिकतर अनुदान प्राप्त पुस्तकालयों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र और लेखा-परीक्षित विवरण अभी तक देय नहीं हुये हैं।

6-7

कोई टिप्पणी नहीं।

हस्ताक्षर

(बी० पी० बरूआ)

निदेशक

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान,
ब्लाक-डीडी-34, सेक्टर-1, साल्ट लेक सिटी

कलकत्ता-700 064